

Haryana Vidhan Sabha

Debates

2nd August, 1971

Vol. II-No. 1

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 2nd August, 1971

Page

Starred Questions and Answers	(1)1
Written Answers to Starred Questions laid on the Table of the House under Rule 45	(1)32
Unstarred Questions & Answers	(1)74
Obituary References	(1)110
Call Attention Notice	(1)124
Point of order	(1)128
Call Attention Notices	(1)128
Announcements :	
(i) By the Speaker	(1)129
(ii) By the Secretary	(1)130
Call Attention Notice	(1)131
Papers laid on the Table	(1)133
Presentation of Supplementary Estimates	(1)136
Presentation of Report	(1)136
Bills —	

The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment), 1971	(1)136
The East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment and Validation),1971	(1)151
The Land Improvement Loans (Haryana Amendment)—, 1971	(1)166
The Haryana Municipal Common Lands (Regulation), 1971	(1)173
The Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment,1971	(1)188
Extension of Time of the Sitting	(1)189
Resumption of discussion on the Punjab New Mandi Townships (Development Regulation) Haryana Amendment, 1971	(1)194
The Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Haryana Amendment, 1971	(1)209
ANNEXURE	(i)

HARYANA VIDHAN SABHA

Monday, the 2nd August, 1971

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Sector-1, Chandigarh-1, at 2 P.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Income Accrued from Sale of Lottery Tickets

***1191. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state :—

(a) the gross income accrued to the State Government from the sale of lottery tickets during the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 separately ;

(b) the amount of commission paid to the agents during the years referred to in part (a) separately ;

(c) the net income accrued to the State Government during the years referred to in part (a) above separately ; and

(d) the names of persons who have won first prize in each draw held during the years referred to in part (a) above separately.

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain):

		1968-69	1969-70	1970-71
		(Rs. in lacs)	(Rs. in lacs)	(Rs. in lacs)

(a)	Gross income based on the face value of tickets.	95.20	295.40	305.00
(b)	Commission allowed	28.23	87.80	98.70
(c)	Net income	59.00	140.00	105.00

(d) A list showing the names of the First Prize winners in each draw held during the respective years is laid on the Table.

**STATEMENT SHOWING THE NAMES AND ADDRESSES OF THE
1ST PRIZE WINNERS FROM 1ST DRAW TO 26TH DRAW.**

YEAR 1968-69

	Name and address of the prize winner	Prize	Amount Rs .
	1st Draw (30-11-1968)		
1.	Shri Rameshwar Dayal son of Pt. Hukum Chand village and P. O. Sanghi Distt. Rohtak (Haryana)	1st Prize	1,00,000
	2nd Draw (30-1-1969)		
2.	Shri Ram Chandra Mathur son of Shri Bal Krishan Mathur, Office of the Settlement Commissioner Jaipur	1st prize	1,00,000

	(Rajasthan)		
	3rd Draw (29-3-1969)		
3.	Shri Chander Dutt Kaswan Agent No. HSR-2, village Assan	1st prize	1,00,000 plus Ambassador Car.
	YEAR 1969-70.		
	4th Draw (16-5-1969)		
4.	Shri Shanker Dass, Head Con- stable, No. 1074 D.A.V., Office of the I.D.A.P. New Police Line, Kingsway Camp, Delhi-9.	1st prize	2,00,000 plus Ambassador Car.
	5th Draw (2-7-1969)		
5.	Shri S, Veladhan and N. Ghousepasha No. 9, Y. M.C.A., Cuddalore, South Arcot District Madras State.	1st prize	2,00,000 plus Ambassador Car.
	6th Draw (8-8-1969)		
7.	Shri Vasant Lal Mangan Lal Patel, Bagapura Dudara Sheri, Surat-3.	1st prize	2,50,000 plus Ambassador Car,
	7th Draw (31-8-1969)		
8.	Shri S. V. Subha Rao, Electrical Driver, (Loco) Santragachi, S. E.	1st prize	2,75,000 plus

	Rly. West Bengal.		Ambassador Car or Tractor or Rs. 20,000/- in lieu thereof
	8th Draw (4-10-1969)		
9.	Shri Ravinder Nath Guha, Co-senior Executive Engineer, (Development) Circular Garden Reach Road, Calcutta-43.	1st prize	3,00,000
	9th Draw (4-11-1969)		
10.	Shri Siri Ram Jindal 37 Kuala Bola Mal, Naya Banas, Delhi-6,	1st prize	4,00,000
	10th Draw (4-12-1969)		
11.	Shri P. Lokiah, village and P.O. Ulundai Nadu District Chingleput, Tamil Nadu.	1st prize	4,00,000
	11th Draw (7-1-1970)		
12.	Shri Rattan Lal Sachdeva, 96 Bhagat Ram Street, Fazilka.	1st prize	4,00,000
	12th Draw (9-2-19701)		
12.	Dr. B. K. Nag, Sub Divisional Medical Officer, Ranaghat,	1st prize	3,00,00,

	Hospital Ranaghat District Nadia (W. B.)		
	13th Draw (11-3-1970)		
13.	Shri Bal Krishna, 3-E Baird Lane New Delhi.	1st prize	3,00,000
	Year 1970 71		
	14th Draw (11-4-1970)		
14.	Shri S, K. Ghosh and Kanu Banerjee, 98, Bhupendra Bose Avenue, Calcutta-4.	1st prize	3,00,000
	Special Baisakhi Draw (17-4-1970)		
15.	Shri Ka la Chand Saha, C/o Raffle Corner Poranatala, P.O. Navadwip Cal, District Nadia.	1st prize	12,5,000
	15th Draw (8-5-1970)		
16.	Miss Archana Mohan Lal, daughter of Dr. Mohan Lal Pira Maj, 67 A, Piramal Bhavan, Worli, Bombay-18.	1st prize	3,00,000
	Mini Draw (15-5-1971)		
17.	Shri Nitya Gopal Paul, son of	1st prize	1,00,000

	Shri Dhuban Mohan Paul, resident of 99/1, Bajapra Lane, Post Office Salika, P. S. Malipanchghora, Distt. Howrah (W. B.)		
	Sixteenth Draw (10-6-1970)		
18.	Shri Gian Chand Verma, son of Shri Beli Ram; No. 2 Pb. Air Sqn. N.C.C. Khalsa College, Amritsar.	1st prize	1,00,000
19.	Shri Gulam Hussain Ali Bhai Harani Hospital Road, Gondia (M, S.)	1st prize	1,00,000
20.	Shrimati Devikaben Parmar Bhavan, 2nd floor, Room No. 25, Chandabarker Lane Mutunga, Bombay-19.	1st prize	1,00 000
	Seventeenth Draw (22-7-1970)		
21.	Shri Chandu Lal Bapu Lal Pandaya, Sabermati Bazar, Opposite Kabir Chowk, Municipal Dispensary Sabarmati, Ahmedabad-9 (Gujrat)	1st prize	15,00,000

	Eighteenth Draw (17-8-1970)		
22.	Shri Nand Lal Brai, 57 Clive Street, Raja Katra Calcutta-7,	1st prize	3,00,000 plus Air Ticket for trip round the world or Rs. 12,000 in lieu thereof.
	Nineteenth Draw (26-8-1970)		
23.	Shri S. S. Naten Durai, 108, Rly. Colony, Bangulore, Madras-8.	1st prize	1,00,000
	Twentieth Draw (11-10-1970)		
24.	Shri B. R. Nagosli Vijay Lakshmi Stores Gandhi Bazar, Hassan (Mysore State)	1st prize (first part)	0,25,000
25.	Shri B. Gopalaiah Advocate, 283 (10) Cotton Pet Main Road, Bangalore-2 A.	1st prize (2nd part)	6,25,000
	Twenty-First Draw (26-10-1970)		
26.	Mrs. Kanehar Laxmi Dulerai Mehta 13, Blue Gardenia, 6 A, Pedder Road Bombay-26.	1st prize	1,00,000

	Twenty-Second Draw (11-11-1970)		
27.	Shri Ram Chander Gupta, C/o L. Pyare Lal, Bars Mandir, Murad Nagar, Distt. Meerut.	1st prize	1,00,000
	Twenty-Third Draw (26-11-1970)		
28.	Shri Gautam Dey, Upendra Nivas, 36 A, Sion Road, Bombay-22.	1st prize	1,00,000
	Twenty-Fourth Draw (11-1-1971)		
	No genuine claimant presented the ticket and hence no payment made. Three claims were; however, received but the report of the Forensic Science Laboratory, Chandigarh showed that these were forged tickets. Hence the matter was handed over to the police.	1st prize	10,00 000
	Twenty-Fifth Draw (20-2-1971)		
29.	Shri Him Lal Krishan Lal Dalal, for Nitin Hira Lal Dalal minor son, 6/1547, Mahidh a rpura,	1st prize	3.00,000

	Maniara Seri, Surat.3.		
	Twenty-Sixth Draw (29-3-1971)		
30.	Shri H. B. Abdul Malick; Peon, Islamiah High School, Melvisharam N. A. Distt. (Tamil Nadu).	1st prize	2,50,000

चौधरी दल सिंह: जो लिस्ट आपने सप्लाई की है उसके मुताबिक पिछले तीन सालों में 30 व्यक्तियों को फस्ट प्राइज दिए गए हैं । इस लिस्ट में सिर्फ हरियाणा प्रदेश का एक ही व्यक्ति है जिसको फस्ट प्राइज मिला है । और 29 व्यक्ति बाहर की स्टेटों के हैं । क्या यह ठीक है कि लाटरी गलत तरीके से निकाली जाती है और गलत आदमी इनाम ले जाते हैं?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : यह किसी के हाथ की बात नहीं है । हरियाणा में टिकटों की सेल नैग्लिजिवल है । यहां टिकटों की बिक्री दूसरी स्टेटों से कम है । मिसाल के तौर पर पिछले ड्रा में 80 लाख रुपये की कुल सेल हुई जिसमें से हरियाणा में 15 हजार रुपये की सेल हुई है ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब! इस लिस्ट के मुताबिक इन तीन सालों में कुल 695 लाख 60 हजार रुपये की आमदनी हुई है । इस रकम में से 214 लाख 73 हजार रुपये एजेंट्स को कमीशन दिया गया । इसका मतलब यह हुआ कि कमीशन एजेंट्स को आमदनी का एक तिहाई रुपया कमीशन का दिया गया । क्या सरकार इस किस्म की

कोई पालिसी अख्तियार करने के लिए तैयार है जिससे गरीबों से वसूल किया हुआ रुपया देश के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए और एजेंट्स को कम कर दिया जाए?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : वैसे प्रिंसीपली आप की राय से सहमत हूँ लेकिन लाटरी भी एक किस्म की ट्रेड एंड बिजनैस है । दूसरी स्टेट्स कितना कितना कमी-शन देती है, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है । पंजाब में 30 परसेंट है, दिल्ली में भी तकरीबन इतना ही है । इस तरह आल इंडिया का रेट लगभग 30 से 35 परसेंट तक वेरी करता है । हमें टिकट सारे हिन्दुस्तान में बेचने पड़ते हैं । हरियाणा स्टेट ने जब यह काम शुरू किया तो दूसरी स्टेटों की तरह सारे हिन्दुस्तान में टिकट बेचने शुरू कर दिये । हम अपने टिकट होल-सेल-एजेंट्स को बेच देते हैं और उसी के हिसाब से उसको कमीशन दे देते हैं, चाहे उसके टिकट आगे बिके या न बिके, इससे हमें कोई मतलब नहीं । हमें दूसरी स्टेटों को ध्यान में रखते हुए कमीशन देना पड़ता है । हम चाहते हैं कि सारे हिन्दुस्तान में एक जैसा ही कमीशन हो जाए लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हुए ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, टिकटें बेचने के लिए हरियाणा के शहरों में एम्बेसेडर कार घूमती हैं । इस कार से स्टेट पर काफी खर्चा पड़ता है, ड्राइवर रखना पड़ता है, उसकी मेन्टेनेंस का खर्चा है । इस तरफ से ये हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं (व्यवधान)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : इन कारों की वजह से ही पिछले साल 140 लाख रुपये का फायदा हुआ है और इस साल 105 लाख का हुआ है ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि जिन जिन व्यक्तियों को प्राईज मिले हैं उनसे प्राईज डिस्ट्रिब्यूशन फंक्शन के सम व इलैक्शन लड़ने के लिए रुपया लिया गया हे?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : बिल्कुल नहीं, मैं कैटेगरिकली डिनाई करती हूं। It is absolutely wrong.

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, वित्त मन्त्री महोदया ने बताया है कि हरियाणा स्टेट में सिर्फ 15 हजार रुपये की टिकटें बिकी हैं । क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी वित्त मन्त्री महोदया अच्छी तरह जूआ खेलना सिखा नहीं सकीं? (हंसी)

श्री मंगल सैन : वित्त मन्त्री महोदया ने कहा कि पिछले साल दूसरी स्टेटों में हरियाणा स्टेट लाटरी की टिकटें 80 लाख की बिकी हैं और हरियाणा में 15 हजार की बिकी हैं । क्या हरियाणा में कम टिकटें बिकने का यही कारण नहीं है कि हरियाणा के लोग इनकी पोल-पट्टी जानते हैं और दूसरी स्टेट्स के निवासियों को इसका पता नहीं था कि क्या माजरा है?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : It is a good commentary.

चौधरी रणवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन ने कानून के तहत जमीन की सीमा 30 एकड़ रखी है जिसकी कीमत लगभग 90 हजार रुपये के करीब बैठती है । आप देखें, हम जायदाद की अधिकतम सीमा 90 हजार रख रहे हैं और दूसरी तरफ लाटरी का इनाम 17 लाख तक रख रहे हैं । क्या हम इनाम के लिए इतनी ज्यादा रकम रख कर देश में समाजवाद ला रहे हैं या किसी खास किसम के आदमियों को बढ़ावा दे रहे हैं । अगर आप समाजवाद के सिद्धान्त पर चल रहे हैं तो क्या वित्त मन्त्री महोदया इस इनाम की राशि को कम करके 50 हजार तक मुकर्रर करने के लिए तैयार है?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहिब, हमने इस बात पर गम्भीरता से विचार किया है कि हमारे प्राइज की रकम थोड़ी हो लेकिन हमें सारी स्टेट्स को ध्यान में रखना पड़ना है, आल इंडिया कम्पीटीशन देखना पड़ता है । आप देखें पंजाब स्टेट लाटरी का अगला इनाम 21 लाख का है और राजस्थान का 15 लाख का है । अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए हां। इनाम ज्यादा रखना पड़ता है । वैसे आप लिस्ट में देखें, बहुत सारे इनाम एक-एक लारव, दो-दो लाख, चार-चार लाख और पांच-पांच लारव के हैं । दो तीन बार ऐसा हुआ है कि हमने इतने ज्यादा प्राइज रखे हैं । जितना ज्यादा इनाम रखेंगे उतने ज्यादा टिकट बिकेंगे और गवर्नमेंट को ज्यादा आमदनी होती है । एक-एक लाख के इनाम रखने से आमदनी कम होती है ।

Mr. Speaker : In short ,business competition.

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, वित्त मन्त्री महोदया ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि उन्होंने इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया है कि ज्यादा रुपये का इनाम न रखा जाए । क्या वित्त मन्त्री महोदया इस तरफ ध्यान देंगी कि जब हम देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो केन्द्रीय सरकार से प्रेरणा करेगी कि किसी प्रदेश के अन्दर कोई भी लाटरी 50 हजार रुपये से ज्यादा इनाम की न रखी जाए और कम राशि के ज्यादा से ज्यादा इनाम रखे जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल सके और ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके ।

Shri Bansi Lal : Mr. Speaker, Sir, I entirely agree with Chaudhri Ranbir Singh in this respect. We will not come down to Rs. 50,000 but we will come down to a very reasonable extent because keeping in view all the circumstances of this lottery business in the country we have to adjust ourselves also in that respect as the Finance Minister has rightly pointed out. But this prize of Rs. 17 lakhs is really abnormal in socialistic society. We will bring it down, I assure you.

Mr. Speaker : Good.

चौधरी रणबीर सिंह : क्या वित्त मन्त्री महोदया को इल्म है कि लाटरी, जलको दूसरे शब्दों में जुआ भी कहा जा सकता है, को बेचने के लिए राष्ट्र पिता महात्मा गान्धी के नाम पर रिकार्ड बजाए जाते हैं, राष्ट्र गीत गाए जाते हैं और बापू के नाम के गीत गाए जाते हैं । इस जुए के नाम पर राष्ट्र पिता महात्मा गान्धी के नाम पर गीत गाना

राष्ट्र पिता के नाम पर एक धब्बा है, क्या वे इस चीज को रोकने का प्रयत्न करेंगी?

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, अर्ज यह है कि यह बात चौधरी साहब को खान साहब ने बताई है । वे जब आएंगे तो जवाब देंगे । (हंसी)

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर । मैं यह समझता हूँ कि मुख्य मन्त्री जी अपनी कैबिनेट का कोई सीक्रेट बता रहे हैं । तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुख्य मन्त्री जी को कैबिनेट का सीक्रेट लीक आउट करने की इजाजत है?

Shri Bansi Lal : This is not a secret, Sir.

Mr. Speaker : The question raised by Chaudhri Ranbir Singh was quite reasonable that more people should be given prizes. That should be considered.

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, तब तो चौधरी साहब को एक सौ रुपये के टिकट खरीदने पड़ेंगे ।

चौधरी रणबीर सिंह : अगर सरकार इनाम की लिमिट पचास हजार तक रखे और इकट्ठे होने वाले पैसे से वाक्या ही विकास का कार्य होना हो तो मैं जरूर टिकट खरीदूंगा ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहब, यहां बार—बार बूत का शब्द कहना ठीक नहीं है । लाटरी आज गुजरात और उडिसा स्टेट को

छोड़कर पूरे हिन्दुस्तान में चल रही है । यह एक पैटर्न सा बन गया है, इसलिए लाटरी को जुआ कह कर पुकारना ठीक बात नहीं ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, चौधरी रणबीर सिंह जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और मैं भी इनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी मजबूरी है, आप इस प्रदेश को आर्थिक ढांचा नहीं दे सके और आप जुआ खिलाने पर मजबूर हो गए हैं तो कम से कम राष्ट्र पिता महात्मा गान्धी का रिकार्ड आप वहाँ प्ले मत होने दीजिए ।

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, ये जनसंघ वाले हैं. राष्ट्र पिता का इनको क्या पता? (हंसी)

श्री मंगल सैन : पिता का तो शुरू में किसी को भी पता नहीं होता, जन्म के बाद ही पता लगता है । (हंसी)

Mr. Speaker : I think, the question is a serious one. The name of Mahatma Gandhi should not be brought in it...

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं अपनी बात अभी खत्म नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बीच में मुख्य मन्त्री जी खड़े हो गए । मुख्य मन्त्री जी ने यहां यह भी कहा कि कोई बात खान अब्दुल गफ्फार जी ने चौधरी रणबीर सिंह जी को बताई है । तो मेरी आप से अर्ज यह है कि इस तरह से कैबिनेट के सीक्रेट यहाँ तक आउट नहीं होने चाहिए ।

Shri Bansi Lal : This is not a secret of the Cabinet.

श्री मंगल सैन : कुछ भी हो, इतने हाई-लेवल की बातें सदन में नहीं कही जानी चाहिएं । स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि चौधरी

रणबीर सिंह जी की बात बिल्कुल ठीक है और बापू जी के नाम का रिकार्ड वहां नहीं बजना चाहिए और न ही दुपट्टा रंग बिरंगा वाली बात वहां होनी चाहिए क्योंकि वह भी ठीक नहीं।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहब, डाक्टर मंगल सैन जी बार बार जूए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन आपके द्वारा मैं इनको बतलाना चाहती हूं कि दिल्ली में, जहां इनकी पार्टी की इकलौती सरकार है, वहां भी लाटरी चलती है।

श्री मंगल सैन : मैं तो सैद्धान्तिक रूप से इसका विरोधी हूं चाहे इसे मेरी इकलौती सरकार चलाए या दुलौती सरकार चलाए।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, वित्त मंत्री साहिबा ने दो तीन बार पंजाब और राजस्थान का हवाला दिया है परन्तु इनको पता होना चाहिए कि आज उन दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स में से एक भी पावर में नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या बन्सी लाल जी भी जल्दी ही कुर्सी छोड़ने वाले हैं? (हंसी)

श्री बन्सी लाल : मैं कौन सा सारी उमर यहां बैठा रहूंगा।
(हसी)

Advertisements to Newspapers.

***1203 Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Home be pleased to lay on the Table of the House a statement stating the names of the daily, weekly and fortnightly newspapers to which advertisements have been given by the Government since 1st January, 1971 to date with the amount paid thereto.

Home Minister (Shri K. L. Poswal) : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मुझे इस जवाब पर आपत्ति है । (व्यवधान)स्पीकर साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे तीनों सवाल हैं । एक का नम्बर तो मैंने अर्ज कर दिया, दूसरा 1201 है और तीसरा 1249 है । एक का उत्तर तो आपने सुन ही लिया, बाकी दो का मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ । प्रश्न सं ० 1201 का उत्तर इस प्रकार है :—

The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained."

प्रश्न संख्या 1249 का उत्तर भी इसी प्रकार है । स्पीकर साहब, आप मेरी प्रोटैक्शन पर आईए । मैंने बहुत पहले, रूलज में प्रैसक्राइब्ड टाइम के मुताबिक, आपको क्वेश्चन्ज टेबल किये थे और पब्लिक के इन्टैरस्ट में कुछ बातें मैं सदन में जानना चाहता था मगर इन्होंने केवल एक बात कह करके कि इन सवालों के जवाब से कोई लाभ नहीं होने वाला है मेरे सारे परिश्रम की, पुरुषार्थ की और माथा-पच्ची की कोई कदर नहीं की है । स्पीकर साहब, लाभ-अलाभ का निर्णय करने का अधिकार इनको नहीं है । आपको है । आपने मेरे क्वेश्चन्ज, क्योंकि वे ठीक थे, एडमिट कर लिए और जब वे एडमिट हो चुके हैं तो इनको उनका जवाब देना चाहिए । स्पीकर साहब, ताज्जुब की बात तो यह है कि पिछले सेशन में इन्होंने ही मुझे इस तरह के

सवाल का जवाब दिया है । मैंने उस वक्त भी ट्रिब्यून और इसी तरह के पत्रों के बारे में सवाल पूछा था । इस लिए स्पीकर साहब, मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि इनका इस तरह से सवालों के जवाब देना यह जानकर कि हरियाणा पत्रिका का मामला सदन के सामने आने वाला है और कहीं उस लारवों रुपये का राजू, जो इन्होंने निर्धारित नीतियों का उल्लंघन करके उसे विज्ञापनों के लिए दिया है, न खुल जाए, इस माननीय सदन के मैम्बरो के साथ बड़ा भारी धक्का है और यह डेमोक्रेसी की मांग नहीं है । स्पीकर साहब, लाभ अलाभ की बात तो उस वक्त लागू हो सकती है जब कोई ऐसा प्रश्न आप एडमिट कर दें जो जनता के हित में न हो और बाहर उससे कोई गड़बड़ होने वाली बात हो मगर उस वक्त नहीं जब सरकार को एक्सपोज होने का डर हो । डेमोक्रेसी में, संसदीय प्रणाली के अन्दर क्वेश्चन आवर का प्रोविजन सरकार को काबू रखने के लिए ही किया गया है क्योंकि आगे पीछे तो ये हमारे काबू में आते नहीं । व्यवधान इसलिए स्पीकर साहब, मैं इस सम्बन्ध में आपकी रूलिंग चाहूंगा कि इस तरह से जवाब देना कहां तक उचित अथवा अनुचित है?

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण की मांग करता हूँ । इसी सिलसिले में, इसी संदर्भ में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है इसी तरह से एक प्रश्न का उत्तर राज्य सभा के अन्दर श्री कुमार मंगलम जी ने दिया था । वहाँ सदन के सदस्यों ने मांग की थी कि लोहे की सक्रैप किस-किस पार्टी को बेची

गई है? तो वहां सदन के चेयरमैन महोदय ने मिनिस्टर महोदय को यह आदेश दिया कि संसदीय प्रणाली की रक्षा के लिए ऐसे प्रश्नों का सही तौर पर उत्तर देना जरूरी है ताकि सदन सरकार की कार्यवाही के ऊपर देख-रेख रख सके । अगर हमको यह पता ही न लगे कि किस अखबार को कितना पैसा दिया गया है तो हमारे मन में संशय का होना जरूरी है । जो पैसा खर्च होता है वह हरियाणा का पैदा है और अगर सरकार उसको कहीं इधर उधर बांट आए तो यह ठीक बात भर्हो । पिछली बार जो सदन को इस सम्बन्ध में जवाब दिया गया था उससे साफ जाहिर होता था कि हरियाणा के अन्दर छपने वाले अखबारों को जितना पैसा दिया जाता है वह बहुत थोड़ा है । तो स्पीकर साहब, एक तो हरियाणा के पैसे को सरकार बांटती फिरे दूसरों को और दूसरे उसका भी सदन को ब्योरा न दे, इसलिए इसमें मैं आपका सरझण चाहता हू ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, यह मामला बड़ा आसान सा था क्योंकि जो इन्फर्मेसन मांगी गई है वह फस्ट जनवरी 1971 से अब तक की है । जनवरी से जुलाई तक की इन्फर्मेसन के लिए यह जवाब देना कि—

"The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained".

कहां तक वाजिब है आप देख लीजिए । स्पीकर साहब, क्वेश्चन का मैंने मकसद यही होता है कि सरकार से सदन में इन्फर्मेसन हासिल की जाए और अगर उसमें कोई गलत बात नजर आए तो

गवर्नमैट को उस पालिसी को मोल्ड करने के लिए कहा जाए । अगर गवर्नमैट की कोई पालिसी गलत रास्ते पर चलती हो तो उस के बारे में उसे भी पता चलना चाहिए । हो सकता है कि सरकार की पालिसीज को अफसर लो न ठीक तरह से इंप्लीमेंट न करते हो । इसमें वजीरों का भी फायदा है । पार्लियामेंट में और न्यूजपेपर्स कांफ्रैन्सिज में बार-बार यह सवाल उठता है कि स्माल न्यूज-पेपर्स को बढ़ावा मिलना चाहिए । हमारी गवर्नमैट की भी यही पालिसी है कि स्माल न्यूज-पेपर्स को पैसा देना चाहिए मगर अफसोस कई बात यह है कि हरियाणा में छपने वाले पेपर्स की अपेक्षा ज्यादातर ऐडवर्ट, इजमैन्टस हम जालन्धर और दूसरी जगहों से छपने वाले पेपर्स में देखते हैं । हरियाणा पत्रिका, जो चंडीगढ़ से निकलता है, तीन चौथाई ऐडवर्टाइजमैन्टस से भरा होता है और केवल एक चौथाई हिस्से में न्यूज होती है । चौधरी रणबीर सिंह जी ने संरक्षण की जो बात की है वह ठीक है क्योंकि अगर मैम्बर सदन में ऐसी बातें नहीं पूछ सकते तो और कहां पूछेंगे?

श्री के ० एल० पोसवाल : स्पीकर साहब मैं तो पहाने भी अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे पास कुछ नार्मज हैं जिनके अनुसार हम देखते हैं कि इस अखबार की कितनी सरकुलेशन है, कौन सी उसकी लैंग्वेज है । जैसे कि हम हिन्दी अखबार वालों को 30 परसेन्ट, अंग्रेजी अखबार को 30 परसेन्ट, उर्दू अखबार को 20 परसेन्ट और पंजाबी अखबार को 10 परसेन्ट ऐडवर्टाइजमेंट देते हैं । हम हाउस से कोई बात छुपाना नहीं चाहते हैं । अगर आप जवाब ही चाहते हैं तो कुछ टाईम दे दें, जवाब दं दिया जायेगा ।

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : There is one more point, Mr. Speaker. The point is that if the hon. Members are interested in getting information about any particular paper, they should give separate notice mentioning the name of that particular paper.

यदि ये सब पेपरों के बारे में पूछना चाहते हैं कि कितनी ऐडवरटाइजमेंट उनको दी गयी है तो यह अप-टू-डेट इन्फर्मेेशन हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऐडवरटाइजमेंट तो आज दी जाती है और पेमेन्ट 6 महीने के बाद की जाती है । इसलिए अगर किसी पर्टिकुलर पेपर के बारे में ये चाहते हैं then they should ask that information in respect of some particular paper and give a separate notice for that.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने एक नया प्वायंट रेज कर दिया है । इन्होंने तो आपको भी चुनौती दे दी है । जब आपने मेरे सवाल की एडमिट कर लिया तो इनको उत्तर देना चाहिए परन्तु चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं किसी पर्टिकुलर पेपर के विषय में पूछें तो बताया जा सकता है । ये इसलिए उत्तर नहीं दे सकते हैं कि राज्य में निर्माण का काम बड़े जोरों से कर रहे हैं इसलिए इनको डाटा कुलैक्ट करने में टाईम और लेबर बहुत ज्यादा लगेगी । केवल पांच दिन के लिए तो सैशन बुलाते हैं उसके दौरान भी कहते हैं कि उत्तर देने में समय लगेगा । अगर पर्टिकुलर अखबार के बारे में पूछा गया तो फिर कहेंगे कि सिंगल-आउट केप क्यो पूछा गया? आप उस पर लाल फीता लगा कर वापिस भेज देंगे । यह सरकार तो फेवरेटिजम करती है जो इनकी गलत बातों की ताइद करते हैं उनको

ऐडवरटाइजमेन्ट देते हैं । जो दलेरी से इनको क्रिटिसाइज करते हैं और डेमोक्रेसी को मेनटेन करते हैं उनका यह गला दबाने की कोशिश करते हैं । डेमोक्रेसी के कारण ही हम यहाँ बैठे हैं । अगर उसकी फंक्शनिंग प्रोपरली नहीं होगी तो यह अच्छा नहीं होगा । इसलिए मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : अभी हमारे सम्मानित साथी चौ-वरी चान्द राम जी ने जो बात कही, उसको सुन कर मुझे हैरानी हुई । जब पिछले सेशन में समाचार पत्रों के सम्बन्ध में बात चली थी तो उस समय अपोजीशन की ओर से यह जोरों से कहा गया था कि हरियाणा पत्रिका की ज्यादा सरकूलेशन हो, यह ज्यादा बड़ा पत्र हो, उसको ज्यादा से ज्यादा ऐडवरटाइजमेंट दी जाये परन्तु अब चौधरी साहब कहते हैं इतने स्माल पत्र को इतनी ऐडवरटाइजमेंट क्यों दी जाती है? परन्तु हरियाणा सरकार की तो छूक नीति है कि जो बड़े समाचार पत्र हैं, जिनकी पब्लिसिटी ज्यादा है, जिनमें पूंजीपतियों का हाथ है उनको ज्यादा ऐडवरटाइज गेट न दी जाये बल्कि गरीब पत्रकारों और छोटे पत्रकारों को विज्ञापन दिये जाये, उनको प्रोत्साहन दिया जाये । इसी से यत्र बात साबित होती है कि हरियाणा सरकार ऐसे पत्रों को ऐडवरटाइजमेंट दे रही है ।

दूसरी बात जो श्री मंगल सैन जी ने हां में हां मिलाने वाली कही है कि जो इनकी हां में हां मिलाता है उसी को ऐडवरटाइजमेंट देते हैं । (विघ्न)

चौधरी जय सिंह राठी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर ।
स्पीकर साहब मैं आपकी रूलिंग, चाहूंगा क्यो कि श्री बनारसी दास जी
ने तो स्वयं ही जवाब देना शुरू कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष : ये तो अपने व्यूज दे रहे हैं ।

चौधरी जय सिंह राठी : Sir, when a Ruling is sought from
Chairman then जब तक वह कलिंग न दी जाये तब तक ये नहीं बोल सकते
। आपके रूलिंग देने के बाद ही ये अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं ।

Mr. Speaker : Let me say something. What happened is
that Dr. Mangal Sein raised that point of Order and wanted my
Ruling. Then there were certain other hon. Members who also
wanted to express their views in that regard. Their views help me in
giving the Ruling. I also wanted to Sense the sentiments or the
feelings of the House as to how we feel about it and thereafter
naturally I will give a considered Ruling. I have permitted three or
four hon. Members to express their views. But when Mr. Gupta was
permitted to give his views, you objected. This is not correct.

श्री बनारसी दास गुप्ता : मेरा एक प्वायंट और है 1 डाक्टर
मंगन सैन जी फरमा रहे थे कि जो अखबार इस सरकार की नीति का
समर्थन करते हैं या हां में हां मिलते हैं उन्हीं को ऐडवरटाइजमेंट दी
जाती है । स्पीकर साहब मैं उन्हें बताना चाहता हू कि दिल्ली में इनकी
जनसंघ पार्टी की सरकार है और उसने नैशनल हैरल्ड और पैट्रियाट
को विज्ञापन देने बिल्कुल बन्द कर दिये हैं । इसके कारण को तो वे ही

जानते होंगे लेइ कन हमारी सरकार तो उसी को ऐडवर्टाइजमेंट देती है जिस अखबार का प्रचर ठीक है ।

श्री बन्सी लाल : नेशनल हैरल्ड और पैट्रियाट से तो ये डर कर भागते हैं ।

श्री चांद राम : श्री बनारसी दास जी ने तो बै से ही बात को बढा दिया । मैंने तो बड़े मासूम ढंग से कहा था परन्तु फिर भी किसी भी दिन का हरियाणा पत्रिका उठा कर देख लें उसमें 43 भाग में ऐडवर्टाइजमेंट होती है और है 1/4 में न्यूज होती है । इस लिए एक कमेटी बना दी जाए जो देखे किसको कितनी ऐडवर्टाइजमेंट दी जाती है । मेरा मतलब यह भी नहीं है कि हरियाणा पत्रिका को ऐडवर्टाइजमेंट न दी जाये ।

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब अगर 3/4 हिस्से में ऐडवर्टाइजमेंट होती है और 1/4 में न्यूज होती है तो इसका फैसला अभी हो जाता है । यहां हाउस में अखबार की कापी मंगवा ली जाये ।

(चौधरी चान्द राम जी बोलने के लिए खड़े हुए)

Mr. Speaker : Chaudhri Chand Ram ji, please let us discuss this point. We are now seized of an important point on, which the Ruling has been sought.

चौधरी चांद राम : दूसरा प्वायंट मेरा यह है कि जो अखबार निकलते हैं चाहे वे डेलीज हैं, वीकली हैं या फौंट नाइटली हैं उनकी लिस्ट गवर्नमेंट के पास होती है । वे गवर्नमेंट की तरफ से ऐप्रूव्ड किए

होते हैं कि इन-इन अखबारों को ऐडवर्टाइजमेंट देनी है । तो इस बात की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देने में आबजेक्शन नहीं होना चाहिए । एक बात इस सवाल में यह भी पूछी गयी है कि एक जनवरी 1971 से आज तक किन-किन अखबारों को ऐडवर्टाइजमेंट दी गयी । इस बात का तो गवर्नमेंट को राइट है कि जिसको वे फिट समझते हैं उसको ही ऐडवर्टाइजमेंट देते हैं परन्तु हाउस को तो पता लगना चाहिए कि यह अखबार हरियाणा में है या बाहर है और हरियाणा में उसकी कितनी सरकुलेशन है?

चौधरी दल सिंह : इन्होंने कहा है कि जिस अखबार का सरकुलेशन ज्यादा है, हम उस अखबार को ज्यादा ऐडवर्टाइजमेंट देते हैं और जो अखबार ज्यादा लोगों के पास पढ़ने के लिये सरकुलेट होता है उसको ज्यादा ऐडवर्टाइजमेंट देते हैं । तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो नेशनल हैरल्ड अखबार है, मा सिवाय चन्द लोगों के जो खुद इसको इशतिहार वगैरह देते हैं, हरियाणा में इसे कोई नहीं पढ़ता । दूसरी तरफ ट्रिब्यून अखबार है । उसका सरकुलेशन इससे कहीं ज्यादा है । ये न मानें तो अलग बात है । लेकिन अगर ठीक दिमाग है तो मानना पढ़ूँगा कि ट्रिब्यून अखबार का हरियाणा में सबसे ज्यादा सरकुलेशन है । ट्रिब्यून के अन्दर इनकी कोई ऐडवर्टाइजमेंट नहीं होती जबकि हरियाणा की नेशनल हैरल्ड के अन्दर बड़ी भारी ऐडवर्टाइजमेंट होती है और यही कारण है कि यह अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिये या उनको तरजीह देने के लिये इसमें ऐडवर्टाइजमेंट देते हैं । ऐग्री इन्डस्ट्रीज की बात मैं यहां करना चाहता हूँ । ट्रैक्टरों के लिये

एप्लीकेशनज मांगते हैं। इसकी ऐडवर्टाइजमेंट नैशनल हैरलड में देते हैं। देहाती कोई अंग्रेजी जानता नहीं है। वह इसको पढ नहीं सकता। तो उसमें यह ऐडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए

श्री के. एल. पोसवाल : ट्रिब्यून तो हिन्दी में निकलता है...
(विधन)

चौधरी दल सिंह : मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। मैं ऐसा नहीं कहता लेकिन अगर आप वाकई किसानों और गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो आपको उन अखबारों में ऐडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए जो कि हरियाणा की जनता तक पहुंचते हैं...

श्री के. एल. पोसवाल : उन्हीं को दे रहे हैं.. ऊ'

चौधरी दल सिंह : अगर आपने ऐसे ही सोचना है तो और बात है लेकिन मेरा सजेशन यह है कि ऐग्रो-इंडस्ट्रीज वाले जो ट्रैक्टरों के लिये एप्लीकेशनज मांग से हैं, उसकी ऐडवर्टाइजमेंट नैशनल हैरलड को न दी जाए, किसी दूसरे अखबार को दी जाए।

श्रीमती चन्द्रावती : आन ए प्वायन्ट आफ आर्डर, सर। जनाब वैसे तो मैं किसी को हिट नहीं करना चाहती लेकिन अगर इस तरह से स्पीचिज शुरू हो जायें। तो क्वेश्चन आवर तो ऐसे ही खत्म हो जायेगा। इसी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती थी।

Shri Bansi Lal : I would like to reply to the question of Chaudhri Dal Singh. He says that the circulation of 'National Herald' in the State is very less. I refute this allegation of his.

'National Herald' is a popular paper and is read throughout the State. In Haryana, the 'Tribune' copies are only a few at every station. It is published from one end of the State. Delhi is quite near to our State. 'National Herald' and 'Haryana Patrika' are much read in our State and we are justified to give advertisements to these papers. The 'Haryana Patrika' has a circulation of more or less 60/70 per cent in our State. Government has to look into all the aspects of the matter and it is competent to give advertisements to any paper it deems fit.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, अगर इनको इतना गर्व है तो जवाब क्यों नहीं देते, डरते क्यों हैं? Why should they be afraid of this.

श्री बन्सी लाल : यह अभी जवाब ही तो दिया है... ।

श्री मंगल सैन : आप पहले की तरह वाला जवाब क्यों नहीं देते । आप जवाब देना इवेड कर गये भाग गये. ।

श्री बन्सी लाल : जवाब तो अब भी दे रहा हूँ ।

Mr. Speaker : The point raised was whether the answer given to your question could have been improved or it could be replied to in a better manner. That is what you wanted. Last time this very question was raised and you were given all the information for about an hour. We lost the whole hour, the question hour on that. Details about this thing had been given last time, during our last session. But, on the other hand, in this question you have asked for information only for about 6/7 months. I know it from my knowledge that at that time there were hundreds of Newspapers and Weeklies and to supply information about them all

is a laborious job, no doubt. But for a short period and for 20 or 15 dailies, some figures could have been given, if not for all, but for atleast 20 or 15 papers or you could have asked for information about top 20, 15 or 10 papers and then it could have simplified their position ; or you could have asked for information about five papers in which you are interested.

Shri Bansi Lal : He is interested in 'Mother Land' and 'Organizer' and not in 'National Herald' or 'Haryana Patrika'.

Shri Mangal Sein : I am least interested that they should be taken in government list. मुझे इसमें बिल्कुल रुचि नहीं है । मुख्य मन्त्री जी की बिल्ली अपने आप थैले से बाहर आगी है । मैंने कमी मुख्य मन्त्री जी से यह नहीं कहा कि आर 'मदर इन्डिया' या 'आर्गेनाजर' को ऐडवर्टाइजमेंट लगाइये ।

चौधुरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब तो एक-दो सफे से ज्यादा नहीं हो सकता । इसलिए एक-दो सफे का जवाब तो सरकार को दे ही देना चाहिए ।

Mr. Speaker : I would request the Minister concerned to give whatever information he can in respect of 5 or 10 papers

Shri Bansi Lal : We cannot bifurcate the question like that. As you have rightly pointed out, we spent about an hour last time and even then the reply was not complete. Mr. Speaker, I would draw your attention to sub rule (11) of Rule 46 which says—

"it shall not be of excessive length".

So, this will be of excessive length. Hence, we cannot

reply this question in that way. व्यवधान. इस विषय का पूरा एक सवाल था और ऐक्सैसिव लैग्थ किसको कहते हैं?

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहब, यह क्वेश्चन तो ऐडमिट हो चुका है, अब तो सिर्फ इस का रिप्लाइ देना है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, इन्होंने रूल 46 के सब रूल 11 में से पढा कि --

"it shall not be of excessive length."

ताज्जुब की बात तो यह है कि इन्होंने ऐक्सैसिव लैग्थ इसको ही मान लिया । ऐक्सैसिव लैग्थ तो तब होगी जब कि रिप्लाइ कुछ लौ थी होगा ।

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, हमारा रिप्लाइ या तो लौग्थी होगा ही नहीं, और यदि होगा तो कई घन्टों का होगा ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, इन्होंने रिप्लाइ देने से इवेड किया है, यह जवाब देने से भाग गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : पिछली दफा तो इन्होंने इतना लम्बा जवाब दिया था कि घन्टा लग गया और रिप्लाइ क्वेश्चन आदर में खत्म ही नहीं हुआ था ।

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, यह तो किसी भी तरह नहीं मानते । जवाब दें तो कहते हैं कि लम्बा कर दिया और यदि न दें तो कहते हैं कि जवाब नहीं देते, कम से कम किसी तरह से तो मानें .. ।

Shri Mangal Sein : I respectfully differ on this point कि उसमे एक घन्टा लगा था । स्पीकर साहब, सबसे बड़ी बात तो चीफ मिनिस्टर को यह देखनी होती है कि रुलिंग पार्टी डैमोक्रेसी के प्रिंसिपल्ज को कहां तक मेनटेन करती है ट्रिब्यून ने इनका विरोध किया तो इन्होंने उससे झगड़ा शुरू कर दिया और अब उनसे दोस्ती लगाते फिरते ई (व्यवधान) ।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से आज के कई प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं, उस तरह की परिपाटी गलत है । इससे अगला प्रश्न श्रीमती चन्द्रावती जी का है । उसका शी इन्होंने यही जवाब लिखा है ।

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, क्या चन्द्रावती जी ने इनको अथोराइज कर दिया है?

Mr. Speaker : That you cannot ask now.

Shrimati Chandravati : I am very much here.

श्री रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, अगले प्रश्न का भी ऐसा ही जवाब दिया हुआ है आपको भाई अच्छी तरह से मालूम है जो जवाब श्रीमती चन्द्रावती जी के पास आया है वही जवाब आज के और कितने प्रश्नों का है?...

Shri Bansi Lal : She says that she is very much present in the House and he has not been authorised ..

चौधरी चांद राम : प्वायन्ट आफ आर्डर, सर । क्या कोई मैम्बर किसी सवाल का जवाब एन्टीसिपेट कर सकता है, मैं यह जानना चाहता हूँ?

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, वह मामला खत्म तो हो चुका है ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, क्वेश्चन आवर का टाईम जाया हो रहा है. ।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, चांद राम जी ने अच्छी तरह से सुना नहीं है । मगल सैन जी के 3-4 प्रश्नों के उत्तर में और श्रीमती चन्द्रावती जी के प्रश्नों के उत्तर में उनको एक तरह का ही लिखित जवाब आया हुआ है । बजाय इसके कि इस चीज पर बार-बार घन्टा लगे अगर इसके ऊपर समय लगाना ही है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप ही इस बात पर फैसला ला दें कि इस किस्म की परिपाटी अच्छी है या नहीं है ?

श्री बन्सी लाल : मैं तो यह समझता था कि चौधरी रणबीर सिंह जी किसी पड़ोसी के कागज ओवर लुक करके नहीं पढ़ते सिर्फ अपने कागज ही पढ़ते हैं ।....

(At this stage some members rose in their seats)

Mr. Speaker : Let me make my observation. Please take your seats.

As you know, the most important privilege of an hon.

Member is to ask a question. It is also equally important for the Government or for the Minister concerned to give as much reply as he can. Now, there is no sort of disagreement on this. In some cases, depending upon merits, the questions can be very lengthy. But, in this case, I agree that the question was not very lengthy. It only pertained to a period of six or seven months. But, I personally feel, in such things the hon. Members should also make the position of the Ministers as reasonable as possible. In that case, the information could have been asked about 20, 15 or 10 dailies/weeklies.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब आप मेरे से पूछ लेते ।

Mr. Speaker : Let me complete my observation.

So, I request the Hon. Minister to reconsider this question and if he can give information for a few dailies or weeklies it should be acceptable. But, I would request, generally speaking, that the questions should be answered to the best of ability so that information is given to the House.

Chaudhri Chand Ram : On a point of order, Sir. There is another aspect of the matter also. All the advertisements are routed through the Director, Public Relations. Previously each Department used to give advertisements to each Paper. Now according to the revised or modified policy all the advertisements are routed through one officer or office i.e., through the Director, Public Relations, and it would not be difficult or impossible to give this information.

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, आपने तो इस सम्बन्ध में आज्ञा भी दे दी है, हिदायत भी दे दी है । अगले सवाल का जवाब भी आने दें, यह भी वैसा ही है ।

Mr. Speaker : I have asked them to reconsider it and give whatever answer is possible.

Shri Mangal Sein : When, Sir ?

Mr. Speaker : During this session.

Cases Pending in the Courts.

***1255 Shrimati Chandravati :** Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) the total number of applications, if any, received during the years 1969-70 and 1970-71 to date separately in the Court of Magistrate and Sub-Divisional Magistrate Dadri, where the petitioners or the lawyers had petitioned that the accused be released on bail; but the S.H.O. Dadri made reports thereon that the accused were not in his custody ;

(b) the total number of such applications received in such different courts in the State, Police Station-wise in each district during the said years separately ; and

(c) if the replies of parts (a) & (b) above are lengthy the same be laid on the table of the House ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : (a), (b) and (c) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be achieved,

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब., मैं तो सिर्फ मुख्य मन्त्री के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूँ कि पुलिस बेकसूर लोगों को बैठा कर रख लेती है । जब भी कोई रैलेटिव बेल के लिए जाता है तो थाने में कह दिया जाता है कि यहां तो आया ही नहीं । अगर ऐसे आदमी का कत्ल हो जाए या पुलिस करवा दे तो स्पीकर साहब मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा पब्लिक इम्पौर्टेन्स की और क्या बात हो सकती है? लोगों की बहुत ज्यादा हैरैसमेंट होती है और यहां इन- फार्मेशन नहीं मिलती । मैं मा पती हूँ कि इस सवाल के जवाब लम्बे हो सकते थे लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इसको सदन में रखा था । हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर साहब को इन सब बातों का पता ही न चलता हो । स्पीकर साहब, मेरा तो यही कहना है कि यह सब के लिए बहुत ही इम्पौर्टेंट है ।

Shri Bansi Lal : Mr. Speaker, Sir, I would like to reply to this supplementary. The Hon. Member has asked for the figures for the years 1969-70 and 1970-71. In this case, I would like to point out that this question should not have been admitted because all the copies of the documents are public documents and anybody can get copies of all the documents after payment in the court. And, moreover the courts are not directly under the Government. They are responsible to the High Court. The bodies which are not directly responsible to the Government, the Government cannot be forced to... .. (Interruptions)

लाला बलवन्त राय तायल : स्पीकर 'साहब, एक क्वेश्चन ऐडमिट हो गया है तो क्या उसके बाद भी यहां चौलेन्ज हो सकता है कि यह क्वेश्चन ऐडमिट नहीं होना चाहिए था ?

Voices from the Treasury Benches : He is giving his views.

Voices from the Opposition Benches : He cannot. (Interruptions).

Mr. Speaker : In the interest of democracy and in the interest of this House it will not be correct to pass such a remark in this House, (Thumping from the Opposition Benches.)

Shri Mangal Sein : These words should either be expunged or withdrawn.

Mr. speaker : Some hon. Members or hon. Minister or even the Leader of the House have some feeling, to that extent it can always be discussed in my Chamber. Now in this case, as far as I understand, there would have been cases where a certain man has been arrested or brought to a Police Station and when some persons went for bail they were told by the Police that he was not in their custody. That is what I have understood from her question. Now this information is not of a nature of public document. Therefore, I feel, though I would not like to go into the arguments

Shiri Bansi Lal : I would like to go into arguments whether the question was admissible under the Rules of procedure of this House, and in this case, Rule 46. I would like to quote Rule 46 (10), (11) and (12). It is quite clear that any order or document of the court can be had by payment by anybody and this document

is available outside the House. So the Government is not bound to give such information to this House. Because this case is sub-judice, Government cannot take note of it. I am very clear about it. (interruptions)

Mr. Speaker : As far as I can understand the question relates

(Interruptions)

Shrimati Chandravati : On a point of order, Sir. This question is mine. मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सब—जुडिस नहीं हो सकता ।

Shri S.P. Jaiswal : On a point of Order, Sir. While the Speaker is speaking, can anybody interrupt ?

Shrimati Chandravati : I am sorry स्पीकर साहब, नकल मिलती ही नहीं है । बेकसूर लोगों को बैठाकर कह देते हैं कि यहां नहीं हैं । सिर्फ इस वजह से आपके ध्यान में यह बात लाना चाहती थी । मेरा और कोई मद्दा नहीं है । मैं तो यह चाहती थी कि आपको पता चल जाए कि बेल के लिए लोग दरखास्त देते हैं और पुलिस कह देती है कि वह तो यहां आया ही नहीं । सब—जुडिस का सवाल ही नहीं आता, जब कह दिया जाता है कि हमारे पास आदमी है ही नहीं ।

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, किसी भी अदालत का हर हुक्म नकल की दरखास्त देकर लिया जा सकता है । Every document of the court is a public document and everybody can get a copy of

it. So the Government will not supply any information regarding any court paper.

Chaudhri Jai Sing Rathi : Why do we enter into legal arguments ? (Interruptions)

Shri Bansi Lal : I maintain my previous statement that this question should not have been admitted.

Mr. Speaker : Let me clarify, please let me make....

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सबमिशन करना चाहता हू कि इस सिलसिले में आप कोई राय जाहिर करें उससे पहले आप मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष : मैं राय नहीं दे रहा हूँ ।

चौधरी रणबीर सिंह : आपकी रूलिंग के बाद तो मैं बोल ही नहीं सकता ।

श्री अध्यक्ष : मैं रूलिंग नहीं दे रहा हूँ । Whatever I got from Shrimati Chandarvati's question was that there were cases of some persons though they had been brought to the Police Station but there was no case against them. When some persons went to the Police Station and asked for bail then they were told by the police that the man concerned was not there. That is the question, I think. They have not come to the court at all.

Shri Bansi Lal : The question is being put in a very different form. The question is :—

"(a) the total number of applications, if any, received

during the years, 1969-70 and 1970-71 to date separately in the courts of Magistrate and Sub-Divisional Magistrate, Dadri, where the petitioners or the lawyers had petitioned that the accused be released on bail; but the S.11.0., Dadri made reports thereon that the accused were not in his custody;

(b) the total number of such applications received in such different Courts in the State, Police Station-wise in each district during the said years separately; and

(c) if the replies of parts (a) and (b) above are lengthy the same be laid on the table of the house ?"

I would like to point out, Mr. Speaker, here that the question is very clear. This question relates to cases separately in the courts of Magistrates and Sub Divisional Magistrates. So the court cases cannot be discussed on the floor of the House. I am very clear about it.

श्री सत्य नारायण सिंगोल : स्पीकर साहब, इन्होंने रूल 46 (10) (11) और (12) का हवाला दिया ।

गृह मन्त्री (श्री के० एल० पोसवाल) : आप क्वेश्चन तो पढ़ लें

|

श्री सत्य नारायण सिंगोल : वह मैंने पढ़ लिया है ये हमेशा यू ही कह देते हैं । This is not sub-judice. It is before Magistrate and Sub Divisional Magistrate and not Judicial Magistrate or Chief Judicial Magistrate who are directly under the High Court while

Magistrate and Sub Divisional Magistrate are not under the High Court they are under the Government

Shri Bansi Lal : Naib Tehsildar as a Court is under the High Court.

Shri Satya Narain Syngol : They are appointed, transferred and every action is taken by the Government and the Government can very well ask them to supply this information. Secondly, Sir, sub-rule (12) of rule 46 lays down : -

"It shall not require information contained in documents ordinarily accessible to the public or in ordinary works of reference."

ये कह तो देते हैं कि वहां से नकल ली जा सकती है लेकिन इनको यह पता होना चाहिये कि सिवाये पार्टी के दूसरा कोई आदमी नकल नहीं ले सकता और तीसरे आदमी को दरखास्त देने का कोई अख्तियार नहीं है । चन्द्रावती जी का कोई केस नहीं है वह इन्फर्मेेशन इसे ले सकती हैं?

चौधरी रणबीर सिंह : यह बहुत सूक्ष्म सा सवाल था और इसका जवाब भी बहुत सूक्ष्म था । तुक साल में कितने केस हो सकते हैं, सात हो सकते हैं 15 हो सकते हैं और वे भी वे केस जिन के बारे में एस०एच० ओ० ने रिपोर्ट की और जिनकी जिम्मेदारी कोर्ट पर नहीं है बल्कि प्रान्तीय सरकार पर है या आई० जी० पर है ।

Shri Bansi Lal : I.G. is not under discussion. He has not recorded anything.

चौधरी रणबीर सिंह: मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे शान्ति से सुनें । सवाल में उन्होंने अलग अलग पार्टियों के नाम नहीं पूछे सिर्फ नम्बर पूछा है । मैं समझता हूं शायद मुख्य मन्त्री जी का इतना अच्छा राज्य है कि उसके उत्तर में एक भी नम्बर न हो

श्री बन्सी लाल : हां कोई नहीं है ।

चौधरी रणबीर सिंह : हालांकि मुझे एक केस की जानकारी है कि एक आदमी को थाने में बुलाया गया थाने से जब उसको छोड़ा गया तो उसका कत्ल हो गया है और उसकी इन्क्वायरी भी खुद रोहतक के एस०पी० कर रहे हैं खैर, मैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता । इसमें एक छोटी सी बात है कि अदालत के फैसले की नकल हम नहीं मांगते हैं । आप जानते हैं कि मैजिस्ट्रेट दो किस्म के होते हैं एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एक ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट । जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितने चाहिये इसके बारे में हाईकोर्ट सरकार से सलाह करता है और ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट कितने चाहिये इसका फैसला मुख्य मन्त्री और मुख्य सचिव करते हे, । उसके बारे में अगर खबर न हैं । कि कितने केस आये कितने डिसपोज आफ हुए, यह जानकारी की जानी चाहिये । यह सब— जुडिस नहीं है । मैं पंजाब के सदन की बात जानता हूं और पंजाब के सदन की कार्यवाही को भी जानता हूं.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस के अन्दर बाकायदा चेयर ने रूलिंग दी है । उस के बारे में जानकारी की जा सकती है कि किस अदालत में कितने

केस हैं । आप बेशक इसके बारे में पहले के स्पकिर्ज की रूलिंगज मंगवा लें ।

Shri Bansi Lal : I beg to disagree on this point that the Government can ask for any pending case in court. The Government can, of course know the number of cases pending, the number disposed of. etc. This case has gone to the police station. It is now a case of the court, which may be of an executive Magistrate or some other Magistrate.

Mr. Speaker : I think, there is some misunderstanding.

चौधरी रणीबर सिंह : पार्ट 'बी' में सिर्फ यह पूछा गया है कि थाने में कितनी दरखास्तें थीं ।

Mr. Speaker : I really want to clarify this position. So, let me complete my observation. As far as I can understand the question, it has nothing to do with the courts at all. What has happened is that certain persons were called to the Police Station. Some relatives of theirs had gone to take them out on bail. They had gone to the magistrate as well. They were told by the S.H.O. Police that they were not in his custody. That means that the case was not in the court. There is some misunderstanding.

Shri Bansi Lal : I would like to point out about that also. If there is no such case, it is unnecessary to waste the time of the House. There is a court and the person concerned can file a complaint with it. This House is no forum for that.

Mr. Speaker : This is an important question. Personally, I think there would be no case of this nature. In such cases, a person goes he says he wants his relative to be bailed out. The

magistrate calls the S.H.O. Police, who may say that the man is not there; he may have gone somewhere-else. It is often alleged that the man is with the police, but, in actual fact, he may not be there.

Shri Bansi Lal : I still beg to disagree. The question is quite clear. About courts, we cannot ask any question. If it were a matter with the Police, the position would have been different.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब यह आप की हिम्मत हुं बरदाश्त करने की मैं आप की रूलिंग चाहता हू इस मामले पर कि एक क्वेश्चन को जिसे, समय के अन्दर टेबल किया गया और आनरेबल स्पीकर ने उसे एडमिट कर नया, क्या सदन में खड़े होकर उसकी एडमिसेबिलिटी को कोई चेलेंज कर सकता है?

Mr. Speaker : About the earlier part, I had given my ruling. Let me give my ruling on this point. The Speaker's decision is equally binding whether given in the House or on a departmental I file. He is not bound to give reasons for his decisions. Members cannot criticise directly or indirectly, inside or outside the House, any ruling given, opinion expressed or statement made, by the Speaker. If a member desires to make a submission to the Speaker on the floor of the House regarding a ruling, the Speaker may permit the member to do so after satisfying himself that it does not unduly interfere with the proceedings of the House. The member making such a submission cannot criticize the decision but can seek elucidation on any point, or request the Chair to consider the ruling in the light of the facts submitted by him.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, आप ने बजा फरमाया है कि जो रूलिंग दी जाए उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, उस पर

कोई आग्युमेंट नहीं कर सकता । आपने यह बिल्कुल ठीक बात कही है और इस सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाये रखा है । लेकिन मुख्य मन्त्री जी फिर भी कहते हैं कि मैं आपछे डिफर करता हूँ । इनकी यह बात चेयर की रूलिंग को वैले` करने वाली बात है ।

Mr. Speaker : I have already given my ruling. The matter now ends.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मैं फील करता हूँ कि यह जो क्वेश्चन पूछ गया था इसमें मुख्य मन्त्री ने कहा कि कृउछ लोगों ने यह कह दिया, मुझे तो लज्जा आ रही है, मुख्य मन्त्री मेरे साथ सह मत होंगे कि उन्होंने कलनौर के थानेदार को इसलिए सस्पैड किया (व्यवधान)..... इनको जूरा मेरी तरह ऊंचा सुनता है । स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि वहां एक व्यक्ति नाजायज बैठाया हुआ था इसलिए मैंने पंडित फकीर चन्द को वहां से बदल के भेज दिया ।

Mr. Speaker : Chaudhri Lal Singh wanted to say something.

Shri Mengel Sein : Speaker Sahib, I have still to say something more. वह तो स्पीकर साहब अभी प्रिफैस ही था, दीबाचा था, मैंने तो अभी अपनी बात कहनी दे ।

Mr. Speaker : Let Dr. Mangal Sein complete his point.

श्री मंगल सैन : मैं यह औनैस्टनी फील करता हूँ कि यह जौ सवाल पूछा गया है इसके बारे में मुख्य मन्त्री साहब सदाका से उल्ट

बात नहीं कहेंगे । मुख्य मन्त्री साहब मुझसे ऐग्री करेंगे कि इन्होंने कलानौर के थानेदार को ससपैंड किया था ।

Mr. Speaker : Question-hour is over please.

3.00 P.M.

महन्त गंगा सागर : स्पीकर साहब मेरी अर्ज यह है कि आप तो यहां पर यह रिवाज डाल रहे हैं कि जो ज्यादा शोर करे उनको टाईम मिल जाता है और जो आराम से बैठने वाले हैं और चुप चाप कई बार आप रौ टाईम लेने के लिए खड़े भी होते हैं उनको टाईम नहीं मिलता । मैं आप' से रिक्वैस्ट करूंगा कि आयदा आप इस बात का ध्यान जरूर रखने की मेहरबानी करे ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : क्या अध्यक्ष महोदय को इस बात की चेतावनी दीजा सकती है कि वे आयंदा इस बात का ध्यान रखें ।

श्री अध्यक्ष : अदब के साथ कोई अगर रिक्वैस्ट करे तो उसका कोई हर्क नहीं । (विधन)

**WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON
THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45**

Distribution of Land to Landless Harijans.

***1210 Chaudhri Banwari Ram :** Will the Minister for Revenue be pleased to State :-

(a) the total acreage of land distributed to landless Harijans from 1-11-1966 to 30-11-1970; and

(b) the total acreage of land proposed to be distributed among landless Harijans during the current financial year together with the mode of distribution ?

राजस्व मंत्री (श्री नेकी राम) : (ए) वांछित सूचना निम्न प्रकार है:—

(1) फालतू भूमि = 3624 स्टैण्डर्ड एकड़

(2) नजूल भूमि = 3862 साधारण एकड़

(3) निकासी = 8381 स्टैण्डर्ड एकड़ (काबले काश्त)

4413 साधारण एकड़ (बंजर) तथा

3026 साधारण एकड़ (गैर मुमकीन)

(बी) फालतू भूमि व नजूल भूमि रू यह अनुमान लगाना कठिन है कि चालू वित्त वर्ष में कितनी भूमि हरिजनों को बांटी जाएगी । फालतू भूमि योग्य मुजारों को अलाटमेंट के जरिए अलाट की जाती है तथा नजूल भूमि केवल भूमिहीन हरिजनों को जो स्वयं काश्त करता हो, अलाट की जाती है ।

निकासी भूमि : चालू वित्त वर्ष में अनुमान है कि लगभग 8000 साधारण एकड़ भूमि हरिजनों में बाँटी जायेगे । भूमि निलामी के जरिए दी जाती है या जो हरिजन खरीफ 1960 से या उससे पहले इस जमीन की लगातार काश्त करते रहे हो, उन्हें हस्तांतरण की जाती है ।

Presentation of Money Garlands to Ministers.

***1180. Lala Balwant Rai Tayal : Will the Chief Minister** be pleased to state : -

(a) the names of the places where Ministers of the State have been welcomed by presenting purses and money garlands to them during the period froth 1st January, 1970 to 31st January, 1971 together with the amount of money so presented to each of them separately at each of these places; and

(b) whether each of the Minister has deposited the said presented money in the State Exchequer; if so, the dates of such deposits; if not, the reasons therefor ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Money purses and garlands are presented to the Ministers in their capacity as members of the Congress party and not as Ministers and this money is accordingly deposited in the Congress Office.

T. A./D. A. Drawn by Ministers/Ministers of State/ Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries.

***1215. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state : -

(a) the total amount of T.A./D.A. drawn by each of the Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries, month-wise, during the year 1970-71;

(b) the total number of private houses taken on rent for the use of dignitaries referred to in part (a) above in addition to the Government houses together with the amount of monthly rent being paid in respect thereof;

(c) the names of the owners of the private houses

referred to in part (b) above together with the amount of monthly rent being paid to them in each case; and

(d) the total expenditure incurred on the items of furniture, maintenance and Coolers etc., separately in respect of each of the above mentioned Government and private houses during the year 1970-71 ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) :

(a) A statement giving the information is laid on the table of the House (Annexure 'A').

(b) Eleven with a total monthly rent of Rs. 9075/-

(c) A statement giving the information asked for is laid on the table of the House (Annexure 'B').

(d) A statement giving the information is laid on the table of the House (Annexure 'C').

Annexure 'A'

Statement showing T.A./D.A. drawn by Ministers/D.M./Chief of Parliamentary Secretary during the year 1970-71.

	Name of the Minister	April, 1970	May, 1970	June, 1970	July, 1970	August, 1970	Sept. 1970	October, 1970
1.	Shri Bansi Lax, C.M.	700-00	490-00	280-00	770-00	140-00		--
2.	Shrimati Om Prabha Jain, F.M.	805-00	6092-35	770-00	805-00	455-00	665-00	525-00
3.	Shri K.L. Poswal, H M.	665-00	631-00	648-50	--	1585-00	1960-00	--
4.	Shri Khurshid Ahmed, H.I.M.	770-00	613-50	525-00	2014-00	210-00	735-00	2129-25
5.	Shri Ran Singh, P.W.M.	700-00	1225-00	525-00	805-00	560-00	1621-00	665-00
6.	Shri Ram Dhari Gaur, I.P.	595-00	1190-00	560-00	1015-00	280-00	525-00	1567-00

	M.							
7.	Shri Mahabir Singh, TX.	735-00		840-00	1050-00	455-00	945-00	2041-75
8.	Shri Abdul Ghaffar Khan, L.M.	455-00	560-00	560-00	280-00	315-00	350-00	315-00
9.	Shri Maru Singh, Malik, E.M.	455-00	1225-00	570-75	735-00	630-00	420-00	595-00
10.	Shri Harpal Singh, I.M.	--	700-00	490-00	630-00	315-00	210-00	595-00
11.	Shri Rajinder Singh, S.M.	805-00	630-00	560-00	--	1260-00	595-00	770-00
12.	Shri Neki Ram, R.M.	525-00	770-00	490-00	700-00	490-00	735-00	700-00
13.	Shri Sarup Singh, C.T.M.	315-00	770-00	280-00	735-00	350-00	595-00	630-00
14.	Shri Bhajan Lal, A.M.	595-00	840-00	700-00	840-00	455-00	490-00	805-00
15.	Shri Prahhu Singh, D.M.	525-00	910-00	560-00	490-00	315-00	665-00	770-00
16.	Shri Ram Parkash, D,M.J.	1482-75	805-00	910-00	840-00	770-00	665-00	167-85
17.	Shri Jaswant Singh Chauhan, D.M.I.P.	735-00	700-00	612-50	935-00	455-00	910-00	770-00

18.	Shri Goverdhan Dass D.M.P.W	735-00	1155-00	700-00	945-00	840-00	805-00	1965-00
19.	Shri Piara Singh, D.M.T.	840-00	945-00	665-00	840-00	700-00	735-00	875-00
20.	Shrimati Sharda Rani, C.P.S.							

	Name of the Minister	November, 1970	December, 1970	January , 1971	Februar y, 1971	March, 1971	Total 1971
1.	Shri Bansi Lal, C.M.						2,380-00
2.	Shrimati Om Prabha Jain, F.M.	700-00	560-00	945-00		385-00	12,707-35
3.	Shri K.L. Poswal, H.M.	1954-75	1309-00	1050-00		1087-00	10,890-25
4.	Shri Khurshid Ahmed, H.I.M.	455-00	875-00	1050-00	350-00	560-00	10,286-75
5.	Shri Ran Singh, P.W.M.	770-00	805-00	875-00	--	1610-00	10,161-00
6.	Shri Ram Dhari Gaur, I.P.M.	735-00	700-00	1015-00	560-00	350-00	9,092-00
7.	Shri Mahabir Singh, T.M.	665-00	1085-00	1155-00		1353-75	10,325-50

8.	Shri Abdul Ghaffar Khan, .M.	1001-75	542-50	350-00	210-00	560-00	5,499-25
9.	Shri Maru Singh Malik, E.M.	910-00	638-75	1085-00	420-00	665-00	8,349-50
10.	Shri Harpal Singh, I.M.	490-00	735-00	805-00		455-00	5,425-00
11.	Shri Rajinder Singh, S.M.	595-00	770-00		--	1610-00	7,595-0012.
12.	Shri Neki Ram, R.M.	665-00	857-50	735-00	—	490-00	7,157-50
13.	Shri Sarup Singh. C.T.M.	490-00	770-00	700-00		420-00	6,055-00
14.	Shri Bhajan Lal, A.M.		2137-25	735-00		420-00	8,017-25
15.	Shri Parbha Singh, D.M.	630-00	595-00	980-00		630-00	7,070-00
16.	Shri Ram Parkash, D.M.J.	630-00	752-50	805-00	105-00	805-00	10,243-10
17.	Shri Jaswant Singh Chauhan, D.M.I.P.	700-00	875-00	1050-00	735-00	525-00	9,002-50
18.	Shri Goverdhan Dass, D.M.P.W.	1300-00	980-00	1120-00	280-00	805-00	11,630-75

19.	Shri Piara Singh, D.M.T.	735-00	840-00	980-00	595-00	770-00	9,520-00
20.	Shrimati Sharda Rani, C,P.S.	--	--	945-00	--	805-00	1,750-00
					GRAND TOTAL		1,63,157-70

Annexure 'B'

The names of the owners of Private House referred to in part (b) of the question and the amount of monthly rent being paid to them is as under :

Sr. No.	Location of the House	Name of the owner	Monthly Rent.
1	118/Sec.8-A	Smt. Bimla Rani	Rs.600/-
2	62/Sec.8-A	Smt. Rauwant Kaur	Rs.975/-
3	50/Sec.27-A	Mrs. Jaimar Singh	Rs. 900/-
4	66/Sec.5-A	Shri Balwant Singh	Rs. 900/-
5	1634/Sec.7-C	Lt. Col. Gurdial Singh	Rs. 700/-
6	1657/Sec.7-C	Sh. Pohlo Singh	Rs. 800/-
7	18/Sec.2-A	Smt. Ajmer Kaur	Rs. 850/-
8	40/Sec.2-A	Sh. Teja Singh	Rs. 750p-
9	45/Sec. 9-A	Smt. Lily Jain	Rs. 1000/-
10	117/Sec. 10-A	Sh. Jasmir Singh Sh. Shamsheer Singh	Rs. 700/-
11	238/Sec. 9-C	Sh. G.S. Dhillon	Rs. 900/-

Annexure 'C'

The total expenditure incurred on the items of furniture/Maintenance and Coolers etc. separately in respect of

each of the Government and Private house during the year 1970-71 was as under :-

Government houses (belonging to Chandigarh Union Territory)

Sr. No.	Location of the House	Expenditure Furniture	incurred during Maintenance	1970-71 Cooler etc.
			Rs.	Rs.
1	1/Sec. 3		4031-68	11804-50
2	2/Sec. 3		1805-44	
3	49/Sec. 2	-	2847-24	-
4	50/Sec. 2	-	3384-23	-
5	79/Sec. 7	-	2645-83	
6	48/Sec. 2	-	1614-46	-
7	4/Sec. 3	-	2189.96	
8	76/Sec. 7	-	2302-96	--
9	78/Sec. 7	--	1296-96	--
10	68/Sec. 7	--	1480-80	-
11	72/Sec. 7	-	2194-83	--

Private Houses taken on rent.				
1	118/Sec. 8-A	8863-00	6024-42	10645-06
2	65/Sec. .5- A50/Sec. 27-A	8863-00	5985-42	10645-06
3	66/Sec. 5-A	8863-00	633242	10645-06
4	62/Sec. 8-A	8863-00	6861-42	10645-06
5	1657/Sec.7-C	8863-00	6700-42	10645-06
6	45/Sec.9-A	8863-00	6197-42	10645-06
7	117/ Sec. 10- A	8863-00	6075-42	10645-06
8	1634/Sec.7-C	8863-00	5629-42	10645-06
9	18/Sec.2-A	8863-00	7100-42	10645-06
10	40/Sec.2-A	8863-00	6327-42	10645-06
11	238/Sec.9-C	-	93.00	-

**Allotment of Stainless Steel Quotas for Manufacturing
Hospital Wares.**

***1217 Dr. Rameshwar Dass Gupta :** Will the Minister for Industries be pleased to state :-

a) the names of the firms or persons to whom stainless steel quotas were allotted for manufacturing hospital wares during the years 1967-68, 1968-69 and 1969-70 separately ;

b) the quantity of the quotas so allotted to each firm or person referred to in part (a) above together with the average rate per K.G. at which the stainless steel was supplied to each of them ;

c) the type of hospital wares manufactured by each firm or person referred to in part (a) above together with the total quantity of hospital wares supplied to hospitals ;

d) the average rate per K.G. at which the hospital wares were sold by the firms or persons referred to in part (a) above, and

e) the list of hospitals and firms to which hospital wares were supplied by the manufacturers referred to in part (a) above ?

उद्योग मंत्री : (श्री हरपाल सिंह) (ए) से (ई) आवश्यक सूचनाओं सहित विवरणा सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ।

STATEMENT

Sr. No.	Name of the firms allotted S.S. Sheets for manufacture of Hospital Wares	Particulars of allotment		Average rate per K.G. (Rs.)	Items of manufacture.	Total qty. of per hospital wares supplied to Hospital	Average rate K.G. charged for the end Product		List of hospitals and firms to which hospital wares were supplied.
		Period	Qty. Allotted.						
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	M/s. New India Tin	1967-68	—	—	—				
	Buckets &	1968-69	0.350 MT	18/-per	Sterlizer	Nil	Rs.27/-		M/s. Universal

	General								
	Manufacturers			k.g. approx.	parts.				Sales & Suppliers,
	Kaithal.	1969-70	0.125 MT	-do-					Delhi.
2.	M/s. Hem Overseas	1967-68	—	—	—				
	Auto Industries,	1968-69	0.280 MT	-do-	Bowls	Nil			M/s. Shanker Lal
	Kaithal (Karnal)	1969-70	0.100 MT	-do-			Rs.33/-		Krishan Chand &
									Sons, Jagadhri.
3.	M/s. Puran Chand	1967-68	--	—	—	-			
	Sarwan Kumar,	1968-69	0.350 MT	-do-	Bowls	Nil	Rs.30/-	1.	M/s. Jiya Lal Sumer

									Chand, Delhi.
	Kaithal,	1969-70	0.125 MT	-dc-				2.	M/s. Budh Singh & Sons, Delhi.
4.	M/s. Bharat General	1967-68	--			-			
	Mills, Kaithal.	1968-69	0.280 MT	-do-	Sterlizers	Nil	Rs. 31/-	1.	M/s. Kumar Bros. Kaithal.
		1969-70	0.100 MT	-do-				2.	M/s. Jiya Lal, Sumer Chand, Delhi
5.	M/s. Relan General	1967-68	--	--	Factory is lying	--	--		—
	Mills, Kaithal.	1968-69	0.280 MT	-do-	now closed and				
		1969-70	0.100 MT	-do-	as such informa-				

					tion is not available at present.				
6.	M/s. Jai Industries,	1967-68	--	--	--	--	--		
	Kaithal	1968-69	0.560 MT	18/-)	Tongue Spatula	Nil	Rs. 34/-		M/s. Hirjee Vallabh
		1969-70	0,200 MT	-do-)					Dass, Bombay.
7.	M/s. National Steel	1967-68	--	--	--	--	--	1	M/s. Industrial
	Industries, Bahadur-	1968-69	1.400 MT	-do-)	Bowls &	Nil	Rs. 30/-		Products Distributors
	garh. (Rohtak)	1969-70	0.500 MT	-do-)	Sterlizers				(P) Ltd. Delhi.
								1	Mis. Baldev Singh

									& Sons, Sadar Bazar, Delhi.
								2	M/s. Surgical Sales Corp., Delhi.
								3.	M/s. Sen Corp., Kucha Seth, Delhi.
								4.	M/s. Kamal Surgical Co., Bhagirath Place, Delhi.
								5.	M/s. Western Surgical Co., Bhagirath Place, Delhi.
								6.	M/s. Pioneer Surgical Co., Bhagirath Place, Delhi.

8.	M/s. J.S. Sumer Chand	1667-68	--	--	--	--	--		
	Jain now changed to	1968-69	0.280 MT	-do-	Bowls & Plates	Nil	Rs. 34/-		M/s. Sumer Chand
	M/s. Delite Metal Products, Rohtak.	1969-70	0.100 MT	-do-	Not utilised. Lying in stock with party.				Jain, Delhi.
9.	M/s. Raghuvir Group	1967-68	--	--	-.	-	--		-
	of Industries,	1968-69	-	-	-	--	--		-
	Cbarkhi Dadri (Mohin dergarh).	1969-70	0.186 MT	Rs.18/-	Bowls	Nil	Rs.33.92/-	1.	M/s. Amar Jyoti Works, Delhi.
								2.	M/s. Jiya Lal,

									Sumer
									Chand, Delhi.
								3.	M/s. Gandhi Metal, Rewari.
								4.	M/s. Puran Parkash
									Shiv Narain, Dadri.
								5.	M/s. Mahesh Chand
									& Sons, Dadri.
10.	-Ws. Hind Cottage	1967-68	--	—	--	--	—		
	Industries, Sonipat	1968-69	0.420 MT	Rs.18/-	Steel Top for	Nil	Rs. 21.59/-	1	M/s. Industrial
	Distt. Rohtak.	1969-70	0.150 MT	-do-	Bed side		Rs.		Export

					locker		23.50/-		Corporation, Gurgaon.
								2	M/s. Parduman Kumar, Vi nay Kumar Delhi.

Grant for the Construction of House.

***1221 Chaudhri Jee Sukh** Will the Minister for Development be pleased to state:

(a) the total amount of grant given for the construction of houses by the Social Welfare Department in district Gurgaon and in Tehsil Rewari, during the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 (upto 30.6.71);

(b) the total number, names and addresses of the recipients of the grant referred to in part (a) above;

(c) whether it is in the notice of the Government that there are cases where the grant referred to in part (b) above has not been utilized for the purpose by the recipients; and

(d) if so, the action taken by the Government in the matter ?

Development Minister (Shri Prabhu Singh) :

(a) No grant is given by the Social Welfare Department Haryana for the construction of houses.

b, c, d] Question does not arise.

Case under Section 107151 Cr. P. C.

***1252 Rao Dalip Singh** : Will the Minister for Home be pleased to state :

(a) the total number of cases registered and challaned u/s 107/151 Cr. P. C. in Tehsil Mahendergarh from 1.2.71 to 1.7.71;

(b) the total number of respondents/accused challaned u/s 107/151 Cr. P. C. as referred to in part (a) above who were not released on bail at the time the challans were presented;

(c) the period for which each of the said respondents/accused was not released on bail; and

(d) whether any complaint has been received by the Government against the Sub-Divisional Officer-cum Superintendent Jail, Mahendergarh regarding forced labour and torture of under-trial respondents or ac-used ?

Home Minister (Shri K. L. Poswal) :

(a) The total number of cases registered and challaned u/s 107/151 Cr.P.C. in Tehsil Mahendergarh from 1.2.71 to 1.7.71

60

(b) the total number of respondents/accused challaned u/s 107/151 Cr.P.C. as referred to in part (a) above who were not released on bail at the time the challans were presented

120

(c) the period for which each of the said respondents/accused was not released on bail; and

2 released on the same day.

26,, after 1 day.

45,, after 2 days,

18,, after 3 days.

2 „ after 5 days.

1 „ after 8 days.

26,, after 9 days.

(d) whether the complaint has been received by the Government against the Sub-Divisional Officer-cum-Superintendent Jail Mahendergarh regarding forced labour and torture of under trial respondents or accused

Yes.

Irrigation Facilities.

*1253 Shri Daya Krishan : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the additional irrigation facilities which the Government proposes to provide to the cultivators during the next one and a half, years;

(b) the details of such facilities;

(c) the total area of land which remains un-irrigated or under-irrigated in the State at present; and

(d) the steps taken or proposed to be taken by the Government to get all the cultivated land irrigated in the State and within what period ?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur)

(a), (b), (c) and (d)., A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The following main projects are in hand to provide additional irrigation facilities to the cultivators in the next 1 and 1/2 years :--

1. W.J.C. Augmentation Project.
2. Jui Canal Project.
3. Loharu Canal Project (I-Stage)
4. Siwani Canal Project (I-Stage)
5. Bibipur Lake Project
6. Gurgaon Canal Project.
7. W.J.C. Remodelling Project. (Parallel Delhi Branch).

(b) The Augmentation Canal Project is intended to supplement the discharge in the Western Jamuna Canal System, and it is expected that by Rabi, 1973, an additional supply of about 973 Cs. will become available, through the tubewells to be installed in the area between the existing canal and river Jamuna.

Jui, Loharu and Siwani Canal Projects are lift irrigation Schemes and will provide irrigation facilities in the drought affected areas of Haryana adjoining Rajasthan. The capacity of Jui Canal is 250 Cs., Loharu Canal (Est Stage) is 400 Cs. and Siwani Canal

(1st Stage) 110 Cs. These Projects will cover a C.G.A. of about 2.00 lacs acres.

The work on Gurgaon Canal Project is almost complete.

The Gurgaon Canal will extend irrigation to Cover 3.25 lacs acres in the district of Gurgaon. It will carry a- discharge of 2100 Cs. at the Head, out of which 1600 Cs. will be utilized in Haryana and 500 Cs; in Rajasthan. It has not run with full supply discharge due to shortage of supplies. Irrigation will be extended further on availability of Ravi-Beas Waters to Haryana.

Bibipur Lake Project would enable extension of Irrigation facilities to 97662 acres, C..A. The level of the lake would be raised from 812 to 822. i. e. by 10 feet.

Lining of Parallel Delhi Branch will be completed by the end , of this year. It shall prevent waterlogging and save absorption losses to the extent of 150 Cs. and would improve the Irrigation in W.J.C. tract.

(c) Total area of land which	
is un-irrigated at present :	31.00 lac acres.
Total area of land that is	
under-irrigated at present :	34. 5 lac acres.

(d) The first step to bring the entire cultivated area in the State under irrigation is to secure more supply of water. Efforts are being made in this connection to get due share for the State in surplus Ravi-Beas as well as in the Kishau Dam and other storages proposed on river Yamuna and its tributaries. Simultaneously, more and more lift Irrigation Schemes, to cover the arid lands in the State are being conceived and executed. Jui Canal has been completed this year and so is the first stage of (Loharu) Indira Gandhi Canal, Sewani Canal has also been taken up recently and it is expected to extend irrigation to this area by July next year.

In the areas which cannot be irrigated from Canals, the possibility of extending tubewell irrigation is being explored. The Haryana State Minor Irrigation (Tubewells) Corporation propose to instal about 900 tubewells by March, 1973. Some of thew tubewells will be for augmentating suupplies in the canals, while others will be for direct irrigation,

Burning of three phase meters.

***1192 Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power- be pleased to state :-

(a) the total number of three phase meters burnt on site, division-wise during the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71, separataly together with the reasons therefor ;

(b) the total number of meters, out of those referred to in part (a) above, repaired so far together with the expenditure incurred thereon : and

(c) the total number of three phase meters which could not be repaired so far ?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) :

(a) (b) and (c) : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a)

	Division	No. of three phase meters burnt.

		1968-69	1969-70	1970-71
1.	Ambala	80	43	72
2.	Jagadhri	199	232	70
3.	Shahbad	74	97	113
4.	Kurukshetra	61	128	52
5.	Panipat-I	10	23	4
6.	Panipat-II	15	15	4
7.	Karnal	15	89	30
8.	Karnal Sub.	--	80	31
9.	Kaithal	9	53	14
10.	Hissar	58	24	79
11.	Fatehabad	--	--	26
12.	Sirsa	--	--	7
13.	Hanoi	--	--	38
14.	Bhiwani	30	2	16
15.	Delhi	16	120	132
16.	Sonepat	18	26	147
17.	Gurgaon	49	70	1
18.	Rewari	4	83	29

19	Faridabad	93	50	121
20	Ballabgarh	--	179	45
21	Palwal	--	--	95
22	Rohtak	55	33	64
23	Jajjar	15	15	73
24	Dadri	30	4	105
25	Narnaul	2	--	67
26.	Jind	35	50	55
		Total 868	+ 1416	+ 1490 =3774

The reasons are as follows :--

(i) Leakage of rain water into the meter through the premises of consumer.

(ii) Unauthorised extension in load with the result that the meters become over loaded and get burnt;

(iii) Defects in the consumer's installation:

(iv) Tampering of meters by the consumers,

(b) The No. of meters repaired so far is 1271 and the expenditure incurred is Rs. 42,684,

(c) 2,503

Cases Regarding Chandigarh Agitation.

***1201. Shri Mangal Sein** Will the Minister for Home be pleased to state the number of cases pending in the courts against the persons involved in the Chandigarh agitation in Haryana State togetherwith the names of persons involved therein and the stage of each case ?

Home Minister (Shri K.L. Poswal) : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be derived.

State Advisory/Secretariat Level Committees.

***1237. Shrimati Chandravati :** Will the Chiet Minister be pleased to state :

(a) the total number of State Advisory Committees including all the Committees on Secretariat level which consist of M.L.As and other non-official members ; and

(b) the year-wise total expenditure incurred on the Committees referred to in part (a) above during the period from 1968 to 1971 todate ?

मुख्य मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे विशेष लाभ न होगा ।

**Scholarships to Students belonging to. Scheduled
Castes/Tribes**

***1211 Chaudhri Banwari Ram :** will the Minister for EducaItion be pleased to state :

(a) the total amount earmarked for awarding Pre-Matric and Post-Matric scholarships to students belonging to Scheduled

Castes/Tribes during the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71;

(b) the total amount actually utilized and distributed for the purposes during the last year ; and

(c) the reasons for the shortfall, if any, in disbursement and the steps taken or proposed to be taken by the Government in the matter ?

Education Minister (Shri Maru Singh Malik):—.

(a) Amount earmarked.

1968-69 Rs. 29,81,000

1969-70 Rs. 38,85,000

1970-71 Rs. 45,19,302

(b) Amount utilised, during the last year was 42,97,172/-

(c) The shortfall in the expenditure is due to the fact that the heads of institutions could not draw the amount sanctioned from the treasuries concerned before the close of the year. The heads of institutions have been instructed to take prompt action in this connection so that no amount lapses in future.

Election to Municipal Committees in the State.

***1216 Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister for Health be pleased to state :

(a) the total number of Municipal Committees in the State ;

(b) the total number of municipal committees which have been superseded by the Government and where Administrators have been appointed together with the name of such Administrator in each case ;

(c) the names of the municipal committees in the State elections to which were held more than three years ago ;

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to hold elections to the above mentioned superseded municipal committees or to those municipal committees in whose case a period of three years has already expired or is going to expire in 1971-72 since elections thereto were held last, if so, the names of such municipal committee and the time by which elections thereto will be held ; if not, the reasons therefor ?

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed) :

(a) 59 Municipal Committees and 6 Notified Area Committees.

(b) & (c) Information is given in Annexures I and II laid on the Table ;

(c) Yes. Elections to these municipal committees are proposed to be held in batches. Elections to the following municipal committees are expected to be held in November, 1971-;

1. Karnal.
2. Kaithal.
3. Shahhad.
4. Panipat.

5. Gohana.
6. Sirsa.
7. Tohana.
8. Jakhal.
9. Fatehabad.
10. Kalka.
11. Palwal.
12. Ferozepore Jhirka.
13. Hodal.
14. Farrukhnagar.
15. Hailey Mandl.
16. Pataudi.
17. Pehowa.

Elections to the rest of the committees will be held thereafter.

Annexure I

Sr. No.	Name of the superseded municipal committees.	Name of the Administrator.
------------	---	----------------------------

1	Rohtak	Shri R.S. Aggarwal H.C.S.
2	Sonepat	Shri R.K. Taneja, H.C.S.
3	Bahadurgat h	Shri Chuni Lal Malhotra, of Civil Secretariat.
4	Thanesar	Shri Wadhwa Ram Dua of Civil Secretariat.
5	Ambala City	Shri P.P. Chabra, H.C.S.
6	Yamunanagar	Shri J.S. Chopra, H.C.S.
7	Mandi Dabwali	Shri O.P. Vaid, Tehsildar.
8	Hissar	Shri M.P. Jain, of Excise and Taxation Office.
9	Hansi	Shri Jainendra Kumar, I.A.S., Sub-Divisional Officer (Civil).
10	Loharu	Shri S.P. Mittal. H.C.S. Sub-Divisional Officer (Civil).
11	Narnaul	Shri Hoshiar Singh, H.C.S. G.A. to Deputy Commissioner.
12	Gurgaorr	Shri Rattan Singh, H.C.S.,
13	Sohna	Shri Prahlad Singh, Block Development and Panchayat Officer,
14	Rewari	Shri Kuldip Raj Kochchar of

		Civil Secretariat.
15	Nuh	Shri Khem Ram of Deputy Commissioner's Office, Gurgaon.
16	Ballabgarh	Shri B.L. Gauba of Civil Seat
17	Faridabad Old	Shri P.K. Gaur, H.S.S.
18	Safidon	Shri Balbir Singh, H.C.S. Sub-Divisional Officer (Civil);

Annexure II

Sr. No.	Name of municipal committee.	Date of last election,
1	Rohtak	10.3-1968
2	Sonepat	27-2-1961
3	Bahadurgarh	15-1-1965
4	Jhajjar	7-7-1968
5	Gohana	10-3-1968
6	Meham	10-3-1968
7	Hissar	20-2-1965
8	Sirsa	10-3-1968
9	Hansi	4-6-1964
10	Dabwali	26-8-1964

11	Tohana	10-3-1968
12	Jakhal	10-3-1968
13	Loharu	10-3-1968
14	Kalanwali	10-3-1968
15	Fatehabad	10-3-1968
16	Uklana Mandl	15-64964
17	Gurgaon	21-8-1964
18	Faridabad Township	10-3-1968
19	Rewari	10-3-1968
20	Palwal	1 0-3-1968
21	Ferozepore Jhirka	10-3-1968
22	Farrukhnagar	10-3-1968
23	Faridabad Old	25-8-1964
24	Bawal	21-2-1961
25	Hodal	29.8-1964
26	Hailey Mandi	7-7-1968
27	Pataudi	7-7-1968
28	Sohna	19-12-1964
29	Nuh	9-9-1964

30	Ballabgarh	25-8-1964
31	Karnal	24-2-1961
32	Thanesar	7-7-1964
33	Pehowa	22-6-1964
34	Kaithal	10-3-1968
35	Panipat	10-3-1968
36	Shahbad	10-3-1968
37	Pundri	10-3-1968
38	Ladwa	10-3-1968
39	Gharaunda	10-3-1968
40	Radaur	10-3-1968
41	Am bala City	3-8-1964
42	Yamunanagar	10-3-1968
43	Jagadhari	10-3.1968
44	Chachhrauli	10-3-1968
45	Buria	10-3-1968
46	Sadhaura	10-3-1968
47	Kalka	7-7-1968
48	Mahendragarh	10-3-1968

49	Chark hi Dadri	10-3-1968
50	Ateli.	10-3-1968
51	Kanina	10-3-1968
52	Jind	10-3-1968
53	Narwan a	10-3-1963
54	Uchana	10-3-1968
55	Jul ana	10-3-1968

**Complaint against Attock District Cooperative
Housing**

Society.

***1218. Dr. Rameshwar Dass Gupta :** Will the Minister for Excise & Taxation be pleased to state :

(a) whether any complaint against the admission of unauthorised persons as members of Attock District Cooperative Housing Society Ltd., Yamuna Nagar and evasion of stamp duty have been received ;

(b) if so, the enquiry, if any, made or proposed to be made into the affairs of the said society and its Managing Committee together with the action taken or proposed to be taken against the persons found guilty as a result thereof ; and

(c) whether there is any complaint that the plots/houses have been fraudulently transferred by the society to the persons who did not migrate from the West Pakistan, if so, the

steps taken to rescind the said transfers and the legal steps taken against the transferes.

Excise & Taxation Minister (Shri Sarup Singh) :

(a) Yes.

(b) A preliminary enquiry has been held and it has revealed that the matter requires a through probe and it will, therefore, take some time to find out the irregularities, Assistant Registrar, Cooperative Societies, Yamunanagar, is accordingly enquiring into the matter.

(c) In the complaint mentioned at (a) above it has been alleged that one plot has been fraudulently transferred to a person who had not migrated from West Pakistan. The preliminary enquiry has revealed that this allegation is not based on facts.

Grant given by the Social Welfare Department.

***1222. Chaudhri Jee Sukh :** Will the Minister for Development be pleased to state :

(a) the total amount of grant given by the Social Welfare Department from 1969-70 to date together with the names of different items for which the said grant was given and the amount so given for each item ; and

(b) the full details of the recipients of the said grant ?

Development Minister (Shri Prabhu Singh) : (a & b) The requisite information as in the attached statements for the years 1969 -73 and 1970-71 is laid on the table of the house. As for the year 1971-72, so far grant of Rs. 35,000/- has been sanctioned in

favour of Child Welfare Council, Haryana for the purchase of a car.

STATEMENT SHOWING THE NAME °OF INSTITUTIONS,
AMOUNT AND THE PURPOSE OF GRANT-IN-AID SANCTIONED
DURING THE YEAR 1969-70.

Sr. No	Name of the Institution.	Amount	Purpose.
1	Social and Moral Hygiene, Chandigarh.	7500/-	For maintenance of their activities.
2	District Council for Child Welfare, Ambala	2000/-	Running of Balwadi & Craft Centre.
3	S.D. Institute for Blind, Ambala.	50007-	Running of Institution.
4	Blind Institute, Hissar.	80001-	-do-
5	Gandhi Study Circle, Arnkala.	15001-	Running of Balwadi.
6	National Embroidery & Tailoring Centre, Taraori.	1600/-	Running of Craft Centre.
7	Saket Council.	25000!-	Maintenance of Hospital & allied activities.
8	Public School, Hissar.	2000/-	Running of Balwadi.
9	Sarvodya Mandal	4600/-	Running of Balwadi

	Hissar.		& Dispensary.
10	State Council for Child Welfare, Chandigarh.	5000/-	For maintenance of one Distt. Br. & other activities & tour of Org. Secy. Abroad.
11	R. S. Chaudhri Partap Singh, Library, Karnal.	5000/-	Running of Children Library.
12	Bhagwat Bhakti Ashram, Rewari.	2000/-	Maintenance of Eye-Camp.
13	State. Social Welfare Advisory Board,	26000/-	For Maintenance of office.
14	A.S. High School, Pundri.	1800/-	Running of Balwadi.
15	Sarswati Shishu Mandir, Faridabad.	1000/-	For maintenance of Nursery School.
16	Bhiwani Orphanage, Bhiwani.	2000/-	Running of Institution.
17	Bal Bhawan, Madhuban.	55000/-	For Maintenance of Institution-

18	S.D. Punjab Mahabir Dal, Sha zadpur, Ambala.	2000/-	Running of Eye camps.
19	Sewa Samiti Junior model, School, Ambala.	2000/-	Purchase of equipment for Balwadi etc.
20	Prachin Kala Kendara, Chandigarh.	1000/-	To cover expdr. on organizing examination.
21	Bal Shiksha Kendar, Kaithal.	5000/-	Running & development of Balwadi.
22	Yoga Parsar Sabha, Yamuna Nagar.	500!/-	For maintenance of activities of Institution.
23	Sweepers Union, Hissar•	1000/-	Running of Nursery Classes.
24	Indira Holiday Home, Chandigarh.	18000/- 10000/-	For holding camps.
25	Lepers Children Coloney (Through Child Welfare Council, Chandigarh.)	52000/-	For construction of buil. ding for the home.

26	Ba-Bapu Shiksha Samiti, Kaithal.	10000/-	Construction of Hostel,
27	Adarsh Jain Shishu Mandir, Sadhora (Ambala)	1500/-	For Running of Balwadis,
28	Gandhi Peace Foundation Centre, Ambala Cantt	2000/-	For running of Library,
29	Halwasia Shishu IV] andir Bhiwani (Hissar.)	2000/-	For running of Institution.
30	Patient Welfare Society, Hissar.	1000/-	Maintenance of patients.
31	Education Society, Hodel (Nursery Side.)	2000/-	Running of Balwadis, & purchase of furniture,
32	Education Society, lode] (Adult Side.)	50001-	Running of women's Adult classes & purchase of equipments.
33	Nehru Memorial Society, Jind.	5000/-	Construction of Stadimum etc,
34	Happy Nursery School, Jind,	2000/-	Running of Balwadi.

35	State Social Welfare Advisory Board, Chandigarh.	20001-	For maintenance of office.
36	Lajpat Rai Bhawan, Chandigarh.	25000/-	Construction of building
	Total :-	3,04,000/-	for the Library,

STATEMENT SHOWING THE NAME OF INSTITUTIONS, AMOUNT AND THE PURPOSE OF GRANT-IN-AID SANCTIONED DURING THE YEAR 1970-71.

Sr. No.	Name of the Institution	Amount	Purpose.
1	District Child Welfare Council, Ambala.	55,000/-	Construction of Bal Bhawan.
2	-do-	-	
2	-do-	2,000/-	Running of Balwadi & Craft Centre.
3	Gandhi Peace Foundation A Ambala.	1,500/-	Bunning of Library:
4	Gandhi Study Circle, Ambala,	1,500/-	Running of Balwadi.
5	S.D. Institute for the Blind, Ambala Cantt,	7,000/-	Running of Institution.
6	Seim SaMati Junior Model School, Ambala Cantt.	2,000/-	Purchase of equipment for Balwadi &

			construction work.
7	All India Sewa Samati, Ambala Cantt.	4,000/-	Running of Balwadi at Ambala & Faridabad & Mela Activities.
8	Children Home, Chhachhroli	20,750/- 69,270!-	For construction work of Building.
9	-do-	20,000/-	Maintenance of Institution.
10	Punjab Mahabir Dal, Shahzadpur (Ambala.)	1,500/-	Running of Eye Camps.
11	Adarash Jain Shishu Bal Mandir, Sadhora.	1,000!-	For Running of Balwadi.
12	Yoga Parsar Sabha, Yamuna Nagar.	500!-	To maintain the activities of Institution.
13	Ba-Bapu Shiksha Samiti, Kaithal.	15,000/-	Construction of Building.
14	Bal Shiksha Samiti, Kaithal.	11,000/..	Running & Develop. went of Balwadi.
15	Chuni Lal Shobba Ram	2,000/-	Running of Balwadi.

	Middle School, Kaithal.		
16	National Embroidery and Tailoring Centre, Taraori.	2,000/-	Running the Craft Centre.
17	R.S. Partap Singh Library, Kama.	2,000/-	Running of Children's Library.
18	A.S. High School, Pundri.	1,800!/-	Running of Balwadi.
19	Sarodaya Ashram, Daya (Hissar.)	4,000/-	Running of Balwadis & Dispensary.
20	Patient Welfare Society, Hissar.	2,0001-	Maintenance of Patients.
21	Public School, Hissar,	3,000/.	Running of Balwadi.
22	Bliiwani Orphanage, Bhiwani.	2,000/-	Running of Institution.
23	Halwasia Shishu Mandir, Bhiwani.	2,000/-	-do-
24	Sh. Uttam Chand Jagdish Lal, Charity Trust, Bhiwani.	2,500/-	-do-

25	Blind Institute, Hissar.	5,000/-	-do-
26	Haryana High School, Sonapat.	2,000/-	Running of Baiwadi.
27	Gram Sewa Ashram, Gohana.	1,000/-	Running of Craft Centre
28	Samaj Kalyan Sabhan, Gohana.	1,500/.	Running of Balwadi.
29	-do-	1,500/-	Running of Library and Adult Classes.
30	Brij Mandal Collage, Society, Hodel.	2,00*	Running of Balwadi.
31	-do-	2,500/-	Running of Women's Adult Classes.
32	Bhagwati Bhakti Ashram, Rampur, Rewari,	2,500/-	Maintaining of E ye- Camp.
33	Nehru Memorial Society, Jind.	2,500/-	Construction of Stadium etc.
34	Happy Nursery School, Jind.	2,000/-	Running of Balwadi.

35	Holiday Home, Society	18,000/- 12,000/-	For holding camps.
36	Child Welfare Council.	5,000/-	For meeting the expd. of going abroad,
37	Social & Moral Hygiene Association,	7,500j-	For maintenance the activities of.
38	Prachin Kala Kendra, Chandigarh.	1,000/-	To cover the expd. of organising of exam, in Hr. 1
39	Widow and Blind Help Association, Chandigarh.	1,000/-	Maintenance of Widows & Blind students,
40	Saket Council.	30000/-	Maintaining of Hospital & allied activities.
41	Haryana State Social Welfare Advisory Board, Chandigarh:	33,657j-	For maintaining of office.
42	-do-	3,000/-	To meet the expdr. of

			Seminar.
	Total :-	3,68,977/-	

Land Development and Seed Corporation.

* **1241. Lala Balwant Rai Tayal** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state :

- (a) the total area of Land possessed by the Land Development and Seed Corporation in Hissar;
- (b) the date since when the said Corporation was functioning;
- (c) the Yearly Budget of the said Corporation; and
- (d) whether it is a fact that the Government has wound up the said Corporation, if so, the reasons therefor ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) :

(ए) 1500 एकड़

(बी) 22- 3- 1965

(सी) कारपोरेशन का रेगुलर बजट लै यार नहीं किया जाता, परन्तु काप-वाईज स्कीमें बनाई जाती हैं और चलाई जाती हैं ।

(डी) जी नहीं । यह पहले इन्टर स्टेट कारपोरेशन बोडी थी परन्तु अब इसका 1-8-1971 से विभाजन हो गया है ।

Results of Educational Institutions

* **1254 Shri Daya Krishan** : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the total number of students of the Government and Private Schools separately who got merit in Matriculation Examination this year;

(b) the number of students of Government and Private Colleges who got first twenty positions in the Prep. and 3 Year's Degree Course Examination this year separately;

(c) whether it is a fact that the students of Government Schools/Colleges lag much behind in examination results as compared with the students of Private Schools/Colleges: and

(d) if so, the reasons thereof and the remedies which the Government proposes to take so that the students of Government institutions may come at par with the Private Institutions ?

Education Minister : (Shri Maru Singh Malik) The answer being lengthy is laid on the Table of the House.

Statement

The information is as under :--

(a)

	Total No of students placed on merit list in Matric Examination, April, 1971, (Both boys and girls)	279
	No. of students placed on merit list	40

	from Government Schools.	
	No. of students placed on merit list from Private Schools.	239

(b)

Name of the Examination.	Total No. of Govt College (11)	Total No. of Non-Government Colleges (64)
Pre-University.	1	12
B. A./B. Sc. Part I.	Nil,	8
B. A. Part II,	4	7
B. Sc. Part II	2	7
B. A. Part III.	3	8
B. Sc. Part III.	2	5

(c) Yes, as far as Schools are concerned. No, in the case of Colleges.

(d) In case of Colleges, question does not arise. In case of Schools, the No. of Govt. High/Higher Secondary Schools increased heavily, but proportionate increase in the number of Inspecting Personnel could not be made simultaneously. Government has now decided to increase the No. of Inspecting Personnel and to appoint Deputy Education Officers at the Sub

Divisional level who will be responsible for improvement in Education at all stages at the school level.

Number of Transformers Burnt.

* **1193. Chaudhri Dal Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the total number of transformers purchased by Haryana State Electricity Board during the year 1968-69, 1969-70 and 1970-71, separately;

(b) the total number of transformers burnt either in part or in full during the years referred to in part (a) above, separately, together with the reasons for such accidents and the loss suffered by the Board as a result thereof;

(c) the total number of burnt transformers repaired during the years referred to in part (a) above, separately, together with the amount spent on repairs of such transformers; and

(d) the voltage and price of the transformers referred to in part (a) above together with the names and addresses of the firm or firms from which these transformers were purchased ?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur)

(a), (b), (c) & (d) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The transformers purchased were as follows :—

Year	Transformers <u>(No.)</u>
------	---------------------------

1968-69 2,035

1969-0 4,623

1970-71 4,324

(b) The No. of transformers burnt out of the total number installed on the Board's system was as follows :-

Year	Transformers burnt (<u>No.</u>)
1968.69	613 Against 8,215 installed
1969-70	1051 Against 11,760 installed
1970-71	1309 Against 15,233 installed

The reasons for burning of transformers are :—

- (i) Completion of normal working life,
- (ii) Fluctuation on the system,
- (iii) Overloading,
- (iv) Lightening and
- (v) Failure of protection system.

The loss suffered by the Board cannot be calculated because :—

(i) The cost of repairing transformers damaged after their normal years of working is not a loss to the Board.

(ii) The newly purchased transformers are either repaired by the suppliers or the cost of repair is recovered from

them.

(iii) In the other cases the amount of depreciation provided generally covers the cost of repair.

(c) The number of transformers repaired (which includes the transformers damaged during earlier years and 795 damaged transformers taken over from PSEB at the time of formation of H.S.E.B.) and the cost thereof are as follows :—

<u>Year</u>	Transformers repaired	Amount spent upon repairs (Rs.)
1968-69	879	22,63,235
1969-70	1937	40,81,422
1970-71	1956	51,94,296

(d) The voltage and price of the transformers was as follows:—

Year	Voltage	Total price
1968-69	11,433	Rs. 86,76,894
1969-70	-do-	Rs. 2,05,41,051
1970-71	-do-	Rs. 2,55,93,340

The addresses of the firms are as follows ;—

1. Essen Electrical, 299-300 Bez mari Road, Calcutta-

2. Electrical Construction and Equipment Company, Delhi Road. Sonapat.
3. Crompton Greaves, Kanjur, Bhandup, Bombay-78
4. Emco Transformers, Ltd., 106, Industrial Area, Sion, Bombay-22.
5. General Electric Co., Cannaught House, Cannaught palace, New Delhi-1.
6. Dhiraj Lal Shah and Co., Nana Bhay Mansion, Ferozeshah Mehta Road, Fort, Bombay-1.
7. Johson Electric Co., Fatehgang, Channi Road, Baroda-2.
8. Kerala Electrical and Allied Engineers Co., Ltd., Mamala P.O., Cochin.
9. Govt. Electric Factory. P.B. No. 2610, Bangalore.
10. East India Electrical, East India House, 20 British Indian Street, Calcutta-1.
11. Now Govt. Electrical Factory, Old Madras Road, Post Bag 384, Bangalore-1.
12. Voltamp Transformers 5/3, Industrial Estate, Baroda-3.
13. Apex Electricals, 4.Pad am No. I, Peddar Road, Bombay-26.

Legal Medico Cases of Dadri.

***1238. Shrimati Chandravati :** Will the Minister for Health be pleased to state —

(a) the total number of legal medico cases during the years 1969-70, 1970-71 and to date in which the Medical Officer, Dadri had given his opinion that some injuries were under observation;

(b) the time generally expected to be taken by a Doctor to give his opinion in cases referred to in part (a) above;

(c) the total number of such cases lying pending in courts in which the Doctor has given his opinion that the injuries are under observation; and

(d) if the reply to part (c) above be a lengthy one that may be laid on the Table of the House.

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed) :

a,b,c & d. The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Exemption from Payment of Tution Fee.

***1212. Chaudhri Banwari Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state --

(a) whether it is a fact that many students belonging to Scheduled Castes, Tribes studying in the various Educational Institutions in the State particularly of Dyal Singh College (Evening) Karnal, are not exempted from the payment of tution fee for which they are eligible ; and

(b) if so. whether the Government propose to take any action against such institutions ?

Education Minister (Shri Maru Singh Malik):

(a) No. The exemption however, is limited to two per-cent of the total strength of the students on College rolls and 5% of the total strength on school rolls.

(b) Question does not arise.

Complaints against Chairman Improvement Trust

Yamuna

Nagar.

***1219. Dr. Rameshwar Dass Gupta :** Will the Minister for Health be pleased to state --

(a) whether any complaints of corruption, misuse of power against the Chairman, Yamuna Nagar Improvement Trust have been received by the Government;

(b) if so; whether any enquiry has been ordered in the complaints referred to in part (a) above;

(c) if answer to part (b) above is in the affirmative, whether any enquiry has been conducted, if so, a copy of the findings of the enquiry officer be placed on the Table of the House;

(d) the action taken or proposed to be taken on the enquiry report; and

(e) if enquiry has not been held or completed so far the reasons thereof ?

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed)

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes. The enquiry has not yet been completed.

(d) Decision will be taken after examination of the enquiry report.

(e) Enquiry is being conducted. Complainant's evidence has been recorded and further enquiry is underway.

Theft Cases of Rewari.

***1223. Chaudhri Jeesukh :** Will the Minister for Home be pleased to state —

(a) the number of theft cases registered in Sadar and City Police Stations of Rewari during the period from 1-1-71 to 30-6-71 together with the number of such cases which have been traced out; and

(b) the details of the stolen property together with the amount thereof in each of the cases mentioned in part (a) above.

Home Minister (Shri K. L. Poswal) :

(a) 17 cases of theft were registered in Sadar and City Police Stations of Rewari during the period from 1-1-71 to 30-6-71. Of them 8 cases have been traced out.

(b) The details of the stolen property together with the amount thereof in each of the cases mentioned in part (a) above, are given below :--

Sadar Rewari:-

Sr. No.	FIR No. & date	Details of stolen Property	Amount worth
1	FIR No. 14 dated 4.2.71.	Buffaloes	Rs. 1200/- (Traced)
2	FIR No. 17 dated 10.2.71	Tube well wires	Rs. 30/-
3	FIR No. 20 dated 20.2.71.	Cycle	Rs. 180/-
4	FIR No. 27 dated 2-4.71-	Ornaments.	Rs. 950/-
5	FIR No. 32 dated 14.4.71.	Ornaments and clothes	Rs. 1000/-
6	FIR No. 37 dated 1.5.71.	Buffalo	Rs. 800/-
7	FIR No. 39 dated 19.5.71.	Bullocks	Rs. 2000/-
8	FIR No. 49 dated 13.6.71.	Ornaments etc.	Rs, 261/-
	City Rewari :		
9	FIR No. 25 dated 28.3.71,	Ornaments and clothes	Rs, 1088.77
10	FIR No. 33 dated 28.4.71.	Watches	Rs. 300/-
11	FIR No. 35 dated 1.5.7 1.	Gun	Rs. 600/- (Traced)
12	FIR No. 42 dated 1.6.71.	Clothes	Rs. 1243/-
13	FIR No. 44 dated 2.6.71.	Wrist watch	Rs. 80/- (Traced)

14	FIR No. 46 dated 6.6.71.	Cash(Pick-pocketed)	Rs. 11/. (Traced)
15	FIR No. 47 dated 11.6.71.	Clothes	Rs. 204/- (Traced)
16	FIR No. 48 dated 16.6.71.	Clothes etc.	Rs. 402/- (Traced)
17	FIR No. 49 dated 16.6.71.	Clothes etc.	Rs. 768/- (Traced)

Appointment of Lecturers

*1249. Shri Mangal Sein : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether applications were invited by the Haryana Subordinate Services Selection Board in 1970-71 for the appointment of Lecturers; if so, the number of applications received; and

(b) the names of the candidates called for the interview by the H. S. S. S. Board for the posts of Lecturers together with the names of those who have been appointed as Lecturers from amongst the said candidates.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) :

(a) & (b) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Ad-hoc Appointment of Engineers.

***1242. Lala Balwant Rai Tayal :** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state—

(a) The total number of S.D.Os and other Engineers appointed in the Irrigation Department on ad-hoc basis by the Haryana Government after 1-4-1970, am',

(b) whether the vacancies of the S.D.Os and other Engineers referred to in part (a) above were referred to the Public Service Commission; if not, the reasons therefor.

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) :

(a) 66.

(b) Requisition has already been sent to the Haryana Public Service Commission for filling existing vacancies on regular basis.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

Construction of Quarters for Police Officers/Officials.

373. Chaudhri Om Parkash : Will the Minister for Home be pleased to state —

(a) whether any amount has been sanctioned for the construction of residential quarters for police officers and officials posted at Chautala Police Post after the formation of Haryana State;

(b) if reply of part (a) above be in the affirmative, the date on which the construction thereof has been completed together with the expenditure incurred thereon, and

(c) the expenditure incurred on the electric fittings

etc., in the said quarters ?

Home Minister (Shri K. L. Poswal) :

(a) A sum of Rs. 47,700/- was sanctioned in March, 1969 for the construction of married accommodation for one Asstt. Sub Inspector and two Constables at Police Post Chautala.

(b) Construction work has been completed, except wood work, and a sum of Rs. 28,061/- has so far been incurred on this work.

(c) No expenditure has so far been incurred on electric fittings.

Allopathic Hospitals opened in Haryana.

374. Chaudhri Om Parkash : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the number of new Allopathic hospitals opened in the State during the year 1970-71 to date.

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open an Allopathic hospital at Ellenabad town ?

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed) :

(a) Two.

(b) No. An Allopathic dispensary is already functioning there.

Inquiries against Sarpanehes

375. Chaudhri Om Parkash : Will the Minister for Development be Pleased to state the number of enquiries lying pending as at present against Sarpanches in Sirsa Sub Division together with the time these are pending and the reason therefor ?

Development Minister (Shri Prabhu Singh) : A statement showing the requisite information is laid on the Table of the House.

List of pending enquiries in Sirsa Sub-Division.

Sr. No.	No. & Date of communication with which received	Name of Sarpanch	Name of village	Present Stage	Name of the court in which enquiry is pending	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	3224/Vikas, dated 17-3-70	Shri Dulla Ram	Bodiwala (FBD)	For defence evidence fixed on 21-8-71.	SDO(C)	Will be fina- Used very shortly.
2	3970/72 Vikas, dated 1-4-1970	Shri Gurbachan Singh	Sakhta Khera	For Arguments fixed for 30-7-71	SDO(C)	-do-

3	14496-98/Vikas, dated 24-11-70	Shri Gurbachan Singh	-do-	For Arguments fixed for 30-7-71	SDO(C)	-do-
4	Dated 1-4-70	Shri Lal Chand	Bharokhan		SDO(C)	Enquiry completed under issue.
5	15618-20/Vikas, dated 18-12-70	Shri Ram Lal	Bangawan (FBD)		SDO(C)	-do-
6	17093-97/Vikas, dated 19-8-69	Shri Som Nath	Natar		E.M(IC)	-do-
7	5325-27/Vikas, dated 8-5-70	Shri Mubarak Singh	Amritsar		E.M(IC)	-do-
8	5325-27/Vikas, dated 8-5-70	Shri Sada Sukh	Khuiyan Nepal- pur	Sarpanch summoned for 16-8-71	E.M(IC)	Enquiry completed under issue.

9	Dated 11-70	Shri Inder Singh	Mattar	fixed for evidence for 6.8-71.	E.M(IC)	-do-
---	-------------	------------------	--------	--------------------------------------	---------	------

Amount spent by Government on Litigation

387. Shrimati Chandravati : Will the Chief Minister be pleased to state the total amount spent by the Government on litigation during the year 1968-69 and the total amount paid to the private legal practitioners, separately?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) :

(i) The amount spent by Govt. on offices of District Attorney/Assistant District Attorneys and supporting staff for conducting Govt. litigation during the

year 1968-69. Rs. 1,92,527.00

(ii) The amount paid to private legal practitioners as

fee during year 1968-69. Rs. 54,368.00

Amount earmarked for medicines

378. Shrimati Chandravati : Will the Minister for Health be pleased to state —

(a) The total budget provided for the year 1971-72 for the purchase of medicines in the State of Haryana.

(b) The total cost of medicines provided to Dadri Hospital during the year 1969, 1970 and **1971** together with the total cost of medicines meant for the treatment of Diptheria and anti-rabic, separately; and

(c) The step taken to ensure that medicines are actually provided to the patients ?

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed) :

(a) The total budget provision for the purchase of medicines during the year 1971-72 is Rs. 65,00,000/- (Rupees sixty five lacs).

(b) In the year 1969 medicines worth Rs. 29526.16 and in the year 1970 worth Rs. 35520.65 were supplied. In the year 1971 the medicines worth Rs. 42,000/- would approximately be supplied. No amount was spent for the purchase of AntiDiphtheria serum during the year 1969, 1970 and 1971 so far.

In the year 1969 Anti-rabic vaccine worth Rs. 1780/- and in the year 1970 worth Rs. 1800/- was supplied. In the year 1971 vaccine worth Rs. 2,000/- would be supplied depending on the number of Anti-rabic cases.

(c) Instructions have been issued by the Director, Health Services to all the Chief Medical Officers and Doctors incharge of Medical Institutions in Haryana State to fix the stamp "Haryana Government-Not for sale" on all the packets and vials etc. of medicines and drugs immediately on receipt of medicines and drugs in the Stores of the Hospitals and Dispensaries. As such the Government medicines are used on the patients attending the Hospitals. The Chief Medical Officers have also been directed to check the stores of medicines while on tour in order to ensure that medicines are properly used and given to deserving patients.

T. B. Patients in the State

379. Shrimati Chandravati : Will the Minister for Health be pleased to state -

(a) the total number of T. B. Patients as on 30-6-1971 in the State ; and

(b) the steps taken if any to check this contagious disease ?

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed) :

(a) *3912

(b) Arrangements have been made to control the T. B. disease under District T. B. Control Programme.

*Information for the month of June, 1971 is not readily available.

Theft of Telephone Wires

380. Shrimati Chandravati : Will the Minister for Home be pleased to state ---

(a) The total number of telephone wire theft cases registered in the Police Stations in the State during the years 1970, 1971 to date together with the names of different lines on which the thefts were committed; and

(b) Whether the telephone wire thieves have been arrested ?

Home Minister (Shri K. L. Poswal) :

(a) (i) 121 and 61 cases of theft of telephone wire were registered in the Police Stations in the State during the year 1970, 1971 to-date respectively.

(ii) Hissar-Rewari Section.

Hissar-Jakhal Section.

Hissar-Sirsa Section.

Hissar-Bhatinda Section.

Hissar-Rohtak Section.

Rohtak-Delhi Section.

Delhi Mathura Line-Delhi Alwar Section.

Delhi-Rewari Line.

G. T. Road Karnal, Railway Line Karnal.

Karnal-Kaithal Line.

Jind-Narwana Line.

Ambala-Jagadhri Line.

(b) 60 persons in 1970 and 6 persons in 1971 were arrested.

Literacy Among Women in Haryana

381. Shrimati Chandravati ; Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of girls studying in schools in Loharu and Tosham. separately at present ;

(b) the number of educated women in urban and rural areas separately in Haryana ; and

(c) the steps taken by the Government to give further incentive to women education ?

Education Minister (Shri Maru Singh Malik)

(a) 246 and 349

(b) Number of educated women according to 1961
Census ;

Urban 192728

Rural 130677

Literacy among women according to 1971 Census :

Number 683,333 (Number of educated women in urban
and rural area-separately is not available
yet even in the Census Office).

Percentage 14.68

(c) (1) Construction of six composite hostels for women,
(2) Construction of quarters for woman teachers
through the help of voluntary agency and Panchayats.

(3) Increase in the number of scholarships for girls
from 60 to 402 at High standard and from 91 to 380 at Middle
Stage.

(4) Charging of fee at half rate in high classes.

(5) Appointment of larger number of lady Teachers in
Primary Schools.

Theft Cases During 1970-71

382. Shrimati Chandravati : Will the Minister for Home
be pleased to state—

(a) the total number of thefts registered throughout Haryana during 1970-71 together with the district-wise break-up thereof ; and

(b) the total number of such cases registered in Tehsil Dadri district Mahendargarh.

Home Minister (Shri K. L. Poswal) :

(a) 2538 cases of theft were registered in Haryana State 1970-71. The district-wise break-up of these cases is as under

Hissar.	472
Roht ak.	443
Gurgaon.	356
Karnal.	645
Ambala.	377
Narnaul.	113
Jind.	132
Total.	2538

(b) Number of cases of theft registered in =30 Tehsil Dadri during 1970-71.

Cases Under Section 107/151 Cr. P. C.

383. Shrimati Chandravati : Will the Minister for Home be pleased to state---

(a) the total number of cases challaned under Section

107/ 151 of the Cr. P. C. in Tehsil Dadri, in the whole District of Mahendargarh and in the whole State of Haryana separately during 1970-71 upto date together with number of persons challaned; and

(b) the district-wise break-up of cases and the persons referred to in part (a) above.

Home Minister (Shri K. L. Poswal) :

(a) Total number of cases challaned u/s 107/151 Cr.P.C. Number of persons challaned.

	1.4.70 to 31.3.71	1.4.70 to 17.7.71	1.4.70 to 31.3.71	1.4.70 to 17.7.71
Tehsil Dadri	88	64	217	177
Mahendargarh district.	400	137	638	467
Whole State of Haryana	4417	1721	15154	5349

(b) District- wise break-up of cases and persons challaned is as under :

Hissar	1332	612	4344	1513
Roht ak	286	79	2540	955

Gurgaon	526	187	1482	503
Kama	1044	405	3282	762
Ambala	446	153	1055	374
Narnaul	400	137	638	467
Jind.	383	148	1813	775
Total	4417	1721	15154	5349

Excise Cases Challaned in Mahendargarh District

384. Shrimati Chandravati : Will the Minister for Home be pleased to state --

The total number of excise cases challaned in Mahendargarh district together with the number of working stills seized and the number of cases challaned on account of possession of bottles of liquor since 1st January, 1970;

Home Minister (Shri K. L. Poswal) :

		From	1.1.71	Total
		1.1.70	to	
		to	20.7.71	
		31.12.70		
	Total number of Excise cases			

challaned in Mahendargarh district.	563	360	923
Number of working still seized.	5	3	8
Number of cases challaned on account of possession of bottles of liquor.	562	342	904

Upgrading of Schools

399. Shrimati Chandravati : Will the Minister for Education be pleased to state the total number of Schools, upgraded and newly opened in the State during this year together with the total number of schools upgraded and newly openei in Loharu Constituency, separately ?

Education Minister (Shri Maru Singh Malik) : Nil, so far.

पशुओं के अस्पतालों का दर्जा ऊचा करना

400 श्रीमती चन्द्रावती : क्या परिवहन मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष राज्य में कुल कितनी पशु डिसपैसरियों को हस्पतालो में बदला गया है और कितनी नई पशु डिसपैसरियाँ खोली गई हैं तथा लौहारू असैम्बली हल्के में कितनी

डिसपैसरियों को अपग्रेड किया गया है तथा कुल कितनी नई पशु डिसपैसरियां खोली गई हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री महावीर सिंह) : हरियाणा राज्य में वित्त वर्ष 1971-72 में 10 पशु डिसपैसरियों को हस्पतालों में बदलने तथा 10 नई पशु डिसपैसरियां खो लने का कार्यक्रम है । इनमें से अभी तक राज्य में कोई भी पशु डिसपैसरी अपग्रेड नहीं की गई है परन्तु निम्नलिखित 10 स्थानों पर नई पशु डिसपैसरिया खोली गई हैं :-

- (1) हावडी जिला करनाल
- (2) सोन्ख जिला करनाल
- (3) पाई जिला करनाल
- (4) भटोल जाटाँ जिला हिसार
- (5) रटेरा जिला हिसार
- (6) दौलताबाद जिला गुडगाँव
- (7) नंगला दुर्ग जिला महेन्द्रगढ
- (8) धाकला रोहतक
- (9) बाटा जिला जीन्द
- (10) शाहजादपुर जिला अम्बाला

लौहारू असैम्बली हल्के में इस वित्त वर्ष में कोई पशु डिसपेंसरी नहीं खोली गई है । तथा न ही कोई पशु डिसपेंसरी अपग्रेड की गई है ।

Upgradation of Hospitals.

401. Shrimati Chandravati : Will the Minister for Health be pleased to state the total number of hospitals upgraded and newly opened in the State during this year together with the total number of hospitals upgraded and newly opened in Loharu Constituency, separately—

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed) : During the year 1971-72 one hospital has been upgraded and no new hospital has been opened. Neither any hospital has been upgraded nor opened in Loharu Constituency during this year-

Selection Grade to Masters.

385. Chaudhri Dal Singh : Will the Minister for Education be pleased to state --

(a) the total number of posts of Masters in Haryana Education Department at present;

(b) the number of permanent Masters out of those as referred to in part (a) above;

(c) the total number of Masters who have been given selection grade upto 31.3.1971; and

(d) whether there are any Masters to whom selection grade is due at present; if so, the total number thereof together

with the reason, if any, for not giving them selection grade ?

Education Minister (Shri Maru Singh Malik) : The information is as under :-

		State Cadre	Provincialised Cadre
(a)		5237	523
(b)		1735	523
(c)		325	62
(d)	Yes, Please,	59	17

The reason for not giving selection grade is that, the record of these masters is not complete which is being got completed. Efforts will be made to release their selection grade in the near future.

**Rajasthan Villages Electrified by Haryana State
Electricity Board**

388. Chaudhri Om Parkash : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state --

(a) whether any request was received from the Rajasthan Government by Haryana Government for the electrification of any villages in Rajasthan State; if so, the date thereof;

(b) the total number of villages in Rajasthan State, if any electrified by the Haryana State Electricity Board;

(c) the period within which the villages referred to in part (b) above were electrified; and

(d) the authority by whom the expenses of the electrification were borne ?

Irrigation & Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) :

(a) Yes. A request was received in January 1970.

(b) Nil.

(c) & (d) Does not arise.

**Uttar Pradesh Villages Electrified by Haryana State
Electricity Board.**

389. Cbaudhri Om Parkash : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any villages in Uttar Pradesh have been electrified by the Haryana State Electricity Board; if so, the number and names thereof ?

Irrigation & Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : No village of Uttar Pradesh has been electrified by Haryana State Electricity Board.

Electricity Consumed in Villages

390. Chaudhri Om Prakash : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the quantity of electric power consumed month-wise by Kheri, Mamaikhera, Bacher, Nathaura, Sainpal, Bhatuwala, Dhudianwali, Gindran, Chakkan, Bhunna, Kusar, Khaja, Khera, Ghoranwali, Lohgarh, Fatehpur, Jutanwali, villages, separately, in tehsil Sirsa, District HisSar during the period from, November 1970

to- date,and

(b) the month-wise details of income accrued from each of the villages referred to in part (a) above as a result of the said consumption of electric power ?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur)

(a) & (b) :- A statement is given below.

8	Gindran								
9	Chakkan								
10	Bhunna								
11	Kusar								
12	Khaja Khera*		1,08,380	16,754	1,23,145	8,004	7,994	1,47,972	1,13,242
13	Qhoranwali								
14	Lohgarh					4	7	113	63
15	Fatehpur Jutanwali					9	3	7	38

11	Kusar	--	--	--	..	--	--	--	--
12	Khaja Khera*	--	18,847	2,139	18.910	1,023	884	21,281	20,189
13	Ghoranwali	--	--	--	--	--	--	—	--
14	Lohrarh		--	--	--	7	4	51	27
15	Fatehpur Jutanwali		--	--	--	6	3	3	31

REMARKS : Connections in villages where consumption has been shown as nil, have been released in June, 1971 only and as such their consumption will be recorded by the end of July, 1971.

Unrealised amount of Betterment Levy.

391. Chaudhri Om Parkash : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total amount of betterment levy realised upto date together with the amount which remains to be realised.

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : The amount of advance betterment levy realised upto 31.3.1971 was Rs. 15,32,96,628/-and Rs. 61,27,619/- remained to be realized.

Rules for Direct Outlet.

392. Chaudhri Om Parkash : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the rules, if any, for providing direct outlet for Irrigation purposes from B.M.B. Canal : and

(b) the total number of direct outlets provided in B.M.B. canal from Head to tail ?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) :

(a) No direct outlet is provided on a main Branch or a canal, save in exceptional circumstances.

(b) Three.

Tour of Industries Minister.

393. Chaudhri Om Parkash : Will the Chief Minister be pleased to state the number of days for which the

present Minister for Industries remained on tour in Tohana area and in other States, separately, from 9.4. 1970 (when he was appointed as a Minister) to date ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : During the period from 9.4.1970 to 31-5-1971 the present Minister for Industries remained on tour in Tohana area for 65 days and in other States for 53 days. This information is based on the T.A. details submitted by the Minister.

Wages for Temporary Labourers.

394. Chandhri Chand Ram : Will the Minister for Public Works be pleased to state---

(a) whether the rates paid to labourers working/employed on road construction are uniform in the State ; if not, what is . the range of variation togetherwith the reasons therefor ;

(b) whether any minimum wages have been fixed for men and women working on roads earth work, separately, if so, the details thereof and whether the same have been revised ; and

(c) the working hours of the labourers referred to in part (a) above ?

Public Works Minister (Shri Ran Singh)

(a) No. The rates being paid to labourers employed on road construction vary from area to area. The range of variation also varies from area to area, the reason being demand and supply position.

(b) The minimum wages fixed by Government do not make any distinction between Male and Female Labourer. The question of revision of minimum wage is under consideration of the Government.

(c) The working hours of the labourers are from 8 A.M. to 5 P.M. with one hour break for lunch.

**Reservation in promotional Posts for Scheduled
Castes and
Backward Classes.**

395. Chandhri Chand Ram : Will the Chief Minister be pleased to state---

(a) whether any representation has been received by the Minister/Ministers from the Scheduled Castes employees or any Legislator of the Haryana State demanding reservation in promotions and if so a copy of the same alongwith the action taken thereon be placed on the table of the House ;

(b) whether reservations in promotional posts for members of Scheduled Castes and Backward Classes was applicable in Punjab between 1963 and 1966 until the time Presidential rule was imposed in 1966 and whether those reservation orders applied to all Government posts including Class I and Class II services except All India services, if so, when were those orders with-drawn ; and

(c) whether the Haryana Government has studied the decision of the Supreme Court given on 29.12.70 or in December, 70 confirming that first vacancy can be given to a member of Scheduled Castes as per reservation in promotion ;

if so, has the Haryana Government issued the necessary consequential orders ?

Development Minister (Shri Prabhu Singh) :

(a) A few representations were received from time to time and the Government have decided on 29.7.71 to issue fresh instructions in this matter.

(b) Yes The instructions were modified and reservation was partially withdrawn on 23.8.1966.

(c) Yes. The matter for issuing consequential instructions is under active consideration of Government.

Reservation in promotional posts for Scheduled Castes and Backward Classes.

396. Chaudhri Chand Ram : Will the Chief Minister be pleased to state --

(a) whether the State Government has issued any instructions, consolidated or otherwise regarding the reservation in service for members of Scheduled Castes and Backward Classes : if so, a copy of the same he placed on the table of the House ;

(b) the manner in which Government proposes to ensure that the posts reserved for members of Scheduled Castes and Backward Classes are given to the candidates belonging to these classes according to rules by the various recruiting)appointing authorities ; and

(c) whether there is any proposal under

consideration of the Government for setting up a separate cell in the Directorate of Harijan Welfare for the purpose of ensuring the implementation of the Government instructions regarding reservation in services for members of Scheduled Castes and Backward Classes by the various Departments ?

Development Minister (Shri Prabhu Singh) :

(a) No such instructions were issued in a consolidated form by the Haryana Government. However, copies of the instructions regarding this matter issued from time to time and applicable in the State of Haryana are laid on the Table of the House.

(b) The Government issued instructions that a reserved vacancy should be re-advertised, if no suitable candidate belonging to Scheduled Caste is available for filling up the post in the first instance instead of filling up the said vacancy by a person belonging to other than Scheduled Castes. The Government had also issued instructions saying that the existing ban on fresh recruitment would not apply to such vacancies which were reserved to be filled by persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes.

(c) No.

Copy of letter No. 2480-SW & BC-67/22979, doted 10-8-1967 from tho Secretary to Government, Haryana, Social Welfare and Backward Classes Department to all Heads of Departments, Financial Commissioner, Revenue, Haryana and All Administrative Secretaries to Government, Haryana etc. etc.

Subject :—Reservation for the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in promotion cases. I am directed to refer to the erstwhile Punjab Govt. Scheduled Castes' and Backward Classes Department Circular letter No. 6872-4WGI-66/29992 dated the 23rd August, 1966, on the subject noted above, and to say that the decision contained in sub-para (2) of paragraph 2 thereof has been modified as follows to bring it strictly and conformity with the method and procedure being followed by the Government of India in the matter, subject of course to the higher percentage of reservation already being allowed in the Haryana State in the matter of recruitment :—

2. Class HI and Class IV appointments :-

(a) In the case of Class ITI and Class IV appointments in grades or services to which there is no direct recruitment whatever, there will be reservation of vacancies at 20 percent for Scheduled Castes/Tribes and 2 percent for Backward Classes in promotions made by (i) selection or (ii) on the results of competitive examinations limited to departmental candidates.

(b) Lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes officials should be drawn up separately to fill the reserved vacancies, Officials belonging to these classes will be adjudged separately and not alongwith other officials, and if they are suitable for promotion, they should be included in the list irrespective of their merit as compared to that of the other officials. Promotions against reserved vacancies will continue to be subject to the candidates satisfying the prescribed minimum standards.

(c) There will be no reservation in appointments made by promotion on the basis of seniority subject to fitness but cases involving supersession of Scheduled Castes/Tribes officials, if any will be reported within a month to the Minister or Deputy Minister concerned for information.

(2) You are requested to bring the above decisions to the notice of all concerned for strict compliance.

(3) The receipt of this communication may kindly be acknowledged'

Copy of letter No. 4236-4 SW & BC 67;30119, dated 11-10-1967 from the Secretary to Government, Haryana, Social Welfare & Backward Classes Department to all Heads of Departments. Commissioner Ambala Division and all Deputy Commissioners and Sub, Divisional Officers (Civil) in Haryana, The Registrar Punjab and Haryana High Court, and District & Session Judges in Haryana.

Subject : Reservation for the members of Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes, in promotion cases.

I am directed to invite attention to the correspondence resting with Haryana Govt. Social Welfare and Backward Classes Department No. 2480- SW & BC-67/22979, dated the 10th August, 1967, on the subject noted above, and to say that according to the existing instructions there is reservation for Scheduled Castes! Tribes and Backward Classes in the case of Class-III and Class IV appointments subject to the following conditions :-

(a) In grades or service to which there is no direct

recruitment there will be reservation of vacancies in promotions made by (i) selection or (ii) on the results of competitive examination limited to departmental candidates.

(b) There will be no reservation in appointments made by promotion on the basis of seniority subject to fitness.

2. Government have under consideration and question of modifying the above instructions so that there should be reservation of vacancies irrespective of the fact whether promotion is made by a selection or on the results of the competitive examination or on the basis of seniority subject to fitness, and whether or not there is a provision for direct recruitment. Government have therefore decided that pending decision of the said policy question no reversion of members belonging to Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes should be effected, till further orders, from the posts of which they have been promoted against reserved vacancies although under the relevant service rule, promotions were required to be made on the basis of seniority subject to fitness and for that matter there should have been no such reservation. This decision will however, not affect the reversions already made as a result of the classification given in clause 2 (c) in part I of the Government letter dated 10th August, 1967, referred to above; status quo may be maintained in these cases pending policy decision.

3. The receipt of this communication may please be acknowledged.

Copies are forwarded to the Administrative Secretaries to Government, Haryana, (ii) Secretaries (iii)

Private Secretaries to the Chief Minister/Ministers/Ministers
of State/Parliamentary Secretary/Deputy
Ministers for information.

U.O. No. 4236-4 SW & BC-67, dated Chandigarh,
the 10th Oct., 1967.

Copy of letter No. 611-4 EI-68/, dated the 24th
January, 1969 from the Chief Secy. to Govt. Haryana to all
Heads of Deptts., Commissioner Ambala Division, Deputy
Commissioners and Sub Divisional Officers in Haryana etc.

Subject - Ban on recruitment against non-technical
poste.

D.O. No. 1369- 5G.S.- 68/6619 dated 23- 3-68 from G.S.	I am directed to refer to the circular communication noted in the margin on the above subject and to say that on reconsideration it has been decided that the ban on fresh recruitment against vacant posts should be lifted if such posts are to be filled by the appointment of persons belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes according to the reservation prescribed for them. In view of this decision clearance from this organisation for filling such posts by the aforesaid persons will not be required. There will however be no change in the procedure laid down for filling posts that is through the Public Service Commission, Employment Exchanges etc. and that procedure will continue to be followed without modification.
--	--

From

Shri H.S. Achreja, I.A.S.,

Secretary to Government, Haryana, Welfare of
Scheduled Castes &

Backward Classes, Chandigarh.

To

All Heads of Departments in Haryana State.

No. 91110/71-WS/C & BC/69

Dated Chandigarh, the 19th Sept., 1969.

Subject : —Reservation in Service for Scheduled
Castes/Scheduled Tribes & Backward Classes. Clarification
regarding filling up the Reserved Vacancies.

Sir,

Kindly refer to this Department Memo. No. 3418/DSW & BC/69, dated the 2.3.1969 addressed to all the Heads of Departments under which you were required to obtain prior consent of Board which consists of Chief Minister, Haryana, Minister-in-charge of the Department and Secretary of Department of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes to fill' up a reserved vacancy by a person other than one belonging to the Scheduled Castes. This matter has again been considered and it is decided that the reserved vacancy should be re-advertised, if no fit candidate belonging to Scheduled Caste is available for filling up the post in the first instant instead of filling up the said vacancy by candidate belonging to a Non Scheduled Caste.

Yours faithfully,

Sd/-

Deputy Secretary to Govt.,

Haryana, for Secretary to Government, Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and
Backward Classes.

Endst. No. 9111-71/WSC & BC/69, dated,
Chandigarh the 19-8-69. A copy is forwarded to the

1, Secretary, Public Service Commission,
Haryana, Chandigarh.

2. Director of Public Relation, Haryana,
Chandigarh, for Publicity.

Sd/-

Deputy Secretary to Government, Haryana for
Secretary to Government, Haryana, Welfare Scheduled Castes
and Backward Classes,

पत्रांक 23 (ए-एल-एम)-स-क-69 / 26293

प्रेषक

सचिव हरियाणा सरकार

समाज कल्याण विभाग

सेवा में,

(1) हरियाणा के सभी विभाग अध्यक्ष, कमिनशर, अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी ।

(2) रजिस्ट्रार, न्यायालय, पंजाब तथा हरियाणा चन्डीगढ और हरियाणा के सभी किला तथा सच न्यायाधीश ।

दिनांक, चन्डीगढ, 27-10-1969 ।

विषय :-अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सेवाओं में आरक्षण । महोदय,

मुझे यह निदेश हुआ है कि आप का ध्यान उपयुक्त विषय पशु सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों की ओर दिलारुं और लिखूं कि यह देखने में आया है कि जो आसामियाँ अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं उन पर इन उम्मीदवारों के न मिलने पर स्वर्ण जाति के उम्मीदवारों को लगा दिया जाता है । परिणाम-स्वरूप अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम हो जाता है । अतः राज्य सरकार ने इस मामले पर पुनः विचार कर के यह निर्णय किया है कि यदि आरक्षित पदों के लिए इन वर्गों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो उस दशा में आसामियों को दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा न भरा जाये बल्कि इन आसामियों को केवल अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा ही भरने के लिए लोक सेवा आयोग को फिर लिखा जाये ।

(2) यह आदेश अभी केवल 30-4-70 तक के लिए जारी किया जाता है । उसके पश्चात अनुदेश फिर जारी किया जायेगा ।

भवदीय

सचिव हरियाणा सरकार

समाज कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार

एक प्रति वित्त कमिश्नर, राजस्व हरियाणा तथा अन्य सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित की जाती है ।

हरियाणा सरकार

समाज कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार

सेवा में

(1) वित्त कमिश्नर राजस्व, हरियाणा ।

(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

दिनांक 27-10-1969

पत्रांक 2761 स-क-70 / 1712

प्रेषक

सचिव हरियाणा सरकार

समाज कल्याण विभाग ।

सेवा में,

(1) हरियाणा के सभी विभाग अध्यक्ष, कमिश्नर, अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (सिविल)

(2) रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, पंजाब तथा हरियाणा चंडीगढ़ और हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक, चंडीगढ़, 15-6-70

विषय - अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सेवाओं में आरक्षण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपका ध्यान उर्पयुक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 23 (ए. युल. एम) स-क-69/26293 दिनांक 27-10-69 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊँ जिसके अनुसार यह निर्णय किया गया था कि यदि आरक्षित पदों के लिए अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गी के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो उस दशा में आसामियों को दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा न भरा जाए बल्कि इन आसामियों

को केवल अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गी के उम्मीदवारों द्वारा ही भरने के लिए लोक सेवा आयोग को फिर लिखा जाए । इस मामले पर सरकार ने पुनः विचार करके निर्णय किया है कि यह हिदायतें अब 30-4-71 तक लागु रहेंगी । उसके पश्चात अनुदेश फ्रि जारी किया जाएगा ।

(2) क्योंकि अधीनस्थ सेवाएं सलैक्शन बोर्ड का गठन भी अब हो गया है, इसके लिए उपरोक्त हिदायतें उन आसामियों के लिए लागु होंगी जो इस बोर्ड' द्वारा भरी जानी हैं ।

भवदीय,

हस्त/ एम. आर. वर्मा

अधीक्षक, समाज कल्याण

कृते: - सचिव, हरियाणा सरकार,

समाज कल्याण विभाग ।

एक प्रति वित्त कमिश्नर, राजस्व, हरियाणा तथा अन्य सभी प्रशासकीय सचिव हरियाणा सरकार को इस विभाग के अशाः क्रः 23 (ए. एल. एम)- 69, दिनांक 27-10-69 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषथत की जाती है ।

हस्त/ एम. आर. वर्मा

अधीक्षक, समाज कल्याण

कृते – सचिव, हरियाणा सरकार,

समाज कल्याण विभाग ।

सेवा में,

(1) वित्त कमिश्नर राजस्व, हरियाणा ।

(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा क्रमांक 2761-स० क० – 70 दिनांक :

15-6-70

पत्रांक 1252 –सः कः-871 / 6489

प्रेषक

सचिव, हरियाणा सरकार

समाज कल्याण विभाग ।

सेवा में

(1) हरियाणा के सभी विभाग अध्यक्ष, कमिश्नर अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (सिविल) ।

(2) रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, पँजाब तथा हरियाणा
चडीगढ और हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश ।

दिनाँक, चंडीगढ, 1 अप्रैल, 1971

विषय - अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के
उम्मीदवारों के लिए सेवाओं में आरक्षण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अ पका ध्यान
उपर्युक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमाँक 2761 स-क-70/
17012, दिनांक 15-6-70 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर
दिलाऊं जिसके अनुसार यह निर्णय किया गया था कि यदि
आरक्षित पदों के लिए अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गी के
उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो उस दशा में आसामियों को दूसरे
वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा व भरा जाए बल्कि इन आसामियों को
केवल अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा ही
भरने के लिए लोक सेवा आयोग को फिरे लिखा जाए । इस
मामले पर सरकार ने पुनः विचार करके निर्णय किया है कि यह
हिदायतें अब 30-4-72 तक लागू रहेंगी । उसके पश्चात अनुदेश
फिर जारी कियो जाएगा ।

(2) क्योंकि अधीनस्थ सेवाएं सलैक्शन बोर्ड का गठन भी अब हो गया है, इसके लिए उपरोक्त हिदायतें उन आसामियों के लिए भी लागू होंगी जो इस बोर्ड द्वारा मरी जानी हैं । भवदीय,

हस्त / अधीक्षक, समाज कल्याण,

कृते :- सचिव, हरियाणा सरकार,

समाज कल्याण विभाग' ।

एक प्रति वित्त कमिश्नर, राजस्व, हरियाणा तथा अन्य सभी प्रशासकीय सचिव हरियाणा सरकार को इस विभाग के अशा० क्र० 2761- स-क-70, दिनांक 15-6-70 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित की जाती है ।

हस्त / अधीक्षक, समाज कल्याण,

कृते:- सचिव, हरियाणा सरकार,

समाज कल्याण विभाग ।

सेवा में

(1) वित्त कमिश्नर राजस्व, हरियाणा ।

(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: क्र० 1252 -स० क० -70

Temporary Ad-Hoc Posting of Class III & IV

**Employees
in Transport Department.**

397. Chaudhri Chand Ram : Will the Minister for Transport be pleased to state :

(a) the total number of conductors, drivers, clerks and other employees category-wise in Class III and Class IV recruited on ad-hoc or temporary basis -by the Transport Department/General Managers during the years 1970-71 and 1971-72 to-date and the number amongst them belonging to Scheduled Castes and Backward Classes separately ; and

(b) whether it is incumbent on the General Managers of various Roadways/ Depots or the Transport Department to recruit 20% and 2% of the members of Scheduled Castes and Backward Classes respectively while making recruitment appointments, and if so, how these instructions are being carried out , and if not, the steps taken or proposed to be taken to ensure the implementation of these instructions ?

Transport Minister (Shri Mahabir Singh) :

(a)

	Categories	No. in upto of posts filled 1970-71, 1971-72, date.	No. of posts filled from members belonging to :-

			S/Castes	B/Classes.
1.	Conductors.	824	48	45
2.	Drivers.	588	19	16
3.	Clerks.	68	4	8
4.	Inspectors.	28	—	--
5.	Station Supervisor.	6	—	1
6.	Station Supervisor Grade II	1	—	-
7.	Workshop Staff.	137	2	17
8.	Legal Adviser.	2	—	—
9.	Stenographer.	1	—	—
10.	Draftsman.	1	—	—
11.	Restorer.	2	—	-
	Class IV	301	43	33

(b) (i) Yes.

(ii) While placing requisition with Employment Exchange No. of vacancies as required to be reserved for the members belonging to S/Castes and B/Classes is mentioned in the requisition in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.

**Scheduled Castes/Backward Classes Employees
in Printing & Stationery Department.**

398. Chaudhri Chand Ram : Will the Minister for Labour be pleased to state :

(a) the total number of employees in each category selected/appointed by the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana in Haryana Government Printing Press or in his office and how many of them belonged to Scheduled Castes and Backward Classes separately in each category ;

(b) whether any requisition was sent in 1970 or till June, 1971 by the Controller Printing and Stationery Haryana to the Controller Printing and Stationery Union Territory Chandigarh conveying employees to apply for the posts vacant in Haryana Printing Press or in his office and if so, a copy of the said requisition along with a list of those employees who belonged to Haryana and who applied for such posts be laid on the table of the House;

(c) whether any of the applicants referred to in part (b) above belonged to Scheduled Castes, if so, whether he was appointed, if not, the reasons therefor;

(d) the total number of employees appointed from outside the State by the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana since 1.11.1966.

Labour Minister (Shri Abdul Gaffar Khan).

(a) 102 class III and 83 class IV employees were appointed out of which 22 and 25 belonged to Scheduled Castes and 3 and 9 belonged to Backward Classes

respectively.

(b) Yes, a copy of the requisition and a list of those employees who belonged to Haryana and who applied for such posts is enclosed.

(c) Yes, 12 of the applicants belonged to Scheduled Castes of which names of 9 have been referred to the Chandigarh Administration for relieving them for appointment in Haryana Government Press. The remaining three were not found suitable.

(d) 47 employees from outside the State have been appointed on the recommendations of the Subordinate Services Selection Board and through the Employment Exchanges.

TARA CHAND

D.O. No. P & SH/70/2261/

A & A. Dated, the 6th June, 1970.

My dear Shri Kuriyan,

The Government of Haryana has sanctioned certain technical posts for its Press which is being set up at Chandigarh. The Government has decided that you may be requested to kindly spare some technical personnel either on deputation or on permanent basis. I shall be grateful if the applications of the persons who may be willing to join the Haryana Government Press against the posts shown in the enclosed list are forwarded to this office by the 20th June, 1970. The selected persons will be required to join

immediately. They will be entitled to the scale of pay as shown against each post and to other allowances as sanctioned by the Government of Haryana from time to time.

With kind regards

Yours faithfully,

Sd/-

(TARA CHAND.)

Shri K.O Kuriyan,

Controller of Printing & Stationery

U.T. Chandigarh.

Statement.

Sr. No.	Designation	Pay Scale.
1	23	
1	Section Holder (Composing)	Rs. 160-10-280/15-400.
2	Computors	Rs. 120-5-150/6480/8.220/10-250.
3	Assistant Section Holder (Composing)	Rs. 120-5450/6-180/8-220/10-250.
4	Compositors	Rs. 120-5-150/6-180/8-220/10-250.

5	Distributors	Rs. 80 2-90/3-120.
6	G.P. Man	Rs. 80-2-90/3-120,
7	Section Holder (Printing)	Rs. 160-10-280/15-400.
8	Asstt. Section Holder (Printing)	Rs. 120-5-150/6-180/8-220/10.250.
9	Senior Machine Man.	Rs. 120-5-150/6-180/8-220/10.250.
10	Junior Machine Man	Rs. 100-4-140/5-160.
11	Impo sit ors	Rs. 100-4-140/5-160.
12	Section Holder (Binding)	Rs. 160-10.280/15-400.
13	Assistant Section Holder ,(Binding.)	Rs. 120.5-150/6-180/8-220/10-250.
14	Warehouse Operator	Rs. 100-4-14015460.
15	Binders	Rs 100-4-140/5-160.
16	Press Daftri	Rs. 80-2-90/3-120.
17	P.O. Reader	Rs. 160-10-280/15-400.
18	Readers	Rs. 120-5-150/6-180/8-220/10,250.

	Name of applicants belonging to Haryana State.
1	Shri Amir Chand
2	Shri Hira Singh (S.C.)
3	Shri Yash Paul Mahajan
4	Shri Anand Paul
5	Shri Ram Kanwar Sharma
6	Shri Anand Paul Singh Yadav
7	Shri Mangu Ram (S.C.)
8	Shri Sohan Lal
9	Shri Uma Shankar
10	Shri Ram Partap Sharma
11.	" Sobha Singh (S.C.)
12	Shri Jagdish Chander (S. C.)
13	Shri Khem Singh
14	Shri Karta Ram (S.C.)
15	Shri Surat Ram
16	Shri Rattan Lal
17	Shri Jasmer Singh Saini
18	Shri Krishan Chand

19	Shri Nand Lal
20	Shri Kapoor Singh (S.C.)
21	Shri Manoj Kumar
22	Shri Davinder Kumar
23	Shri Raghbir Singh
24	Shri Jai Narain
25	Shri Nand Lal (S.C.)
26	Shri Ram Dhan
27	Shri Dharam Singh (S.C.)
28	Shri Sukh Dev Ram Sharma
29	Shri Ram Niwas
30	Shri Roshan Lal (S.O)
31	Shri Amar Singh (S.C.)
32	Shri Ram Mehar
33	Shri Sunder Singh
34	Shri Phool Chand
35	Shri Ram Krishan
36	Shri Ram Saroop (S.C.)
37.	Shri Jiwan Dass ,S.C.)

**Rent Free Accommodation to the Controller,
Printing and Stationery.**

402. Mahant Ganga Sagar. Will the Minister for Labour be Pleased to state—

(a) whether it is a fact that rent free accommodation has been provided to the Controller Printing & Stationery, Haryana; if so, the location of the accommodation and the reasons thereof; and

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative whether the rules permit such rent free accommodation ?

Labour Minister (Shri Abdul Ghaffar Khan) :

(a) Yes, it is in Sector 7. The Controller is entitled to rent free accommodation under the Printing and Stationery Department Services (Class I and II) Rules 1962.

(b) Rent free accommodation is permitted under the aforementioned Rules.

चौधरी रणबीर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है ।

Mr. Speaker : The next item on the agenda is a very serious matter and if there is any point of order, we can take it up later.

Shri Mangal Sein : There is an adjournment Motion given notice of by me.

Mr. Speaker : That time will come later when the hon. Member can have his say.

Obituary References

मुख्य मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : स्पीकर साहब, हमारे विधान सभा के पिछले अधिवेशन के बाद हमारे कुछ साथी हम से हमेशा के लिये जुदा हो गए । उन में से श्री श्री प्रकाश जी एक हैं जो कि महाराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल थे । वे 23 जुन, सन 1971 को 81 साल की आयु में स्वर्गवास हुए । उन का जन्म 3 अगस्त, 1890 को हुआ था । उन्होंने इलाहाबाद और कैम्ब्रेज में शिक्षा पाई और सन् 1911 में उन्होंने वकालत शुरू की । श्री श्री प्रकाश जी 1918 से ले कर 1945 तक कांग्रेस कमेटी (अलि इंडिया) के मैम्बर रहे और 1946 में यू० पी० से कंस्टीच्युएंट असैम्बली के मैम्बर बने ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, वह तो पेपर से पढ़ रहे हैं, उनको जबानी बोलना चाहिए ।

Mr.Speaker : Atleast, this is a very solemn occasion.

Chaudhri Jai Singh Rathi : May be a solemn occasion but the Chief Minister should not read from the paper.

Mr. Speaker : He is only refreshing his memory.

Shri Bansi Lal : And for their information, Mr.

Speaker, I would like to point out that a Minister can refresh his memory from a paper.

Mr. Speaker : They say that the hon. Chief Minister is reading.

Shri Bansi Lal : I am not reading. I am refreshing my memory about the dates.

आजादी की जद्दो-जहद के सिलसिले में उन्हें कई दफ। जेल जाना पड़ा । जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो उन्हें पाकिस्तान का पहला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया । फिर सन् 1 949 में वे आसाम के गवर्नर बने । 1950 में वे यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर रहे । उसके बाद सन 1952 से ले कर वह मद्रास के गवर्नर रहे और उसके बाद बम्बई और महाराष्ट्र के राज्य- पाल 1956 से ले कर 1962 तक रहे । सन 1957 में उनको पद्म विभूषण मिला ।

श्री विमला प्रसाद चालिहा, जो कि आसाम के मुख्य मन्त्री थे, 25 फरवरी, 1971 को 59 साल की आयु में स्वर्गवास हो गए । उनका जन्म 26 मार्च, 1912 को हुआ । वह सन 1942 तक आजादी के संग्राम में जेल में जाते रहे । 1952 में वे आसाम प्रदेश कांग्रेस के प्रधान रहे । फिर उसके बाद सन् 1957 में आसाम के चीफ मिनिस्टर बने । उनको भी पिछले साल पद्म विभूषण दिया गया था । ।

तीसरे श्री डी० आर० गैडगिल, जो प्लैनिंग कमीशन के वाईस चेयरमैन रहे थे, वे 3 मई, 1971 को 70 साल की उम्र में स्वर्गवास हुए । उनका जन्म 10 अप्रैल, 1901 को हुआ था । उन्होंने अपनी शिक्षा नागपुर और कैबेज में हासिल की थी पूना में उन्होंने गोखले इन्स्टीच्यूट आफ पालिाटिक्स एन्ड इक्नौमिक्स की स्थापना की थी । इसके इलावा कई एक और इर्मपाटेंट पोजीशनज पर काम करते रहे और फिर प्लैनिंग कमिशन के डिप्टी चेयरमैन बने । ऐसी परसनैलिटी के हमारे बीच में से चले जाने का हमें बहुत ज्यादा अफसोस है ।

इसी तरह स्पीकर साहब राजा सुरेन्द्र सिंह जो 5 मई, 1971 को 50 साल की आयु में स्वर्गवास है । गए । वे पैप्सू में एम० एल० ए० और वहाँ पर ही मिनिस्टर भी रहे । फिर वे स्टेट फारमर्ज कारपोरेशन आफ इन्डिया के सब से पहले चेयरमैन नियुक्त हुए । उसके बाद वह प्लौनिंग कमीशन तथा युनियन होम मिनिस्ट्री के ऐडवाईजर नियुक्त हुए । उनके स्वर्गवास हो जाने से जो हमारे मुल्क को नुकसान हुआ है वह पूरा नहीं हो सकता है ।

गुरु जसवन्त सिंह जी जो पंजाब के ऐक्स एम व एल० ए० थे 18 मार्च सत् 1971 को 73 वर्ष की एज में स्वर्गवास हो गए । वह भी मासिज के बहुत पापुलर लीडर थे ।

इसी तरह सरदार प्रताप सिंह जी जो कि पंजाब के ऐक्स एम० एल० ए० थे 29 मार्च सन 1971 को 60 साल की उम्र

में स्वर्गवास हो गए । वह हरिजनों के अपलिपट के लिए बहुत काम करते रहे और एक बड़े भारी रिफारमिस्ट थे ।

सातवें राजा लक्ष्मण सिंह जो कि चम्बे के लास्ट रूलर थे 21 मई 1971 को 46 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गए और स्पीकर साहब आगे हैं सर्वश्री जाजी दोब्रोवोल्सकी, व्लादिस्लाव वोलकोव तथा विक्टर पात्सायेव, अंतरिक्ष यात्री सोवियत संघ, जिनका 24 दिन स्पेस में रहने के बाद जमीन पर वापिस आ कर अचानक निधन हुआ जिसका कि हमें बहुत अफसोस है ।

इन सब महान आत्माओं के चले जाने का हमें बहुत अफसोस है और मैं प्रार्थना करूंगा कि हाउस की तरफ से यह कन्डोलेंस रेजोल्यूशन पास कर के उनकी फैमिलीज को भेजा जाए :-

यह सदन इन दिवंगत नेताओं के संतप्त परिवारों के साथ हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलतपुर (बादोपाल) : स्पीकर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो आठ शोक प्रस्ताव हाउस के सामने रखे हैं मैं उनकी तार्ईद करता हू । इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियों का चले जाना बहुत दुःख की बात है । यह जो तीन महान लीडर थी प्रकाश जी, विमल प्रसाद चालिहा और डाक्टर डी० आर० गैडगिल थे उनके जाने से जो खला पैदा हुआ है उसको पूरा नहीं किया जा सकता । श्री चालिहा के स्वर्गवास हो जाने के

बाद जो आसाम की हालत हुई है और इसी तरह से गैडगिल साहब के बाद जो प्लैनिंग कमीशन की हालत हुई है वह हम सब के सा पने है । राजा सुरेन्द्र सिंह जी और गुरु जसवन्त तह जी के साथ मुझे कई दफा मिलने का मौका मिला था । वे बहुत अच्छे इन्सान थे । राजा साहब, नालागढ ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत काम किया था । हमें उन सब के चले जाने पर बहुत दुःख है और हम सब इस बात में सहमत हैं कि उनकी फैमिलीज को विधान सभा की तरफ से शोक प्रस्ताव पास करके भेजा जाए ।

चौधरी दल सिंह (जुलाना) : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री साहब ने जो शोक प्रस्ताव हाउस में ररवा है मैं उसका समर्थन करता हूं । जिन महानुभावों के नाम इस लिस्ट में हैं उनमें से चन्द एक के साथ मुझे मिलने का मौका मिला था । जहाँ तक राजा सुरेन्द्र सिंह जी का सम्बन्ध है, उन्हें जब कांग्रेस हाई कमांड ने पैप्सू विधान सभा के लिए टिकट दिया और वे चुन कर आए उस समय मुझे दूसरी बार इनके दर्शन करने का मौका मिला था । ये रात दिन जनता की सेवा करते थे । इस प्रकार इन्होंने देश की बहुत बड़ी सेवा की है । मुझे इनके निधन पर बहुत दुःख है । राजा सुरेन्द्र सिंह, ऐक्स मिनिस्टर आफ पैप्सू स्टेट, महान व्यक्तियों में से एक थे । जब मैं पूर्वी पंजाब की स्टेट्स यूनियन की तरफ से हिन्दुस्तान की लेजिसलेटिव कौंसिल के नुमाइन्दों के चुनाव के लिए बिलासपुर गया था, उन दिनों मुझे उनके दर्शन पहली बार करने का मौका मिला । ये पैप्सू विधान सभा के सदस्य

रहे और बाद में मन्त्री भी रहे । उस मन्त्रीमण्डल में वे सब से अच्छे कार्यकर्ता थे और हिन्दू सिक्ख यूनिटी के स्तम्भ थे । उनकी शादी महाराजा पटियाला की बहन से हुई थी । इन्होंने देश की एकता बनाये रखने के लिए जातपात की कोई बात नहीं की यही कारण है कि वे गवर्नमेंट आफ इन्डिया की होम मिनिस्ट्री के प्रतिष्ठित कमीशन के सलाहकार रहे और आखिर में कमीशनर हुए । मुझे बड़ा दुःख है कि आज वे हमारे बीच में से उठ गये हैं

श्री बिमला प्रसाद चालिहा, चीफ मिनिस्टर आफ आसाम थे । इनको सभी जानते हैं कि इन्होंने देश के लिए कितनी सेवा की । इनके इलावा जो दूसरे महानुभाव हैं उन्होंने भी देश की बड़ी सेवा की । मुझे उन अन्तरिक्ष यात्रियों की मृत्यु पर बहुत दुःख है जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और 24 दिन तक अन्तरिक्ष में रहकर तजूर्बा किया है । जब तक दुनियां कायम रहेगी तब तक सारा संसार इन तीन महानुभावों को बाद करता रहेगा । मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन सब महानुभावों को श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे उनकी आत्माओं को शान्ति प्रदान करें ।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, सदन में मुख्य मन्त्री महोदय ने, उन महान व्यक्तियों को श्रद्धांजलियां देने के लिए और उनके सन्तप्त परिवारों के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ

और साथ ही निवेदन करता हूँ कि हमारा देश उन लोगों से वंचित हो रहा है जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के लिए अग्रणी रहकर, इस देश को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अथक परिश्रम किया । श्री श्रीप्रकाश महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे । इसके इलावा मद्रास के भी राज्यपाल रहे । जब संसार से उनका चलन हुआ तो वे काशी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे । सबसे बड़ी बात यह है कि वे महान पिता के महान सप्त थे । उनके पिता श्री भगवान दास भारत की महान विभूतियों में से एक थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था । श्री बिमला प्रसाद चालिहा आसाम के मुख्य मन्त्री थे । दुर्भाग्यवश ऐसी अवस्था में उन्हें संसार को छोड़ कर जाना पड़ा जबकि उनके राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी पूर्व की तरफ से देश की प्रमुखता को चुनौती दी जाती रही है । ऐसे दिनों में ऐसे महान व्यक्तियों का बिछुडना हमारे लिए बहुत दुखदाई है । इनके अतिरिक्त देश के महान सपूत डा० डी० आर० गडगिल, योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन थे । इनका निधन हो जाना भारतवर्ष की एक महान विभूति का उठ जाना है । सबसे कष्टदायक बात यह है कि जब वे घर जा रहे थे तो घर भी नहीं पहुंच पाये थे कि रास्ते में ही उनकी हृदय-गति रुक गई । योजना आयोग के बारे में उनके कार्यकलापों पर सदस्यों का मतभेद हो सकता है, जिस ढंग से योजना आयोग के कार्य को पूरा किया उस पर विभिन्न सदस्य अपने अलग-अलग विचार रखते होंगे लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि वे अकस्मात् हम में से बिछुड गए हैं । राजा सुरेन्द्र सिंह के निधन

पर हमें बहुत दुख है । वे पैप्सू विधान सभा के सदस्य रहे और बाद में मन्त्री पद पर भी रहे जैसे दूसरे माननीय सदस्यों ने उनको श्रद्धांजलि भेंट करते समय कहा कि उनका इनसे निकट का सम्पर्क रहा है, इसी प्रकार जब वे 1957 में सबसे पहले पंजाब विधान सभा के सदस्य चुन कर आए तब मैंने भी उनके दर्शन किए थे । वे प्रतिभा सम्पन्न सदस्य हुआ करते थे । कृषि सलाहकार समिति में उनका विशेष योगदान था । हमें इनके निधन पर अत्यन्त दुख है । सबसे बड़ी दुख की बात उन तीन महान आत्माओं के निधन पर है जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अन्तरिक्ष में यात्रा की और रिकार्ड कायम किया । वे 24 दिन तक वहां रहे और भिन्न-भिन्न परीक्षण किए । लेकिन प्रभु को यह मन्जूर नहीं था कि वे अपने परीक्षणों का विवरण वापिस आ कर संसार के सामने प्रस्तुत करते वे अपने मुखार्विन्द से कुछ नहीं कह सकें और उनका निधन रौकेट के बीच में ही हो गया । मुख्य मन्त्री साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ ।

महन्त गंगा सागर (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ महान आत्माओं के निधन पर मुख्य मन्त्री महोदय ने जो प्रस्ताव सदन में पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । वास्तव में ये सारे महानुभाव इतनी उच्च कोटि के शख्स थे जिन के बिछुडने पर हमें और हमारे देश को ही नहीं बल्कि सारे संसार को नुकसान हुआ है । हम सब को उनसे और उनके

परिवारो से हमदर्दी है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन आत्माओ को स्वर्ग में स्थान मिले । इन लपजों के साथ, लीडर आफ दी हाउस ने जो प्रस्ताव रखा है, उसकी में ताईद करता हू ।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने जिन दिवगत आत्माओं के लिए जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है उनमें से कुछ महान पुरुषों के साथ मेरा सम्बन्ध रहा है और उन्हे मुझे करीब से देखने का मौका मिला है । थी श्री प्रकाश जी कस्टीच्युएंट असैम्बली के मैम्बर मेरे साथ रहे । जबकि मैं लोक सभा का सदस्य था, ये केन्द्रीय सरकार के मन्त्री भी रहे । इसी प्रकार श्री बिमला प्रसाद चालिहा के साथ मेरा सम्बन्ध 1952 के बाद उनके उप-चुनाव के बाद रहा । लोक सभा के सदस्य होने के नाते उनके साथ रहने का मौका मिला । इसी प्रकार राजा सुरेन्द्र सिंह, जो पैप्सू में मन्त्री होते थे, को भी मैं अच्छी तरह जानता था । गुरु जसवन्त सिंह जी हमारे पड़ोसी स्टेट पंजाब की असैम्बली के सदस्य रहे । इन सब दिवगत आत्माओं के परिवारों के साथ हमें बड़ी हमदर्दी है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वर्ग दे और मोक्ष की प्राप्ति हो । इन महान आत्माओं ने देश की आजादी के लिए जो कुर्बानियां कीं और जिस सहनशीलता और कार्य क्षमता से देश का काम चलाया उससे हम वंचित हो गए और वे हमारे लिए शोकप्रद जीवन छोड़ गए । अध्यक्ष महोदय, श्री श्रीप्रकाश ने जहां खुद देश की बड़ी सेवा की वहां उनके पिता श्री भगवान दास ने देश को आजाद कराने में बड़ा हिस्सा लिया ।

जिस पीढ़ी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश को आजाद करवाया, देश के सामने आदर्श रखा और यह ख्वाहिश जाहिर की कि एक आजाद देश इस तरह से तरक्की करे । मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज वह पीढ़ी धीरे-धीरे हम में से जा रही है । इस पीढ़ी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि देश को आजादी मिलने के बाद हमने उस आजादी को कैसे कायम रखना है इनको श्रद्धा के कुल भेंट करने का फायदा तभी हो सकता है अगर हम उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करें कि देश की रक्षा कैसे हो सकती है । मैं मुख्य मन्त्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे उनके परिवारों को हौसला दे और मृतक आत्माओं को मोक्ष मिले । साथ ही साथ मैं अपने सभी सदन के साथियों से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको उनके जीवन से सबक लेना चाहिए ।

Shri S. P. Jaiswal (Karnal) : Mr. Speaker, Sir, I fully associate my self with the sentiments expressed by the honourable mover of the resolution and other members of this House and pray that the lord may grant eternal peace to the departed souls and strength to their bereaved families to bear the irreparable loss.

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : स्पीकर साहब, वैसे तो मुख्य मंत्री जी, जो लीडर आफ दी हाउस भी हैं, के कहने के बाद कोई खास बात अर्ज करने को रह नहीं जाती परंतु जिन महानुभावों के बारे में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है उनमें से

कुछ के प्रति मैं विशेष श्रद्धा रखती हूँ इसलिए थोड़े से शब्द मैं भी कहना चाहती हूँ । राजा सुरेन्द्र सिंह पैप्सू में हमारे साथ एम० एल० ए० थे और मैं जानती हूँ कि वे एक बहुत अच्छे इन्सान थे । जब वे पैप्सू में वजीर थे तो वे बड़े पापुलर थे । अगर उस वक्त वे चाहते तो पूरे आर्गेनाइजेशन पर हावी हो सकते थे और एक सफल राजनीतिज्ञ बन सकते थे परन्तु उन्होंने एक सफल राजनीतिज्ञ बनने की अपेक्षा एक अच्छा इन्सान बनने की कोशिश की । मेरे एक बार पूछने पर कि आपने डी० सी० सी० और ए० आई० सी० सी० का सदस्य बनने की कोशिश क्यों नहीं की उन्होंने कहा कि गुझे अल्कोहल लेने की आदत है और आप जानती हैं कि कांग्रेस आर्गेनाइजेशन का एक नियम है कि जो व्यक्ति उसका कार्यशील मैम्बर बनना चाहे उसको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए । जब तक मैं अल्कोहल नहीं छोड़ता तब तक मैं कांग्रेस का कार्यशील मैम्बर नहीं बन सकता । तो मैं यह समझती हूँ कि जहां उन्होंने खेती के काम में अपनी बहुमूल्य राय दी अच्छे सुझाव दिए और बहुत ही अच्छी यातें उसको प्रोग्रैस करने के लिए बताई वहां उन्होंने एक उदाहरण भी हमारे सामने रखा कि मनुष्य को सफल राजनीतिज्ञ होने के अलावा एक अच्छा इन्सान बनने की भी जरूरत है ।

Mr. Speaker : Hon. Members, a great deal has been said about the departed leaders. No doubt they were very great men who had rendered distinguished service. I fully associate with all that has been said by my colleagues. I shall also

convey the sympathies of the House to the bereaved families and at the end, may I request you all to stand in silence for two minutes as a mark of our respect to the departed leaders.

(The House then stood in silence for two minutes.)

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ देर पहले मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहा था परन्तु आपका आदेश हुआ था कि शोक प्रस्ताव खत्म होने के बाद मैं प्रश्न करूँ। इसलिए अब मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रखता हूँ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री (श्री अब्दुल गफ्फार खां) : जनाब स्पीकर साहब, यहाँ हर बार यह सवाल उठा है कि ऐसी जुबान का इस्तेमाल होना चाहिए जिसका सब लोगो को पता चल जाए। मैं जनाब के जरिए.....

Mr. Speaker ; Are you on a point of order ?

Khan Abdul Ghaffar Khan : I am.

Mr. Speaker : No, first his point of order. He was speaking when you got up.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 25 मई, 1971 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (एक्सट्रा-आर्डिनरी) की कापी है जिसके अन्दर हमारे मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विभागों का ब्योरा लिखा हुआ है। मुख्य मंत्री श्री बन्सी लाल जी के नाम के आगे अन्य विभागों के अतिरिक्त ' न्याय ' शब्द भी लिखा हुआ है। न्याय के मायने क्या हैं यह मेरी समझ में नहीं आया? क्या

न्यायालयों के ऊपर भी इनका अधिकार है? अगर नहीं है तो गजट के अन्दर यह क्यों छापा गया? किस विषय के लिए यह शब्द लिखा गया है यह बात इसमें साफ होनी चाहिए थी क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, हमारे जो नियम हैं उनके तहत हम सिर्फ उन्हीं बातों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकते हैं जिनके ऊपर हमारे मंत्रिमंडल का अधिकार जुए । हमारे मंत्रिमंडल का न्यायालयों के ऊपर अधिकार है इस बात का सबूत गजट से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता । इस- लिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या न्याय के बारे में हमारे सदन के सदस्यों को कोई प्रश्न करने का अधिकार है या नहीं.? अध्यक्ष महोदय, आप मुख्य मंत्री जी से सलाह करके, अगर जरूरत हो तो हमें भी अपने चेम्बर में बुला करके और सलाह मशवरह करके, हमें इस बारे में कोई आदेश दें ताकि आगे सदन की कार्यवाही में ज्यादा समय रवराब न हो ।

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा इस बात का जवाब ही दे देता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठिए । चौधरी साहब, यह प्वायंट आफ आर्डर कैसे हुआ?

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन कर दूँ कि लोक सभा में एक व्यवस्था है कि जब प्रश्नोत्तर का समय होता है तो उस वक्त कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं रखा

जाता । उस सिलसिले में यदि किसी को कोई व्यवस्था का प्रश्न करना हो तो वह उस वक्त किया जाए जब प्रश्नोत्तर का समय बीत जाए ताकि प्रश्नोत्तर के समय ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके । तो वह समय बचाने के लिए, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न आपके समक्ष रखा है..... (विघ्न).....

Shri S. P. Jaiswal : Mr. Speaker, I will draw your attention to rule 111.....

लोक निर्माण मन्त्री (श्री रणसिंह) : स्पीकर साहब, खान साहब का प्वायंट आफ आर्डर पहले था ।

श्री अब्दुल गफ्फार खाँ : जनाबेवाला गवर्नमेंट से सवालात किए जाते हैं और यह एक्सपैक्ट किया जाता है कि वह उनका जवाब दे इस लिए नहीं कि उन मैम्बर साहब को जवाब मिले जो सवाल करता है बल्कि पब्लिक जाने और हरियाणा की पूरी पब्लिक जान जाए कि यहां क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है । इसी तरह इस आनरेबल हाउस के फ्लोर पर मैं समझता हू कि जो सबसे ज्यादा मुश्किल और बड़ी ही संस्कृटाइज्ड हिन्दी बोली जाती है वह नहीं बोली जानी चाहिए ।..... (व्यवधान)

Shri S. P. Jaiswal : On a point of order, Sir. The hon. Member should first be asked to state his point of order under sub-rule (3) of rule 111 before he could be allowed to give a long speech.

Mr. Speaker : I would request the hon. Minister to please state what is his point of order.

श्री अब्दुल गफ्फार खां : जनाबेवाला, मेरा प्वायट आफ आर्डर यह है कि आप चौधरी रणबीर सिंह जी को यह फरमायें कि वे तमाम हाउस द्वारा समझने वाली जुबान बोलें । जिसको केवल ये समझ सकें और दूसरे लोग न समझ सकते हों ऐसी जुबान का इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं । मैं जनाब से दरख्वास्त करूंगा कि आप इनको हिदायत करें... (व्यवधान)

श्री सत्य नारायण सिंगोल : स्पीकर साहब, घर तो ये इस जुबान को समझ सकते हैं, यहाँ नहीं समझते ।

Shri S.P. Jaiswal : Sub-rule (3) of Rule 112 says :

"Subject to conditions referred to in sub-rules (1) and (2) a member may formulate a point of order and the Speaker shall decide whether the point raised is a point of order and, if so, give his decision thereon, which shall be final";

Sub-rule (4) lays down :

"No debate shall be allowed on a point of order "

Sir, I was submitting that if the hon. Members are requested first to formulate a Point of Order, it would, I am sure, save a lot of time of the House, which could be utilized elsewhere with advantage.

Mr. Speaker : I think, the suggestion of the hon.

Member is an excellent one to save the time of the House. Whenever any hon. Member wishes to raise a Point of Order he must first be clear in his own mind as to what the Point of Order is and then straight away he should come to that Point of Order. Later on, however, if required, he can give the background of his Point of Order, but not before that, as, otherwise, too much time of the House is wasted.

श्री मंगल सैन : मेरा एक प्वायट आस आर्डर है कि क्या कोई आनरेबल मेम्बर इस हाउस मे इस बात का क्वेश्चन कर सकता है कि यहां पर राष्ट्रभाषा न बोलर जाये । इस पर मैं आप की रूलिंग चाहता हू ।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब खान साहब ने यह नहीं कहा कि कोई मेम्बर हिन्दी में नहीं बाल सकता उन्होंने तो यह कहा है कि ऐसी भाषा बोली जाये जो सबकी समझ में आ जाये । इस प्रकार कहने से कोई हिन्दी भाषा को ठेस नहीं पहुंचती ।

श्री मंगल सैन : ये तो राष्ट्रभाषा का मजाक उड़ा रहे हैं । उन्होंने कहा है कि सस्कृत निष्ट भाषा क्यों बोलते हैं 'ट्रे कल को हम कहेंगे कि ये उर्दू में क्यों बोलते हैं? इनको ऐंसी भाष बोलने में क्या तकलीफ होती है?

श्री अध्यक्ष : मैंने तो सुना नहीं कि इन्होंने सस्कृत के बारे में कुछ कहा हो ।

श्री बंसी लाल : खान साहब की कहने की भावना यह थी कि. वे ऐसी हिन्दी बोलें जो सब की समझ में आ जाये । दूसरे उन्होंने ह्यूमरस मूड में बात की है (व्यवधान)

(इस समय बहुत से मेम्बर बालने के लिए खड़े हुए)

Mr. Speaker : Will all of you please take your seats ? Let me say something. I am going to make an observation, but so many hon. Members have stood up. Let us maintain some order. In future, I will have to pull up someone.

(इस समय फिर कई मेम्बर बोलने के लिए खड़े हुए)

Mr. Speaker : Please do not interrupt. I am coming to the point. 'Khan Sahib' as you know all, is an elderly member of the House and, probably, the oldest. I am quite clear that the manner in which, what he said, was all out of humour. So, let us go by the spirit in which he said this. Let us go on the principle of 'Give and Take' and let us not raise any point of Order on minor things, which are said out of humour.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब आपने भी अभी कहा है कि उन्होंने बड़े ह्यूमरस ढग से बात की है । हम उनकी ह्यूमर को एक्सैप्ट करते हैं और वे हमारी भी आगे से बर्दाश्त कर लिया करें

श्री अध्यक्ष : आप तो सबसे ज्यादा करते हैं ।

श्री मंगल सैन : (बैठे हुए) खान साहब हर सेशन में सस्कृत के विषय में बात करते हैं ।

Mr. Speaker : The hon. Member should please get up and then talk.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब यह दोनों घर पर साथ ही रहते हैं वहां पर ऐसी बातें करने का इनको समय मिल जाता है । हाउस का समय क्यों जाया किया जाता हुं?

श्री बंसी लाल : असैम्बली में जो कुछ कहा जायेगा उसके बिषय में तो असैम्बली में ही बात चीत होगी ।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । हर मेम्बर की कैटेगरी बराबर होती है । जब कोई आदमी एम०एल० ए० बन कर इस हाउस में आया है तो उसको दूसरे एम०एल०एज० के बराबर का हक है । इसलिए श्री मंगल सैन जी को ही सारा टाईम बोलने के लिए क्यों दिया जाता है? दूसरे मेम्बरों को भी बोलने का हक है उन्हें भी समय मिलना चाहिए ।

Shri Bansi Lal : I would like to clarify the point raised by Chaudhri Ranbir Singh. चौधरी रणबीर सिंह ने अभी फरमाया है कि जो मंत्रियों के विभागों का वितरण है, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब के नाम के सामने एक विभाग न्याय भी है । न्याय देना चीफ मिनिस्टर का काम है और यह जो एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का महकमा है, स्पीकर साहब इसमें आता है एप्वायंट मेट एन्ड रिक्लुटमेंट आफ जजिज फार जुडिशियरी । तो उनसे सम्बन्धित बातें हाईकोर्ट से सम्बन्धित बातें हैं इसके माने यह नहीं चीफ मिनिस्टर को कोई यह अख्तियार है कि किसी अदालत से

फायल उठाकर घर में आकर पढ़ सकें । ऐसा कोई अख्तियार नहीं है – (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसी वास्ते तो आप से यह पूछा गया है ।
(व्यवधान)

श्री अब्दुल गफ्फार खां : जनाबेआला मेरी अर्ज यह है कि मैंने संस्कृत के मुत्ताल्लिक एक लफज नहीं कहा । मैं जानता हूँ कि तमाम दुनिया में चार लैंग्वेज कलासीकल लैंग्वेज हैं । एक संस्कृत, दूसरी ग्रीक, तीसरी रोमन और चौथी अरबी है । मैं संस्कृत को भी इतना ही अहम समझता हूँ जितना कि ग्रीक, रोमन और अरबी को । मैं तो चाहता हूँ कि संस्कृत को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए बजाय इसके कि मिली जुली जबान पढ़ाई जाये जो दूसरों की समझ में भी न आये । दूसरे एक मेम्बर साहब ने एक बात कही उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता उन्होंने लीडर आफ दी हाउस से कहा कि वे जबान का तमस्खर उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं । मैं किसी भी जबान का मजाक नहीं उड़ाना चाहता । मैं चाहता हूँ कि संस्कृत को लाजमी पढ़ाया जाये और यह तीतर बटेर वाली जबान न बोलें ।

श्री अध्यक्ष: यह ठीक है ।

चौधरी रणबीर सिंह : आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन सर । मेरा पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन यह है कि मैं जो भाषा बोलता हूँ उस पर आपत्ति की गयी है 1 हो सकता है कि

कुछ सदस्यों को हिन्दी की उतनी जानकारी न हो परन्तु जैसा कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है उसकी जो परिभाषा है वह यह है कि जब कंस्टीच्यूएन्ट असेम्बली में विधान के ऊपर बहस हुई और प्रसव पास हुआ (मुख्य मंत्री जी की ओर से विघ्न)

मुख्य मंत्री जी तो चाहते हैं कि इसको और लम्बा किया जाये क्योंकि उसके बाद कुछ और मामला आने वाला है और शायद ये उससे बचना चाहते हों । तो मैं परिभाषा बता रहा था । कंस्टीच्यूएन्ट असेम्बली में डिसकस हुआ कि कैसी हिन्दी हाउस में बोली जाये? वही भाषा मैं यहां पर बोलता हूं । मैं उसकी चारदीवारी से बाहर एक मिनट के लिए भी नहीं जाता हूं अगर मैं बाहर नहीं जाता हूं तो मेरी जबान पर कोई आपत्ति करे तो उसके लिए रौं आपका संरक्षण चाहूंगा ।

श्री अब्दुल गफ्फार खां : स्पीकर साहब बार बार ये उन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं ।

CALL ATTENTION NOTICE

Mr. Speaker : The Call Attention Notice No. 4 given by Shri Daya Krishan, M.L.A. regarding the scarcity of hygienic drinking water, is disallowed as the matter is not of recent occurrence.

श्री मंगल सैन : मेरी एक ऐडजर्नमेंट मोशन थी, क्या वह ऐडमिट हो गयी है?

Mr. Speaker : Let me kindly read this and then you

can ask the question.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब वह तो पहले आनी चाहिए थी ।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है ।

श्री मंगल सैन : मैंने तो याद करवायी हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप जरूर याद करवाइये । आपने आज ही उसको दिया है न (विघ्न)

श्री मंगल सैन: जी हां, आज ही दी परन्तु समय पर दी है । उसको डेढ घन्टे पहले मैंने दिया है । वह तो एडमिट हो गई होगी (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : वह मिल गई है और उसको ऐग्जामिन कियोँ जा. रहा है (विघ्न)

श्री मंगल सैन : क्या मुझको उसका जवाब मिल जाएगा?

श्री अध्यक्ष : यह तो पहले ही आपको कहा गया है कि ऐग्जामिन हो रही है । कल उसका आप को जवाब दिया जायेगा ।

गृह मन्त्री (श्री के० एल० पोसवाल) : स्पीकर साहब की रूलिंग तो मान लीजिए ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब,
कोई बात नहीं ।

Mr. Speaker : What do you think ?

Shri Mangal Sain : I think, Sir, there is something wrong.

Mr. Speaker : Dr. Mangal Sein, you should know that you will be given full Justice.

श्री मंगल सैन : सर, आप इतनी बात कह देते कि नोटिस आया है । आज मैं उसको देख रहा हू । कल इसके ऊपर फैसला दे दूंगा तो मुझे बीच में उठना नहीं था । आपने ये काल अटेंशन मोशन पढ़ने शुरू कर दिए इसलिए बीच में टोकना पडा ।

श्री अध्यक्ष : क्या आप ऐडजर्नमेंट मोशन के बारे में कह रहे हैं?

श्री मंगल सैन : उसके बारे में तो बाद में बोलूंगा । अभी तो सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि वह मोशन ऐडमिट हुआ है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : आपका जो ऐडजनमेंट मोशन है that has been shown to me only two minutes back. Naturally I must study it properly.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह तो आपके आफिस की बात है कि वह दो मिनट पहले या घन्टा पहले आपके पास

भेजे । मैंने तो डेढ़ घन्टा पहले नोटिस देना था वह मैंने दे दिया था । अब आप हुक्म दीजिए कि उस पर कब फैसला होगा?

Mr. Speaker : The hon. Member's position is absolutely correct. The Adjournment Motion was received well in time and it is being examined/considered. It was shown to me just now. The hon. Member will get the decision tomorrow.

श्री अब्दुल गफ्फार खां : अभी—अभी आनरेबल मैम्बर ने यह बात कही कि अगर आनरेबल स्पीकर ने कोई फैसला चीफ मिनिस्टर के डर से देना है तो कर दें । मैं समझता हूँ कि it is a reflection on the Chair. इसलिए मेहरबानी करके आप रूलिंग दीजिए कि कोई मेम्बर ऐसा कह सकता है या नहीं कह सकता ।
— (विधन)—

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, पहले क्या क्या कहा गया था आपको भी याद होगा । चीफ मिनिस्टर साहब ने खान साहब की बात को कहा था कि वह ह्यूमरस वे में कही गयी है और इस पर मैंने यह कहा था कि इन्होंने उन्हें सब कुछ कहने का लाइसेंस दे रखा है । जब आप अपनी बात फरमा रहे थे तो चीफ मिनिस्टर साहब बीच में बोल पड़े थे इसलिए मुझे कहना पड़ा कि अगर आपने इन्हीं के कहने पर फैसला देना है तो दे दीजिए । खान साहब ने भी उसी अन्दाज से कहा था जिस तरह से मैंने इसलिए अब there should be no discrimination. If you have given some concession to older Members, I being a middle

aged Member as I am neither an older nor a young Member,
(Laughter)

Mr. Speaker : We will let you, Dr . Mangal Sein, get away this time.

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब वे रिमाकर्स रिकार्ड में नहीं रहने चाहिए।

Mr. Speaker : Those words may be expunged.

(Interruption by Shri Mangal Sein)

Mr. Speaker : No talking while sitting.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, जब खान साहब ने वह शब्द कहे थे तो मैंने प्वायन्ट आउट किया था तब तो आपने उन्हें कुछ नहीं कहा और अब आप कह रहे हैं 'एक्सपंजड' में समझता हू कि जिस मूड में मैंने यह बात कही है वह उनके जैसा ही था । वैसे अब आप कहेंगे that I have given a Ruling.

Mr. Speaker : And I have given a Ruling.

POINT OF ORDER

Shri S.P.Jaiswal : On a point of order, Sir, May I know what words have been expunged ?

Mr. Speaker : The whole sentence.

Shri S.P. Jaiswal : What are those words ?

Shri Bansi Lal : May I request, Sir, that those

words may not be read out otherwise they will come on record.

Shri S.P. Jaiswal : Sir, May I know whether anything else besides unparliamentary, undignified or defamatory expressions can be expunged ?

Mr. Speaker : No.

Shri S.P. Jaiswal : Sir, Rule 116 (1) of the Rules of Procedure is relevant to the point. It says--

"(1) If the Speaker is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or un-parliamentary or undignified, he may, in his discretion order that such word or words be expunged from the proceedings of the Assembly."

So outside these, the House does not vest the discretion in the Chair to expunge. (Interruption)

Mr. Speaker : I consider those remarks as undignified.'

श्री मंगल सैन : चलो जी। उनके रिमार्कस डिगनीफाइड हुए और हमारे अन-डिगनीफाइड ।

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : Notice of Call Attention Notice No. 5, given by Shri Daya Krishan, M. L. A., concerning the poor examination results and merit lists of Government Colleges and Schools viz-a-vis the Private Colleges and Schools is disallowed as the matter is not of urgent nature.

Notice of Call Attention Notice No. 6 given by Shri Daya Krishan, M. L. A., regarding the failure of the State Government to get its due share in Pepsu Road Corporation is disallowed as the matter is not of urgent nature.

Notice of Call Attention Notice No. 7 by Shri Daya Krishan, M. L. A. regarding alleged illegal transfer of Panchayat Land through collusive decrees is disallowed as it does not pertain to a matter of urgent public importance and is of a continuing nature.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER.

Mr. Speaker : Under proviso to Rule 58 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly I have to inform the House that

(i) Rao Birender Singh has resigned his seat in the Haryana Legislative Assembly vide his letter dated the 16th March, 1971; and

(ii) Sarvshri Mukhtiar Singh and Ram Parkash have resigned their seats in the Haryana Legislative Assembly vide their letters dated the 18th March, 1971.

Panel of Chairmen

Mr. Speaker : Under Rule 13 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairmen :-

1. Shri Daya Krishan.

2. Shri Satya Narain Syngol.
3. Shri Ishwar Singh.
4. Shri S. P. Jaiswal.

Committee on Petitions.

Mr. Speaker : Under Rule 293 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions :-

1. Shrimati. Lekhwati Jain (Deputy Speaker) Ex-officio Chairman.
2. Shri S. P. Jaiswal.
3. Shrimati Lajja Rani.
4. Dr. Malik Chand Gambhir; and
5. Dr. Rameshwar Das.

Secretary will now lay some paper on the Table of
the
House.

Announcement by the Secretary

Secretary : Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Budget Session 1971 and assented to by the Governor/*President.

Statement

1. The Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill,
1971.
2. The Northern India Canal and Drainage (Haryana Amendment) Bill, 1971.
3. The East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Bill, 1971.
4. The East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill, 1971.
5. The Punjab State Tubewell (Haryana Amendment) Bill, 1971.
6. The Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amend. ment) Bill, 1971.
7. The Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment Bill, 1971,
8. The Haryana Prevention of Beggary Bill. 1971.
9. The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1971.
10. The Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill, 1971s
11. The Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill, 1971.
12. The Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amend-

ment) Bill, 1971.

13. The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1971.

14. The Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill, 1971.

15. The Haryana Aided Schools (Security of Service) Bill, 1971.

16. The Haryana Appropriation Bill, 1971.

17. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1971.

*18. The Haryana Housing Board Bill, 197L

*19. The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1971.

*20. The Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1971.

CALL ATTENTION NOTICE

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरे पास आपके ऑफिस से एक कापी आयी है जो कि सीरियल नं. 1 पर मुझे ऐड्रैस्ड है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका मोशन 2-8-1 971 के लिये ऐडमिट हो गया है । आपने मुझे काल अपौन नहीं किया?

Mr. Speaker : This matter is in dispute and is being reconsidered.

Shri Mangal Sein : When you have admitted my Call Attention Motion and a copy has been given to me फिर इसमें रिकन्सिडरेशन की बात कहां से आ गयी?

Mr. Speaker : The hon. Member may kindly discuss it later in my Chamber if he wishes to. I have told him the whole position.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, यह बात पहली बार ही सुनने में आयी है । हमें तो ऐसा तजरुबा पहली बार हो रहा है, पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं ।

Shri S. P. Jaiswal : On a point of Order, Sir. The House would also like to know the hon. Speaker's power to reconsider a decision in respect of a motion after it has already been admitted.

Mr. Speaker : If you remember in the past so many sessions when submissions have been made, we have reconsidered our decisions. I can quote you so many examples. You also would agree that occasions may arise when a certain aspect of a problem may not have been examined in detail or has been over-looked and if something is brought to my notice I am surely inclined to reconsider it. In such a situation, whether it is the Speaker or anybody else he would like to reconsider it, once it is brought to his notice.

Shri S. P Jaiswal : There will have to be a

particular rule under which it can be done. So far as I see there is no rule under which a motion which has been admitted by you can be reconsidered.

Mr. Speaker : You will get a ruling if you like.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, बात बड़ी सिम्पल है । एस. एस. एस. बोर्ड ने बड़ी धाँधली मचा रखी है । एक अखबार 'हरियाणा क्रोनीक्ल' निकलता है उसने फ्रन्ट पेज पर बोर्ड की अनियमितताओं और पक्षपात का जिक्र किया है (व्यवधान)

श्री बन्सी लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहब, जिस काल अटैन्शन मोशन के नोटिस के ऊपर आप गौर कर रहे हैं, क्या आनरेबल मैम्बर उसके बिल्ट को हाउस में भाषण के तौर पर आपकी रूलिंग के बाद भी दे सकता है?

Mr. Speaker : Let me answer. I have told you that I had admitted your Call Attention Motion. Certain things have been brought to my notice which require further examination. The matter is still under consideration. I may tell you that there are ways and ways of doing things. There is an hon. Member, Shri Balwant Rai Tayal. He had given a certain question in the last session and a similar thing happened. I considered it and gave a ruling and for this session he put the same question and it has been answered today. So, there are occasions when certain things are brought to my notice and if there are new aspects, new reasons which are required to be considered by me, it is not only for one but for all of you, I should be able to reconsider if there is something substantial or reasonable' on any matter concerning an hon. Member. So,

I have given my ruling that it is under consideration and you will get the answer tomorrow or day after.

श्री मंगल सैन : मैं आपकी बात से ऐग्री करता हूँ लेकिन स्पीकर साहब, मैंने तो कोई पुरानी बात रिपीट नहीं की ।

Mr. Speaker : No more. We will not go into the details of this motion.

श्री मंगल सैन : एस. एस. एस. बोर्ड का नाम न लुं ।

श्री बन्सी लाल : लोन दफा तो ले लिया है.....
(व्यवधान)

Mr. Speaker : We take up the next item on the Agenda. Certain papers are to be laid on the Table.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Agriculture Minister (Shri Bhajan Lal) : Sir, I beg to lay on the Table the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Ordinance, 1971.

Excise and Taxation Minister (Shri Sarup Singh) :
Sir, I beg to lay on the Table-

(i) The Punjab General Sales Tax (Haryana Amendment) Ordinance, 1971.

(ii) The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment and Validation) Ordinance, 1971.

(iii) The Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Ordinance, 1971.

Transport Minister (Shri Mahabir Singh) : Sir, I beg to relay on the Table a copy each of the following notifications, under Section 133 (3) of the Motor Vehicles Act, 1939,-

(i) Notification No. GSR, 20/C, A. 4/39/S, 41/70. dated the 25th February, 1970.

(ii) Notification No. GSR. 21/C. A. 4/39/Se. 24 & 41/Amd/70, dated the 2nd March, 1970.

(iii) Notification No. GSR/C. A. 4/39/S. 70/70, dated the 18th September, 1970.

(iv) Notification No. GSR/C. A 4/39/Ss. 24 and 41/Amd/70, dated 12th November, 1970.

Irrigation & Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur)
Sir, I beg to lay on the Table the Annual Administration Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1969-70, as required under Section 75 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

I also lay on the Table the 3rd Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1969-70, as required under Section 69 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

I further lay on the Table the statement showing the details of loans raised by the Haryana State Electricity Board for which guarantees for repayment have been given by the Haryana State Government, as required under Section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

Industries Minister (Shri Harpal Singh) : Sir, I beg to lay on the Table the 4th Annual Report and Accounts of the Haryana Financial Corporation for the year ending 31st March, 1971, as required under Section 38 (3) of the State Financial Corporation Act, 1951.

Development Minister (Shri Parbhu Singh) : Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following notifications, under Section 115 (4) of the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1961 :-

(i) Notification No. GSR. 86/P, A. 3/61/S. 115/Amd. (1)/69, dated 12-6-1969.

(ii) Notification No. GSR. 191/P. A. 3/61/S. 3/61/Amd/69, dated 24-12-1969.

(iii) Notification No. GSR. 74/P. A. 3/61/S. 115 Amd./7 dated 29-5-1970.

(iv) Notification No. GSR. 60/P. A. 3/61/S. 115/Amd/70, dated 24-4-1970.

(v) Notification No. GSR. 112/P. A. 3/61/Ss. 115,33 and 100/Amd/70, dated 20-10-1970.

(vi) Notification No. GSR. 87/P. A. 3/61/S. 115/70, dated 3-7-1970.

(vii) Notification No. GSR. 7/P. A. 3/61/S. 115/71, dated 29-1-1971.

(viii) Notification No. GSR. 125/P. A. 3/61/Ss. 115, 34 and 53/Amd /70, dated 27-11-1970.

(ix) Notification No. GSR. 94/P. A. 3/61/S. 115/Amd./70, dated 14-8.1970.

(x) Notification No. GSR. 18 P. A. 3/61/53. 33 and 100/Amd/ 71, dated 26-3-1971.

(xi) Notification No. GSR. 97/P. A. 3/61/S. 115/Amd./70. dated 14-8-1970.

PRESENTATION OF SUPPLEMENTARY ESTIMATES

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 1971-72.

PRESENTATION OF REPORT

Shri Amir Chand Kakar (Chairman, Estimates Committee) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 1971-72.

THE PUNJAB AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1971

Agriculture Minister (Shri Bhajan Lal) : Sir, I beg to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 1971.

I also beg to move—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Agricultural Produce Markets
(Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

श्री सत्य नारायण सिगौल (सफीदों) : डिप्टी स्पीकर साहिब। आज के एग में जो अहमियत इस मार्केटिंग बोर्ड को हरियाणा के अन्दर हासिल है उसके मैम्बरान के बारे में जो डिस्कवालिफिकेशन पहले से मौजूद है वह बहुत ही ज्यादा उचित है। इसमें किसी किस्म की तरमीम करना ठीक बात नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो जो आदमी क्रिमिनल मिस-एप्रोप्रिएशन करता है वह भी बोर्ड का मेम्बर बन जायेगा और उस बोर्ड का जिसके पास करोड़ों रुपया अपने फंडज का हो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। वैसे तो गवर्नमेंट ने और भी बहुत से ऐसे बोर्ड बनाए हुए हैं जिनके अन्दर उनके चेयरमैनो ने करोड़ो रुपये का घपला किया हुआ है और इसका सबूत कागजातों पर मौजूद है लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो ट्रेजरी बैचिज पर बैठे हुए हैं यही नहीं कि उसको ओवर-लुक करते हैं बल्कि मैंने तो यहां तक देखा है कि इन्होंने सैण्टर से उन्हें पद्मश्री तक का खिताब भी दिलवाया हुआ है। लेकिन मैं तो इनसे एक ही बात कहूंगा कि जो आदमी किसी जुर्म करने में फंसा हुआ हो या जसको सजा हो चुकी है उसको 5 साल या 7 साल के बाद फिर कैसे बोर्ड का मैम्बर बनाया जाये? यह बात कोई अच्छी नहीं है। ऐसा देखते हुए मेरा तो एक ही खयाल है कि यह किसी अपने

आदमी को बोर्ड का डायरेक्टर अप्वायंट करना चाहते हैं । क्योंकि वह आदमी डिस्कवालीफाइड है इसलिये उसे ये आगे लाना चाहते हैं । गुप्ता जी मेरी तरफ देख रहे हैं शायद इनका ही कोई रिश्तेदार हो?

श्री बनारसी दास गुप्ता : मेरे रिश्तेदार तो आप ही हैं, आपको बनायेंगे । (विधन)

श्री सत्य नारायण सिंगोल : मैं आपका –रिश्तेदार कंसे हो सकता हूं? डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज करूंगा कि इसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कि यह बोर्ड बडी अहमियत रखता है और जिसके पास करोड़ों रुपये का बजट है इसमें किसी भी ऐसे आदमी को जिसके करैक्टर 'पर किसी भी किस्म का धब्बा हो उसको ऐसे बोर्ड में नामजद किया जाना उचित नहीं है । बजाये इसके कि ये इसको प्रैस करें इनके चाहिये कि ये दोबारा सोच लें और इस बिल को वापिस ले ले ताकि हरियाणा के अन्दर एक और बुरी चीज की ऐडीशन न हो । इन शब्दों के साथ गै इस बिल का विरोध करते हुए रिक्वैस्ट करू गा कि इसे पास न कियो जाये ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : (भिवानी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जी संशोधन हमारे कृषि मन्त्री महोदय ने सदा के सामने प्रस्तुत किया है यह बहुत ही साधारण सी बात है । मैं समझता हूं कि इस पर बहुत कन्ट्रावर्सी या विवाद की बात नहीं है

। हमारे विरोधी दल के जो सज्जन हैं, जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं इनका तो एक ही तरीका है कि ये केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं । जब कोई विरोध करने की बात नहीं होती तब भी कोई न कोई बात नुक्ताचीनी के लिए तलाश करने की कोशिश करते हैं । छींटा-कशी करना बहुत साधारण बात है । किसी भी आदमी को किसी सदन से या किसी जगह से आयु भर के लिये डिसक्वालिफाई नहीं किया जा सकता उसके लिये कोई पीरियड होता है कोई समय निर्धारित होता है । पार्लियामेंट या असैम्बलील या जो बड़े से बड़ा सदन हिन्दुस्तान के अन्दर हं उससे भी आयु भर के लिये कोई डिसक्वालिफाई नहीं होता । लेकिन कुछ समय के लिए एक सरकार आई जिसने किसी व्यक्ति से रंजश निकालने या किसी ईर्ष्या के कारण एक ऐसा नियम बनाया कि मार्केटिंग कमेटी से जो डिसक्वालिफाई किया जाये वह हमेशा के लिये डिसक्वालिफाई रहे । डिसक्वालिफिकेशन को दूर करने के लिये और उसके लिये समय निर्धारित करने के लिये यह एक बहुत साधारण सा संशोधन सदन के सामने पेश है । मेरे माननीय दोस्त सिंगोल साहब ने बताया कि लारवों करोड़ों रुपया मार्केटिंग बोर्ड के हाथ में है तो मैं बहू बात दावे के साथ कह सकता हू कि वह लाखों करोड़ों रुपया जिसका किसी जमाने में ज्यादा सदोपयोग नहीं होता था यह तो मैं क्या कहूँ कि दुरुपयोग होता था लेकिन आज उस रुपये का बड़ा अच्छा सदोपयोग किया जा रहा है । हरियाणा सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि फलां तारीख तक हम हरियाणा के एक-एक गाँव का पक्की सड़कों से सम्बन्ध

स्थापित कर देंगे । मार्केटिंग कमेटी का जो रुपया है वह इस भले काम के लिये जन-कल्याण के लिये खर्च किया जा रहा है । यह बात हर जगह कही जा रही है कि हिन्दुस्तान में हरियाणा ही एक ऐसी स्टेट है जहां सब से ज्यादा डिवैलपमेंट का काम हो रहा है ।

चौधरी दल सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । गुप्ता जी, जिस मजमून पर बोल रहे हैं उस का सडक बनाने से ताल्लुक नहीं है, वैसे जो सडकें भी ये बना रहे हैं उनमें भी कच्चे रोडे लगा रहे हैं आपको रिश्वत मिलती हैं लूटो कोई बोलने वाला नहीं है ।

उपाध्यक्षा : यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपको बताऊ कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है ।

चौधरी दल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी तो सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि इस संशोधन के अन्दर जिसका यह जिक्र कर रहे हैं सडकों का कोई जिक्र नहीं है । इस बात पर आपकी तवज्जुह दिला रहा हू ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सिंगोल साहब ने इस संशोधन का विरोध किया था इस लिए मैंने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में आप के सामने अपना केस प्रस्तुत किया है कि किसी व्यक्ति को सारी उमर के लिये डिसक्वालिफाई नहीं किया जा

सकता । तो यह साधारण संशोधन है और उसके लिये कोई पीरियड कोई समय निर्धारित किया जाये । बाकी जो बातों का मैंने मार्केटिंग बोर्ड के बारे में जिक्र किया उसका क्योंकि सिंगोल साहब ने अपने भाषण में जिक्र किया था इसलिये मेरे लिये भी यह जरूरी था कि मैं भी इसकी चर्चा करूं । लेकिन मेरे सम्मानित सदस्य चौधरी दल सिंह को न जाने क्यों दर्द होता है कि वह हर बात में क्लेश का ही जिक्र करते हैं । कोई विकास काय हो उसमें भी यह नुक्ताचीनी करने की कोशिश करते हैं । भलाई का कोई काम होता है उसकी यह प्रशंसा करना नहीं जानते हैं जबकि सारा हिन्दुस्तान जानता है कि हरियाणा में कितना अच्छा विकास का काम हो रहा है । (विघ्न)

(इस समय चौधरी दल सिंह बोलने के लिये खड़े हुए)

उपाध्यक्षा : मैं आनरेबल मैम्बर से रिक्वैस्ट करूंगी कि वे बैठ जायें ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह साधारण सा संशोधन है इसको पास कर दिया जाये ताकि किसे व्यक्ति को हमेशा के लिये उसके अधिकारों से वंचित न किया जा सके । धन्यवाद ।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब, मैं आप से रिक्वैस्ट करूंगी कि यह छोटा सा बिल है इस लिए आप ज्यादा टाईम न लें ।

चौधरी रणबीर सिंह : (किलोई) रू डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह तो आपने बगैर किसी बात के, जैसे कि मैं हाउस का ज्यादा समय लेने का आदी हूं, पहले ही मेरे खिलाफ अपना फैसला दे दिया है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं मुकाबला तो नहीं करता लेकिन इतना कहने का जरूर हक रखता हूं कि जो मैं समय लेता हूं वह इस सदन की, और हरियाणा के लोगों की इज्जत बढ़ाने के लिए लेता हूँ और मेरी कन्ट्रीब्यूशन इस किस्म की होती है कि जो हमें बार बार हाउस में तरमीमें लानी पड़ती है वे न लानी पड़े और उससे हमारे देश को जो घाटा होता है वह न हो । मैं हमेशा ऐसी बातों की तरफ ध्यान दिलाता हूँ ।

उपाध्यक्ष : हां जी आप बोलिए ।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं सोचता था कि जो विधेयक यहां पर ला कर रख दिया है उसकी पहले ये हमें इतलाह देगे, पहले प्रोग्राम के मुताबिक इस पर आज बहस नहीं होनी थी । लेकिन बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई और उसका एक फैसला हुआ । उसको भी सदन में पेश करके उसकी मन्जूरी नहीं ली गयी । अगर हाउस की मन्जूरी लेने के बाद वह कार्यवाही शुरू होती तो कोई एतराज की बात नहीं थी । जैसे श्री बनारसी दास जी ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ कि यी अमेंडमेंट मासूम सी दिखाई देती है मगर इसका नोटिस हमें अभी मिला है और न ही मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि इसको लाने के पीछे भावना क्या है और क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी ।

उपाध्यक्षा : वह तो आपको बाद में बतायेंगे ।

चौधरी रणबीर सिंह : मिनिस्टर साहब ने जब विधेयक पेश किया उस वक्त उनको बताना चाहिए था और उसके बाद पहली रीडिंग पर मैम्बर साहिबान जब अपने ख्यालात का इजहार कर चुकें तो सरकार की स्थिति के बारे में वजीर साहब दोबारा बताएं । मैं मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर इसको स्टडी करने के लिए उन्होंने समय नहीं दिया तो कम से कम वह इतना तो जरूर बता दें कि वह इसे क्यों लाए हैं? बहरहाल इस सदन ने एक कानून पास किया जिसकी अमेंडमेंट की आज जरूरत है और मैं उसकी हिमायत में हूँ । लेकिन वह कानून किन हालात में पास किया गया जो आज उसमें तरमीम लाने की जरूरत पड़ी है । उसकी वजह व) तो यह हूँ कि जिस तरीके से आज दोबारा इस विधेयक को ला कर कोई समय नहीं दिया जा रहा उसी तरह से उस वक्त भी बगैर विचार विमर्श के उस बिल को रश-थ्रू किया गया जिसकी वजह से आज यह अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी । इस बात में दो राए नहीं हो सकतीं कि हमारे कन्स्टीच्यूशन के तहत जितने भी कानून हैं उसके मुताबिक किसी आदमी को हमेशा के लिए रोक नहीं लगाई जा सकती । लेकिन उस वक्त रोक लगाने का क्या मुद्दा था उस पर रोशनी डाली जानी चाहिए थी । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि किसी ने अगर गबन कर लिया हो तो उसको सारी उम्र के लिए डिबार कर दिया जाए चाहे वह किसी सरकारी हुक्म के मुताबिक हो, तो मैं भी इसके हक

में नहीं हूँ । चुनाव में करप्ट मीन्ज एडाप्ट करने के जब सुप्रीम कोर्ट में केसिज जाते हैं वह पाँच छः सालों से ज्यादा रोक नहीं लगा सकते । इस लिए यह जो त्रुटि दूर की जा रही है मैं इसके हक में है अभी मुझसे पहले जैसे सिंगोल साहब ने कहा स्टेट मार्किटिंग बोर्ड का आज एक बहुत अहम स्वान हो गया है और उस पैसे को खर्च करने के लिए जो बोर्ड बनता है उसमें हमारे प्रदेश का बहुत हित है कि बहुत बोर्ड अच्छा बने, कौन उसके सदस्य बनाए जाएं, उनके ऊपर क्या रोक लगनी चाहिए, इन अब बातों पर विचार करने के लिए इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं हो सकता । जिसे करोड़ों रुपया खर्च करने का अधिकार है, जिसे अनुदान भी देते हैं, जिस पर कि सदन को चर्चा करने का मौका भी नहीं मिलता, उस बोर्ड की फौरमेशन के बारे में यहाँ पर अच्छी तरह से वजाहत के साथ बताया जाना चाहिए कि उसका क्या रूप होगा? श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने कहा कि पहले जितना स्टेट मार्किटिंग के पास पैसा होता था उसका इस्तेमाल नहीं होता था । उसका कारण यही था कि कोई उस पैसे के बारे में सदन के सामने रिपोर्ट वगैरह नहीं आती थी । तो जैसे उन्होंने शिकायत की सिर्फ एक आदमी पर रोक लगा कर रुपए का सही इस्तेमाल नहीं करवाया जा सकता । जितनी फीस पहले लगती थी अब उससे तकरीबन दुगनी लगती है और वह भे ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर वो जरिए लगती है । तो लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि उनके पैसे की सही तरजमानी होगी सरकार के लिए यह बताना जरूरी है कि बोर्ड के मैबर बनाने के लिए क्या परिभाषा

होगी और किन किन बातों को सामने रखेगी । मिनिस्टर साहब को हमें बताना चाहिए कि उस पैसे का सही इस्तेमाल करवाने के लिए सरकार इसे सिलसिले में क्या कार्यवाही करना चाहती है । इसकी मैं जानकारी मंत्री महोदय से चाहता हूँ । चौधरी दल सिंह जी ने यहां पर एक इलजाम लगाया, उसमें सचाई है था नहीं वढ दूसरी बात है, लेकिन जो बात यहां पर कही जाती है वह जब प्रैस में छपती है तो उससे सारी पार्टी पर ही हरफ आता है । इस लिए मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जो स्टेट मार्किटिंग बोर्ड है वह किस ढंग से कार्य करेगा । आगे उसमें कोई तबदीली करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते और जो कानून है क्या अब पूरा है, इसमें कोई और तबदीली करने की जरूरत तो नहीं । इन सब बातों के बारे में वह हमें जानकारी दे ताकि हमारा जो अविश्वास है वह दूर हो सके ।

श्री मंगल सैन : (रोहतक) डिप्टी स्पीकर साहिबा, कृषि मन्त्री महोदय सदन से यह बिल पास करवाना चाहते हैं जिसका नाम है पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1971 इन्होंने ऐक्ट में जो संशोधन लाया है उसमें लिखा है—

"Provided that the disqualification incurred under
:—

(i) clause (c) shall not apply after the expiry of five years from the date of removal; and

(ii) clause (e) on the ground of a sentence by a criminal court, shall not apply after the expiry of four years from the date on which the sentence has expired."

डिप्टी स्पीकर साहिबा अमेंडमेंट में दिए गए कारण से अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाई हो गया हो और पांच साल के बाद दोबारा चुन कर ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट कमेटी का सदस्य बनकर आ जाए तो मैं समझता हूँ यह अधिकार देना ठीक नहीं है । यह बात बड़ी अटपटी सी है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, कई बार ऐसा होता है कि सरकार का मन्शा कुछ हो लेकिन जो इन के काम है उन पर हमें संशय होता है । अब तो दिन-ब-दिन संशय बढ़ता चला जा रहा है । क्यों बढ़ता चला जा रहा है?

उपाध्यक्षा : आप बिलु पर बोलें ।

श्री मंगल सैन : आपने कैसे अनुमान लगा लिया कि मैं बिल के शहर जा रहा हूँ । मैं अपनी बात अभी कहने ही वाला हूँ और दूसरे फर्स्ट रीडिंग में तो मुझे सब कुछ कहने का अधिकार है, आप रोक नहीं सकतीं ।

उपाध्यक्षा : जो बिल अ डर डिसकशन है उस पर बोल ।

श्री मंगल सैन : मैं बिल पर ही बोल रहा हूँ, घर के मामले पर नहीं बोल रहा हूँ । आप ज्यादा खुशानूदी हासिल करने की कोशिश न किया करें । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कहना

चाहता हूँ कि इस बिल के रिजन्ज एंड औब्जेक्ट्स में लिखा है

--

"According to clause (c) of sub-section (5) of section 3 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961, a member removed under sub-section (7) of section 3 or section 15 of the said Act is debarred from becoming a member of the Board for ever. It has been decided to restrict this disqualification for a period of five years from the date of removal of such a member. In order to achieve this object the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Ordinance, 1971 was promulgated. The Bill seeks to replace the said Ordinance,"

इसके बाद ऐक्ट के सब सैक्शन 7 में लिखा है जो में पढ़ देता हूँ--

"(7) The State Government may remove any member of the Board who has become subject to any of the disqualifications specified in sub-section (5) or who is, in its opinion, remiss in the discharge of his duties and may appoint another member in his place in the manner as provided in clauses (a) or (b) of sub-section (1) to whichever category the removed member belongs."

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बड़ी अजीब बात है कि एक व्यक्ति को पहले तो हम अपराध करने के आरोप में कमेटी से हमेशा के लिए निकाल देते हैं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि इसको हमेशा के लिए नहीं निकालना चाहिए । इस उद्देश्य की

पूर्ति के लिए इस बिल में यह अमेंडमेंट लाये हैं कि उस आदमी को पांच साल तक मैम्बर बनने के लिए रिसिट्रक्ट कर दिया जाए । इस प्रदेश में ऐसे महानुभावों के हाथों में शासन है जो डैमोक्रेसी को, लोकतन्त्र को कुचलना चाहते हैं । उनकी आस्था डैमोक्रेसी में बहुत कम है । क्यों आस्था कम है यह मैं आपके द्वारा सइन को बराना चाहता हूँ । एग्रीकल्चर मार्किट बोर्ड के मैम्बर पहले चुने जाते थे लेकिन अब गवर्नमेंट उनको नौमिनेट करती है । यह बिल्कुल इर्रैलेवंट बात है । इस बोर्ड का एक कंस्टीच्यूशन है । मार्किटिंग बोर्ड को जब कंस्टीच्यूट करते हैं तो प्रोड्यूसर्स, कमीशन एजेंट्स जो माल तुलवाते हैं और कोआप्रेटिव सोसायटीज के मैम्बर मिल कर एक कमेटी बनाते थे उसको मार्किट कमेटी कहते हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह चीज इनको मन्जूर नहीं थी क्योंकि ये जनता को फेस नहीं कर सकते । मुख्य मंत्री साहब कह देते हैं कि हमने बिजली की तारे लगा कर दी हैं..

उपाध्यक्षा : क्या यह बिल का पोर्शन है जो आप बोल रहे हैं?

श्री मंगल सैन : बिल्कुल बिल का पोर्शन है, आप सैक्रेटरी साहब से पूछ लें, अगर मैं इर्रैलेवंट हूँ तो मुझे बता दें । ये कहते हैं कि हमने बिजली की तारे लगा दी हैं, बहुत अच्छा काम किया है । यह इसलिए कहते हैं कि जनता को पेस नहीं कर सकते । इनके 23 मन्त्री और उप-मन्त्री हैं जो डिफैक्शन करवा

कर थैलियां भेंट करवाते हैं । जनता से रुपयों की थैलियां भेंट करवाते हैं और बताते हैं कि हमने बिजली की तारे लगा कर बहुत अच्छा काम किया है ।..... (व्यवधान)

उपाध्यक्षा : आप बिल की क्लोज पर बोलें

श्री मंगल सैन : आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, मैं अपने प्वायंट पर बोलूंगा जो कि क्लोज से सम्बन्धित है ।

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : On a point of order, Madam. Can a member be allowed to speak outside the purview of the Bill ? The hon. Member can speak strictly on the amendment proposed in the Bill, and on no any other clause. This is very clearly laid down in the Vidhan Sabha Rules.

Deputy Speaker : I know it and I have already told the hon. Member that he should not go beyond the scope of the Bill.

Shri Bansi Lal : Madam, if he insists on speaking beyond the scope of the Bill, then he may be asked to resume his seat. If he does not obey the Chair, then there are other remedies available for this.

Deputy Speaker : I have already requested the hon. Member to speak only on the Bill.

श्री मंगल सैन : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं बिल पर ही निवेदन कर रहा हूँ । यह मेरे अधिकार क्षेत्र में है कि विधेयक पर बोलने से पहले फर्स्ट रीडिंग में जनरल डिस्कशन कर सकता हूँ,

जनरल चीजों पर अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ । मैं कह रहा था कि इस अमेंडमेंट के जरिए बिल में नौमिनेशन की जो प्रथा शुरू की जा रही है, यह बुरी है..... (मुख्य मन्त्री की तरफ से विघ्न)..... मुख्य मन्त्री जी आप से हिदायत करवा रहे हैं कि मैं अपनी सीट रिज्यूम करूँ । मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि यहां कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको ये निकलवाना चाहते हैं और उसके बाद साबित करना चाहते हैं कि मेरी बात ठीक है.....

उपाध्यक्षा : आप बिल के सम्बन्ध में बोलें.. व्यवधान...

श्री मंगल सैन : मैं सम्बन्ध में ही विश्वास रखता हूँ, डाइवोर्स में विश्वास नहीं रखता (हंसी) । डिप्टी स्पीकर साहिबा, थोड़ी सी बात और ऐक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनका इस बिल को अमेंड करने में असल मकसद क्या है । भले ही कोई आदमी कमेटी से रिमूव हो गया हो, जिस को गे मैम्बर बनाना चाहेंगे, जो इनका मित्र बन गया हो, चाहे वह मित्र किसी क्रिमिनल केस में सजा भोग कर आया हो, उसको आसानी से मैम्बर बना सकते हैं जबकि पहले नहीं बर्नी सकते थे । अब ये समझते हैं कि बतौर एक क्रिमिनल के सजा भुगतने की अवधि के दौरान उस अपराधी ने अपने में सुधार कर लिया है और उसको बोर्ड में शामिल कर लिया जाए । इसीलिए यह संशोधन लाया गया है । मैं सदन को स्पष्ट कछु देना चाहता हूँ कि इस अमेंडमेंट से कोई सुधार होने वाला नहीं, इससे कोई बात साफ नहीं होती । हं निवेदन करूंगा कि इस मामले में मैं ज्यादा न जाता हुआ इतना ही कहूंगा कि

मन्त्री महोदय इस चीज को स्पष्ट करें कि इस अमेंडमेंट का क्या मतलब है?

श्री दल सिंह (जुलाना) : उपाध्यक्ष महोदया, पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किट्स ऐक्ट में तरमीम लाने के लिए सरकार ने एक बिल पेश किया है । बद-किस्मती यह है कि अगर हम सोने को सोना कहें तो हमारे जो सरकारी भाई हैं वे उसको लोहा कहते हैं और अगर वे सोना कहते हैं तो हम लोहा कह देते हैं मगर मैं समझता हूँ कि वास्तविकता पर भी कोई चीज आधारित होनी चाहिए । जहा तक इस बिल का सम्बन्ध है यह तरमीम बिल्कुल ठीक है । डिसक्वालिफिकेशन दूसरे मैम्बरों की भी होती है, एम० एल. एज० की भी होती है और एम० पीज० की भी होती है । मगर पाँच साल से ज्यादा डिसक्वालि- फिकेशन किसी की नहीं होता । सारी उमर के लिए डिसक्वालिफाई करने की खामी इस ऐक्ट के अन्दर बहुत बड़ी थी । यह बात दूसरी है कि डैमोक्रेसी को खत्म करके इन्होंने नामजदगी का पहलू अपनाया है । जहां तक इस धारा का ताल्लुक है यह बिल्कुल ठीक है ।

उपाध्यक्ष महोदया, इस ऐक्ट के सम्बन्ध में मैं एक और बात आपके हारा सरकार के नौटिस में लाना चाहता हूँ । इस ऐक्ट के अन्दर एक नुक्स और है । मार्किटिंग कमेटी से एक नुसायंदा पंचायत समिति में जाता है लेकिन अगर वह मार्किटिंग कमेटी हूट भी जाए तब भी वह पंचायत समिति का मैम्बर बना

रहता है । यह खामी बहुत बड़ी है । अगर यह भी दूर हो जाती तो बहुत अच्छी बात होती ।

श्री वैसी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, अगर आनरेबल मैम्बर का इस इशु पर, कोई अमेंडमेंट जाया हो तो Government will not hesitate to accept that amendment.

चौधरी दल सिंह : मेरी गुजारिश यह है कि आप सरकारी तौर पर यह अमेंडमेंट ले आएँ ।

श्री बन्सी लाल : आप अब दे दो, हमको क्या एतराज है? If a member has ceased to be a member of the Market Committee, he will not be a member any where. We agree to it.

वित्त मन्त्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह तो ऐगजामिन करना पड़ेगा । यह शायद ब्लौक समिति वाले बिल में न आता हो ।

श्री बन्सी लाल : मगर खसमें होता हों तो ऐगजामिन कर लेते हैं । We agree in principle. You are right and your stand is correct. The Government agrees with your views.

चौधरी दल सिंह : मुख्य मन्त्री जी के आश्वासन को देखते हुए, मैं ज्यादा न कहते हुए इस बिल की ताईद करता हूँ ।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुख्य मन्त्री जी ने सदन को एक अजीब अवस्था में लाकर रख दिया है ।

श्री बन्सी लाल : आप तो हमेशा ही अजीब अवस्था में रहते हो ।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं हूँ या आप है कोई सा दोनों में से एक है जरूर ।

उपाध्यक्ष : अजीब अवस्था में हाउस नहीं रहेगा । हाउस में फ़ैसला चेयर की तरफ से होना है कि आया अमेंडमेंट की आवश्यकता है या नहीं ।

Shri Bansi Lal : Legally if the amendment comes in, we agree.

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, संशोधन अब दिया जा सकता है क्योंकि सरकार संशोधन को कबूल करने के लिए तैयार है । जब एक असल को ये मानते हैं और कोई सदस्य संशोधन न दे तो कल को इन्हें संशोधित विधेयक लाना पड़ेगा । इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूँ कि आप सरकार को सलाह दें कि अगर कोई सदस्य संशोधन नहीं लाता तो वे संशोधन ले आएं । या तो इनको आश्वासन नहीं देना चाहिए था, अगर दिया है तो उसे पूरा करना चाहिए । बीच में वित्त मन्त्री जो कुछ कोमेंट कर गई है लेकिन हमें पता नहीं लगता है कि वित्त मन्त्री महोदया सही हैं या मुख्य मन्त्री महोदय सही हैं कागज पढ़ने के लिए सदन की बँठक के बाद यह कोई समय ले लें और दूसरा विधेयक आ जाए ।

Shri Bansi Lal : Madam Deputy Speaker, the point is now clear that this amendment will have to be brought in the other Act under which a Member continues to be a member. This amendment will not be in this Act but in the other Act. But the Government assures the House that this amendment will be made.

Shri Satya Narain Syngol : During this session.

Shri Bansi Lal : During this session and if we cannot bring it during this session we will **do** it by an Ordinance. But, we agree in principle.

Shri Satya Narain Syngol : That will be passed without discussion.

Shri Bansi Lal : We Agree to it.

Shrimati Om Prabha Jain : This is what I also said earlier .

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदया, कई आनरेबल मेम्बर्ज ने इस बिल पर आपत्ति उठाई । यह बड़ा मामूली सा संशोधन है । इस बिल के अन्दर एक कमी थी कि एक मैम्बर एक दफा डिसक्वालिफाई हो जाए और वह उमर भर किसी भी मार्किट कमेटी में इलैक्शन न लड़ स वे, न वह नौमिनेट हो सके यह एक बहुत बड़ी बे-इन्साफी की बात थी । हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है । वह भी किसी मैम्बर को 6 साल से ज्यादा डिसक्वालिफाई नहीं करती । सिंगोल साहब बड़ी तेजी से बोल रहे थे । आज वे जिस पाटी के नुमांयदे है, इसी पाटी की

जब सरकार थी तो इन्होंने यह बिल रखा था सिर्फ एक मैम्बर को डिसक्वालिफाई करने के लिए ताकि वह इलैक्शन न लड़ सके, और ना ही वह मार्किट कमेटी में नौमिनेट हो सके । (व्यवधान) बावल के इलाके के हुक्म सिंह जी को इलैक्शन लड़ने से डिबार करने के लिए राव बीरेन्द्र सिंह की सरकार उस वक्त के ऐक्ट में यह अमेंडमेंट लाई थी । (विधन) हम एक अच्छी प्रथा के लिए इस ऐक्ट के अन्दर संशोधन लाना चाहते हैं । चौधरी रणबीर सिंह जी ने एक लम्बा चौड़ा भाषण झाड़ा है कि मैम्बर पढ़ कर नहीं आते । चौधरी रणबीर सिंह पुराने सदस्य हैं, वजीर भी रह चुके हैं और पार्लियामेंट के मैम्बर भी रह चुके हैं । इनको यह इल्म होना चाहिए कि जो भी एजन्डा या बिल हाउस के सामने आता है उसका मैटीरियल एक दिन पहले हर मैम्बर के पास भेजा जाता है । (व्यवधान)---

चौधरी रणबीर सिंह : हमारे सदन के नियमों के मुताबिक विधेयक की प्रतियाँ पांच दिन पहले सदन के मैम्बरों के पास जानी चाहिए ।

चौधरी लाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आन ए प्वायंट आफ आर्डर, हाउस में डायरेक्ट बात हो रही है इसलिए मेरा निवेदन है कि आपकी मार्फत बात होनी चाहिए ।

उपाध्यक्षा : यह काम आप मेरे पर छोड़िए ।

श्री भजन लाल : चौधरी दल सिंह को वाक्या ही इस बात का इल्म है क्योंकि ये इसी ऐक्ट के अधीन डिस्क्वालिफाई हो गये हैं । आज ये एम० एल० ए० बने हैं, कल को वजीर भी बन सकते हैं परन्तु मार्किट कमेटी के मैम्बर नहीं बन सकते हैं । यह एक मैम्बर के साथ बड़ी भारी इन-जस्टिस है? इसी इन-जस्टिस को दूर करने के लिए हम इसमें संशोधन बिल लाए हैं इसलिए मेरी हाउस से प्रार्थना है कि इसे पास कर दिया जाए ।

Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2.

Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3.

Deputy Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1.

Deputy Speaker : Question is—

That clause I stand part of the Bill-

The motion was carried

TITLE

Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Shri Bhajan Lai) : Madam, I beg to move---

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be passed,

Deputy Speaker : Motion moved--

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

**THE EAST PUNJAB UTILIZATION OF LANDS
(HARYANA AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 1971.**

Excise and Taxation Minister (Shri Sarup Singh) :
Madam, I beg to introduce the East Punjab Utilization of
Lands (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1971.

श्री सत्य नारायण सिंगोल : उपाध्यक्ष महोदया, यह
प्रौक्सी क्यों?

श्री सरूप सिंह : कोई एतरोज वाली बात नहीं है ।

श्री सत्य नारायण सिंगोल : एतराज वाली बात तो है ।
हमारे जिले के मिनिस्टर चौधरी नेकी राम जी बैठे हैं वे खुद
इन्ट्रोड्यूस करे । चौधरी साहब जरा इनको अंग्रेजी पढ़ कर सुना
दो । (हंसी)

मुख्य मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : फिर तो आपको बिल
की स्पोर्ट करनी पड़ेगी । (हंसी)

श्री सत्य नारायण सिंगोल : वह तो देखा जाएगा

Revenue Minister (Shri Neki Ram) : All right,
Madam, I beg to introduce the East Punjab Utilization of Lands
(Haryana Amendment and Validation) Bill, 1971.

I also beg to move--

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana
Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at
once.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Shri Bansi Lal : Madam, only two members from Jind should be allowed to participate in the discussion on this Bill and they should support-their Minister.

श्री सत्य नारायण सिंगौल (सफीदों) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल हमारे सामने आया है, इसको मैं बेसिकली, प्रिसिपली और भाईचारे के नाते अपोज नहीं करूंगा । लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी दुःखदायक चीज इसके अन्दर दिखाई दी है । वह यह है कि इस बिल के जो ऐम्ज और औबजैक्टस हैं थे अच्छे हैं परन्तु जब भी कोई बिल ड्राफ्ट किया जाता है तो हमारे कानूनी सलाहकार उसके कंस्टीच्यूशनल और लीगल आसपैक्टस की तरह बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं । यह ऐक्ट पहले से ही हमारे यहां है अब तो इसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं क्योंकि इसको हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट ने अनवैलिड करार दिया है । मैं तो अब भी इसमें कानूनी कमी समझता हूं । अभी सारी कमिया पूरी नहीं हुई हैं । जब यह बिल पास हो जायेगा तो फिर ऐक्ट बनेगा और फिर यह कोर्ट में जाये— गा । आपको पता ही है कि इस ऐक्ट पर पहले भी काफी झगड़ा चल चुका है । यह कोई छोटा मामला नहीं है । अब भी इस बिल को जल्दी में ही पास किया जा रहा है क्योंकि अभी तक तो हमने पूरा पढा भी नहीं है । परसों जब हम घर से चलने लगे तब तो इस बिल की कापी हमें मिली । इतने थोड़े

समय के अन्दर हम क्या देख सकते थे? मैं तो दुबारा फिर यही कहूँगा कि इस बिल के ऐम्ज अच्छे हैं परन्तु यह बिल अभी पास नहीं होना चाहिए । इस बिल को अगले सेशन के लिये डैफर कर दिया जाये जल्दी में कोई न कोई कानूनी कमी रह जायेगी । यही मेरी हाउस से प्रार्थना है ।

(इस समय चौधरी सरूप सिंह बो बने के लिये खड़े हुए)

श्री सत्य नारायण सिंगौल : डिप्टी स्पीकर साहिबा मेरा व्यक्ति आफ आर्डर है । चौधरी सरूप सिंह जी इस बिल का जवाब देने के लिये खड़े हुए हैं । इस बिल का जवाब तो मिनिस्टर कंसंसर्ड को ही देना चाहिए ।

उपाध्यक्षा : कंसंसर्ड मिनिस्टर के अतिरिक्त अन्य मिनिस्टर भी अपने विचार रख सकता है ।

चौधरी रणबीर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा अभी तो दूसरे सदस्य भी अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं । चौधरी सरूप सिंह के बोलने के पश्चात यह न समझा जाये कि मिनिस्टर कंसंसर्ड का जवाब आ गया है ।

आबकारी व कराधान मन्त्री (श्री सरूप सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जौ अमेंडिंग बिल हाउस के सामने आया है यह बड़ा साधारण सा बिल हज । इसके बारे में यह कहना कि कानूनी सलाहकारों ने इसको पहले अच्छी तरह देखा नहीं और

इसमें कुछ गलतियां रह गयी थीं ऐसी बात नहीं हैं । इसमें अर्ज यह है कि जो दफा छरू ईस्ट पंजाब युटिलाइजेशन आफ लैंडन्ज एऊएक्ट की है उसके बारे में सन् 1967 में सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग आयी । यह रूलिंग पंजाब पब्लिक प्रीमिसिज इविकशन ऐन्ड रेन्ट रिकवरी ऐक्ट के सैक्शन 5 पर सुप्रीमकोर्ट की थी कि जहा कलैक्टर को टैनेन्टस को इजैक्ट करने की दो रैमैडीज दी हुई हैं एक तो समरी प्रोसिडिंग्ज से और दूसरे रैवैन्यू कोर्ट्स की रैगूलर प्रोसिडिंग्ज से ये आर्बिटेररी पावर्ज हैं । इसलिए इस रूलिंग को देख कर ही यह अमैन्डमेंट लाई गई है । पिछले सेशन में दफा 14.ए को ऐड किया गया था परन्तु बाद में हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की सन् 1971 में रूलिंग आयी जिसमें यह होल्ड किया गया कि यह जो दफा 14 ए ऐड की गई थी.. (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावती : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या हाउस में बैठ कर इस तरह से कान्फ्रैन्स हो सकती है जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब और अस्य मिनिस्टर बातें कर रहे हैं?

श्री सत्यनारायण सिंगोल : अब तो आपका चीफ मिनिस्टर साहब से राजी-नामा हो गया है अब तो कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए ।

श्री सरुप सिंह : मैं कह रहा था कि हाईकोर्ट की एक रूलिंग आयी उसमें यह होल्ड किया गया कि सैक्शन 14-ए को इनसर्ट करने के बाद भी इस सैक्शन छः के डिफैक्ट को रिमूव

नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको दोबारा री-इनैक्ट किया जाना चाहिए । इसलिये इस बिल रहो यहां लाया गया है और इस बिल को पास कर देना चाहिये ।

श्री सत्यनारायण सिंगोल : चौधरी सरूप सिंह ने यह स्पीच नहीं की है बल्कि उन्होंने तो यह जवाब दिया है ।

उपाध्यक्षा : अगर यह मिनिस्टर की तरफ से जवाब होता तो मैं मैम्बरों को आगे बोलने की इजाजत न देती ।

चौधरी दल सिंह (जुलाना) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, पूर्वी पंजाब भू-उपयोग अधिनियम 1949 में संशोधन करने के लिए यह बिल हाउस के सामने पेश किया गया है । इस तरह की तरमीम पहले भी की गई थी और अब फिर दफा 6 में तरमीम कर रहे हैं और यह तरमीम 29-7-1957 से कर रहे हैं । इसके लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है । दूसरी जो सब से खराब बात है वह यह है कि दफा 14 को निकाल दें और 6 को रख दें । इस दफा के अन्दर कलैक्टर को पूरा अख्तियार दिया गया है कि वह आबिट्रेरी फैसला कर सकता है । इस दफा के बाद कलैक्टर अपनी मर्जी से फैसला कर सकता है और उस फैसले को कोर्ट के अन्दर भी चौलेन्ज नहीं किया जा सकता । एक तरफ तो यह सरकार डैमोक्रेसी की बात करती है दूसरी तरफ कलैक्टर को यह अख्तियार दिया गया है कि उसके फैसले को कोर्ट में चौलेन्ज नहीं किया जा सकता है । यह बड़ी ज्यादाती की गयी है । किसी भी मुजारे को

बेदखल कर दिया जायें और उसको न कोई कम्पनसेशन दिया जाये और न ही वह बाद में कोर्ट में जा सके । यह डैमोक्रेसी में एक इन्सान के साथ बड़ी गैर-इन्साफी की बात है । यह बड़ी अजीब बात है कि कलैक्टर अपनी मर्जी से मुजारे को बेदखल कर दे । यह गरीब मुजारों के साथ धक्का है । यह काला बिल है । इन अलफाजात के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं और माननीय सदस्यों से यह अपील करता हूं कि यह बिल पास न किया जाये ।

चौधरी बनवारी राम (मु डला एस.सी.) : डिप्टी सीकर साहिबा, यह जो बिल हाउस के सोमने आया है इसके बारे में मैंने एक सवाल भी पूछा था परन्तु आज टाइम कम होने के कारण वह सवाल हाउस में नहीं पूछा जा सका । अगर यह बिल पास हो गया तो हरियाणा के अन्दर जितने भी पट्टीदार गुजारे हैं उनको कोई ठिकाना नहीं रहेगा इस कानून के बन जाने के बाद वे अपने केस के । लडने के लिए हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं । इसलिए इस बिल में जो एमेंडमेंट लाई जा रही है यह तो गरीब मुजारों को उनके हकों से महरूम करने के लिये लायी जा रही है । मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि यह बिल न पास किया जाये ।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : यह जो बिल जिस पर हाउस में विचार हो रहा है यह ऐसी सरकार के द्वारा लाया गया है जिसने चार-पांच महीने पहले जनता से यह बात कही कि हम

गरीबी को दूर करेगे और समाजवाद लायेंगे । इस बिल को ला कर इस सरकार ने उन गरीब भुजासे के साथ जिन्होंने पट्टे पर जमीनें ले रखी हैं, इन्साफ नहीं किया है । इस सरकार 'ने जो वायदे समाजवाद लाने के किए थे उनको भूल कर ये गरीबों को और ज्यादा पछाड़ना चाहते हैं । जो लोग पहले ही पिछड़े हुए हैं उनको पछाड़ने के लिए समाज के सामने ला खड़ा किया है । यहां हाउस में तो ये समाजवाद का ढोल पीट रहे हैं । लेकिन कारनामों कुछ और करते हैं । इसका जो पैरेंट ऐक्ट है उसे कहते हैं "ईस्ट पंजाब यूटेलाइजेशन आफ लैंडज ऐक्ट 1949" । इसकी मेरे पास एक किताब है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, उसमें सैक्शन 6 तो है ही नहीं, वह ओमिट किया हुआ है और जो नयी क्लोज उसमें शामिल करने चले हैं, उसके अन्दर सब क्लोज (1) में यह दिया हुआ है ।

"6. Power of Collector to determine lease in certain cases- (1) If a tenant commits a breach of any of the terms and conditions of his tenancy, the Collector shall have the power to determine the lease and take possession of the land after affording a reasonable opportunity to the tenant to show cause why his lease should not be determined and the possession of the land taken."

दूसरी क्लोज में ये कहते हैं :-

"(2) Where lease has been determined by the Collector under sub-section (1), the tenant shall not be entitled to any compensation."

और आखिर में कहते हैं कि Section 14 A of the Principal Act shall be omitted" डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सरकार समाजवाद का ढिंढोरा पीटने वाली है । अगर किसी तरह से अपनी मजबूरी की वजह से टर्मज ऐन्ड कन्डीशन्ज गुजारे जागीरदार के साथ पूरा नहीं करते तो डिप्टी कमिश्नर उनका पत्ता काट सकता है । उस बेसहारा को जो जमीन लेकर जी रहा है, सड़क पर पटक सकता है और छीनी हुई धरती के बदले में कम्पन्सेशन भी नहीं देंगे चाहे उसने कितना ही पुरुषार्थ किया हो, कितनी ही रातें आखों में गुजार कर खेती की देखभाल की हो और उसको सुधारा हो । उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा । यह कह दिया जाएगा कि तुम जाओ अपने रास्ते । सरकार उसकी जमीन ले लेगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, अन्याय और सबसे बड़ा जुल्म इसी बात का है । श्री बन्सी लाल जी उठ कर जा रहे हैं । जाते-जाते मेटी बात सुन लें:-

हम आह भी भरते ऐं तो हो जाते हैं बदनाम,

वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये सूबे में गरीबों का कत्ल भी करेंगे, उनकी धरती भी खोसेंगे, बेसहारा को धक्का दे कर या बहका कर या फुसला कर मगरमच्छ के आंसू भी बहायेंगे और फिर यह भी कहेंगे कि हम तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं हम बड़े-बड़े जागीरदारों से जमीन लेकर तुम्हें देने वाले हैं हमें मौका दो, हम

तुम्हे निहाल कर देंगे यह इनका हाल है। उनके साथ ज्यादाती करने के बाद भी वह आंसू कहीं नहीं बहा सकते। वह बेचारे कहीं इन्साफ नहीं मांग सकते। इन्साफ के दरवाजे उनके लिए बन्द कर दिए गए हैं। वे दीवार के साथ टक्कर मार कर मर जायें, इसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है।

श्री बनारसी दास गुप्ता : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह तो बड़े अच्छे ड्रामाटिस्ट हैं।

श्री मंगल सैन : क्या कहां जी? --- (व्यवधान) ---

श्री बनारसी दास गुप्ता : मैंने यह कहा है कि आप बड़े अच्छे कलाकार हैं।

श्री मंगल सैन : मास्टर जी, यह तो हमने आप से ही सीखा है (व्यवधान) आपकी बात सुन कर तो मुझे वे दिन याद आ गए जब आप जवाहर चौक पर खड़े होकर बोलते थे। आप समाजवाद अखबार निकाला करते थे। लाल टोपी पहने हुए लाला बनारसी दास जी गुप्ता विशाल मंच पर कहा करते थे कि कांग्रेसियों का शासन पून्जीपतियों का शासन है, बिरला टाटा का शासन है। लेकिन अब यह बदल गए हैं।

Deputy Speaker : Order please. Please speak on the bill.

श्री मंगल सैन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपनी बात कह रहा था। आपकी तवज्जुह कहीं और थी। मैं आपके द्वारा

सरकार से पूछना चाहता हूँ कि समाजवाद किसके लिए लायेंगे? क्या श्री बनारसी दास जी अपनी कोठी पर धन लगाने के लिए लायेंगे? यौ अपने ठाट बाट बनाने के लिए लायेंगे? मेरा कोई व्यक्तिगत अभिप्राय नहीं है इसलिए इन शब्दों पर गौर नहीं करना चाहिए । मैं आप के द्वारा जानना चाहता हूँ कि समाजवाद का नारा किनके लिए हैं? अगर यह पिछड़े हुए वर्ग के लिए है तब तो ठीक है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे मालुम है यह सरकार उन लोगों की सहायता के लिए नहीं जायेगी जो कि आये दिन जागीरदारों के हाथों पिसते हैं, परेशान किए जाते हैं और अदालतों में घसीटे जाते हैं, यह सरकार पून्जीपतियों की सहायता के लिए जायेगी । वोट मांगने के लिए समाजवाद का नारा और उसके बाद उनको तो झूठे वायदे और पून्जीपतियों के लिए भाईयो, देखो यह धरती ले ली गई है, अब सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, यह सरकार करती है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम समाज—वादी नहीं हैं । हम समाजवाद के इस ढंग को नहीं मानते । हम तो जन निर्माण में विश्वास रखते हैं और पिछड़े हुए वर्गों को उठाना चाहते हैं । उन्हें समाज के दूसरे वर्गों के साथ कदम से कदम मिला कर चलाना चाहते हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस धोखा धडी से आप बाजू आए क्योंकि जनता बहुत दैर तक गरीबी हटाओ वाले नारे में फंसने वाली नहीं है । आपने जनता से कहा कि बेकारी दूर करेंगे लेकिन आपने तो रेजगारी दूर कर दी । रेजगारी हरियाणा भर में मिलती

नहीं है । आज मैंने करनाल के अड्डे पर चाय पीने के बाद देखा ।
जल्दी से लिफाफे में हाथ डाला ----(व्यवधान)----

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री खुरशीद अहमद) : दिल्ली भर में भी नहीं है ।

उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, आर बिल पर ही बोलें ।

श्री मंगल सैन : अच्छा जी । मैं आपके जरिये कहना चाहता हूँ कि हम इस कानून के पास करने में शामिल होने को तैयार नहीं हैं । उन्होंने जो बातें कहीं हैं, हम उनसे सहमत नहीं हैं । किसानों और टैनेन्ट के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है और हम चाहते हैं कि सदन इस अमैन्डिंग बिल को रिजेक्ट करके वापिस कर दे ।

श्री सत्य नारायण सिंगोल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब सरदार प्यारा सिंह को इस बिल के पास होने में एतराज नहीं है तो अब हमने बोलना नहीं है----(व्यवधान)----

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल पर अपने विचार रखना चाहता हूँ..... ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, दूसरे मैम्बरों को भी बोलने का टाइम दिया जाए क्योंकि इन्हें तो बोलने की बीमारी है ।

श्री मंगल सैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मैं आप की रूलिंग चाहता हूँ कि कोई आनरेबल मैम्बर इस सदन के किसी दूसरे सीनियर और वैटरन मैम्बर को क्या यी कह सकता है कि उसे बोलने का रोग है?

Deputy Speaker : It is a joke only and no reflection on any hon. Member.

चौधरी रणबीर सिंह : (किलोई) डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी पार्टी के— महामन्त्री जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, मैं कोई और बात कहने से पहले उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि ये उनके लायक नहीं थे । इसके अलावा मैं कोई टीका टिप्पणी उस सिलसिले में या अपनी सफाई में नहीं कहूँगा ।

उपाध्यक्ष महोदया, यह पूर्वी पंजाब भू-उपयोग विधेयक 1949 का जो संशोधन विधेयक यहां सदन के सामने आया है और डा० मंगल सैन जो अभी मेरी मदद में बोले, इस विधेयक के बारे में जो बातें उन्होंने कहीं, उनके बारे में सुझे सही तथ्य भी रखने पड़ेंगे । मेरा मतलब विधेयक के सम्बन्ध में है न कि डा. साहब के सम्बन्ध में । उपाध्यक्ष महोदया, हमारे प्रदेश के जो आम मुजारे हैं उनकी बेदखली के सिलसिले में, उनके पट्टे की बेदखली के सिलसिले में यह बिल नहीं है । डा० साहब को यह अच्छी तरह से ज्ञान होगा कि पंजाब जल इक्वटा था और हरियाणा का एरिया जिसे आज हरियाणा प्रांत कहते हैं, उस वक्त हिन्दी रीजन था । उस वक्त उस हिन्दी रीजनल कमेटी की तरफ से, जिसमें बहुत सारे

भाई जैसे राठी साहब के भाई चौधरी धर्म सिंह राठी वगैरह थे, गट्टेदारों के सिलसिले में एक प्रस्ताव पास हुआ था, उस प्रस्ताव में यह बात मानी गई कि जो पट्टेदार हैं उनके पट्टे रद्द कर दिए जाए । यह सेरी पृष्ठ भूमि इसी सिलसिले में थी । इस विधेयक के अन्दर जो मुजारे हैं, जिनका इसके अन्दर जिक्र है वे आम मुजारे नहीं हैं । इसलिए आम गुजारों के डरने की बात नहीं है । जिनके पास बहुत जमीन हैं उससे श्री ज्यादा जितनी कि एक भू-स्वामी के लिए सीमा रखी गई है वें ही इसके अन्दर आएंगे । इसलिए यह बिल एक श्वास हालत के लिए है । आप जानती हैं कि देश के अन्दर कुछ ऐसे इलाके जैसे गुहला और कैथल तथा कुछ और भी ऐसे इलाके हैं जहां जमीन की काश्त बगैर मशीनों के नहीं की जा सकती थी और मशीन का युग देश के अन्दर आया नहीं था इसलिए वहां के किसान भाई अच्छे काश्तकार न हों, ऐसी बात नहीं थी । कई दूसरे भाइयों को पट्टे दिये गए वे भी उनसे कोई अच्छे काश्तकार साबित नहीं हुए । लेकिन बाद में उसी जमीन को मशीन की मदद से चालु कर दिया गया । जिसका डा. साहब ने सदन के सामने नक्शा पेश किया है । यी काश्तकार और मुजारे का सवाल नहीं है । यी सवाल तो एक खास किस्म के पट्टे-दारों का है, जो हमारे भाई छोटे छोटे भू-स्वामी हैं, किसी के पास एक एकड़ जमीन है, इस बिल में उनकी जमीन का सवाल नहीं । इसलिए उसी पृष्ठ भूमि में हमको इस बारे में विचार करना चाहिए । लेकिन एक बात मैं जरूर मन्त्रिमंडल से कहूंगा कि आपने जो पहले एक संशोधन किया था, आप आज उसको उलट रहे हैं ।

इसका अर्थ यह है कि हमने इस पर पहले अच्छी तरह विचार नहीं किया था । और इस बारे हम को ठीक सलाह नहीं मिली थी । मैं महामंत्री जी से कहूँगा कि हम सब को मिलकर तथा दूसरे सदस्य भी अगर वे सही सलाह देते हैं तो हम सब को बैठकर ठीक तरह से विचार करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदया, इस विधेयक के अन्दर से जो 14(क) को निकालने की बात की गई है और 6 (4) को दाखिल करने की बात की गई है, मेरे विचार में इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है । इसका मतलब पक ही है कि सिविल अदालतों को अधिकार न हो ।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके अलावा इसके अन्दर हाई कोर्ट के फैसलों का जिक्र भी किया गया है । यह दुःख की बात है कि जिन रिटस का जिक्र किया गया है उनका ब्योरा सदस्यों के पास नहीं है । जब तक किसी सदस्य के पास किसी चीज की पृष्ठभूमि न हो । वह उस बारे में कुछ नहीं कह सकता । छः महीने पहले इस कानून को बदला गया था और आज इसे फिर बदल रहे हैं । इसलिए जरूरी है कि जहां इसके अन्दर हाई कोई या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र किया गया हो उन फैसलों की प्रतिलिपियां जिनकी वजह से हम इस विधेयक को बदलने जा रहे हैं, सारे सदस्यों को मिलनी चाहिये थी ।

उपाध्यक्षा : आप कितना टाईम और लेंगे?

चौधरी रणबीर सिंह : दो-तीन मिनट और लूंगा ।

उपाध्यक्ष : आप जल्दी खत्म करें और भी बिल हैं जिन पर सदस्यों को बोलना है ।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मैं कह रहा था कि 'हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट' जिनके फैसले के कारण हम विधेयक में संशोधन करने जा रहे हैं उस की प्रतिलिपियां सदस्यों को मिलनी चाहिए जिससे सदस्यों को मालूम हो सके कि उन फैसलों में क्या है । अगर पहले नहीं दी जा सकती है तो अब दी जाए ताकि जिस वक यहां दूसरी रीडिंग आए उस - वक्त सदस्यगण उसके ऊपर पूरी तरह विचार कर सकें नहीं तो जैसा कि यह पिछली दफा बदल गया था, अब बदल रहे हैं और आगे फिर बदलेंगे । हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने रिटों के सम्बन्ध में जो फैसले दिये हैं, उनकी प्रतिलिपियां अगर नहीं मिल सकती तो सचिवालय की तरफ से या सरकार की तरफ से उसकी प्रेसी सदस्यों को भेजनी चाहिये ताकि जनता के सदस्यों को जो जिम्मेदारी दी हुई है, और जिस मतलब के लिये यहां चुनकर भेजा है, वे अपना फर्ज अदा कर सकें, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल पर नहीं तो कम से कम आगे जब भी कोई संशोधन विधेयक आए और उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण संशोधन किया जा रहा हो तो उस फैसले की कापी सदस्यों को दी जाये । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण खत्म करता हू ।

5.00 P.M.

श्री रणधीर सिंह (घरौंडा) : उपाध्यक्ष महोदया, यह जो पंजाब यूटिलाईजेशन आफ लैंडज अमेंडमेंट बिल विधान सभा के सामने आया एं उसके विषय में डाक्टर साहब ने बड़े जोर के साथ इस सदन के सामने यह राय जाहिर की कि समाजवाद को मानने वाली सरकार हुस प्रकार का बिल जब सदन के सामने लाए तो शोभा नहीं देता । डाक्टर साइन ने, इस बिल के पीछे क्या इतिहास है, यह किस प्रकार से बनाया गया और यह किन किन परिस्थितियों में आया है, उसकी पृष्ठभूमि को न देरवते हुए बिल की आलोचना शुरू कर दी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हं सदन को बता देना चाहता हूं कि यह बिल बहुत ही जरूरी बिल था क्योंकि आज से 20 साल पहले कुछ जमीन हरियाणा का ऐसी थी जो कि जंगलात के अन्दर मौजूद थी और यहाँ के रहने व ले लोगों के पास न तो अपने साधन और सरमाया था और न ही सरकार ने इन सहूलियतों को उनको मुहैया किया था ताकि वे उस जमीन को आबाद करके काश्त के योग्य बना लेते । इसलिये सरकार ने उसे आबाद करने के लिये यह सोचा कि इस जमीन को 20 साला पट्टे पर दिया जाये । उस कानून के तहत जब 20 साल खत्म हो जायें तो उस जमीन पर पट्टेदारों का कोई अख्तियार नहीं होगा । अदालतों ने भी यह फैसला कर दिया कि अब इन जमीनों पर पट्टेदारों का कोई अख्तियार नहीं है तौ कुछ पट्टेदारों ने अदालतों के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट की और हाईकोर्ट ने सरकार के विरुद्ध फैसला दिया । सरकार को मजबूर होकर यह अमेंडमेंट

सदन के सामने लानी पड़ी है । मैं यह कह देना चाहता हूँ कि यह अमेंडमेंट बहुत ही जरूरी थी क्योंकि सैंकडों लोगों की जमीनें बिल्कुल बेकार हो चुकी थीं । जमीनों से फायदा उठाने के लिये पट्टेदारों ने नाममात्र के लिये सोसाइटियाँ बनाई हुई थी जोकि वास्तव में वहां मौजूद नहीं थीं । उपाध्यक्ष महोदया यह जो बिल आपके सामने आया है इसको लाया जाना बहुत ही जरूरी था । कौन सी जमीन को पट्टेदार गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बेदखल करने का अख्तियार कलैक्टर को देने के लिये यह बिल लाया गया है इस लिये मैं समझता हूँ कि यह बिल सदन की ओर से जरूर पास होना चाहिए । डा० साहब ने भी बताया कि हम समाजवाद का नारा लगाते हैं । परन्तु मैं उनसे पूछता हूँ कि, 'हैव नाट्स' कौन है गुहला तहसील के अन्दर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दो एकड़ भी जमीन नहीं है क्योंकि उनकी जमीन पट्टेदारों के पास मौजूद है इसलिये हमें चाहिए कि अगर हम, 'हैव नाट्स' में जाना चाहते हैं तो यह पावर जो आज इस अमेंडमेंट के द्वारा कुलैक्टर को दे रहे हैं यह बहुत जरूरी है और मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस अमेंडिंग बिल को पास किया जाये ताकि कुलैक्टर अधिक ले अधिक मात्रा में उन लोगों को न्याय दे सके जिन लोगों को पहले न्याय नहीं मिल सकता था क्योंकि समाजवाद तो यह कहता है greatest good to the greatest number. न कि कुछ आदमी उससे नाजायज फायदा उठाकर और कमजोर लोगों को अपने दबाव में डालकर उनसे नाजायज फायदा

उठाये । अन्त में मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि सदन इस अमेंडिंग बिल को पास कर दे ।

राजस्व मन्त्री (श्री नेकी राम) : मैडम, इस तरमीमी बिल को लाने का मक्सद यह है कि दी ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन आफ लैंडज (हरियाणा अमेंडमेंट एंड वैलीडेशन) बिल 1971, के अन्दर धारा 6 जो थी उसके मुताबिक कुलैक्टर को मुजारों को बेदखल करने के दो तरह के अख्तियार थे । इस नुक्स को दूर करने के लिये धारा 14 लागू की गई थी । मगर कुछ मुजारे हाई कोर्ट में गये और इस सम्बन्ध में रिट पैटिश न दायर की और हाईकोर्ट ने कुछ केसिज का स्टेट के खिलाफ फैसला किया और धारा 6 को विधान के खिलाफ कहा गया । अब 29-7-1957 से धारा 6 को नया रूप देकर लागू किया गया है । इसलिये इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात तो है नहीं । इस सम्बन्ध में बोलने वाले साहिबान ने अपने अपने ख्यालात के मुताबिक कहा है । यह तो मामूली सा बिल है इसको पास करना जरूरी है । जैसे अभी बताया गया है कि जिन पट्टेदारों को 20 साला पट्टे पर यह जमीनें दी गई थीं और जिन्होंने शरायत के मुताबिक पूरी तरह अमल नहीं किया उनको कुलैक्टर बेदखल करेगा । कुलैक्टर जो फैसला करेगा उसमें सिविल और रैवैन्यू के कोर्ट दखल नहीं दे सकेंगे । इसलिये मैं समझता हूँ कि इस बिल को पास किया जाना चाहिये ।

Deputy Speaker : Question is—

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2.

Deputy Speaker : Question is—That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3.

Deputy Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1.

Deputy Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister (Shri Neki Ram) : Madam, I beg to move—

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

Deputy Speaker : Question is—

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

The motion was carried.

**THE LAND IMPROVEMENT LOANS (HARYANA
AMENDMENT) BILL, 1911**

Revenue Minister (Shri Neki Ram) : Madam, I beg to introduce the Land Improvement Loans (Haryana Amendment) Bills 197 1.

I also move—

That the Land Improvement Loans (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Land Improvement Loans (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी दल सिंह (जुलाना) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल मिनिस्टर साहब ने पेश किया है इसके स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एन्ड रीजंज में लिखा है "

"Heavy arrears of Taccavi Loans which were granted under the provisions of the Land Improvement Loans Act, 1883 are outstanding. In order to speed up the recovery of these arrears it is proposed to entrust this work to the village Lambardars. They shall be entitled to Panchotra at the rate of 3 percent of the amount which shall be recovered from the loanee defaulters."

कमाल की बात है । जहां तक ऐरियर वसूल करने का सम्बन्ध है वह जरूर वसूल करना चाहिए लेकिन वजीर साहब के दिमाग में महज नम्बरदार हैं या कोई और दूसरा नक्शा है । जब गवर्नमेंट के पास डी ० सी०, एस०डी०एम०, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और इलैक्टिड सरपंच है ये सब तो रिकवरी कर नहीं सकते और यह अब नम्बरदार करेगा । इसका मतलब तो यह है कि सरकार नम्बरदारों को खास फायदा देना चाहती है क्योंकि नम्बरदारों को इसके लिए 30 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा । आज स्टेट में क्या हालत हो रही है? एक पटवारी को अगर कहा जाता है कि तुम जमींदारों से पैसे वसूल करो तो गांव में पट वारी जाता है और जमींदारों से पैसे वसूल कर लेता है लेकिन उनको रसीद नहीं देता और न ही वसूल किए हुए पैसों को आगे खजाने में जमा करवाता है । होता क्या है? फिर दोबारा, तीबारा चपडासी को भेजा जाता है । इस तरह से

एक—एक जमींदार से तीन तीन बार वसूली की जाती है । आज नम्बरदार जो अनपढ़ आदमी है और जिसको इसकी समझ ही नहीं है उसको यह अधिकार दिया जा रहा है । तो मैं समझता हूँ कि जनता के साथ यह एक मजाक है । नम्बरदार को 3 प्रतिशत देकर यह काम करवाना बड़ी शर्म की बात है जब कि और आदमी मौजूद हैं जो इस काम को कर सकते हैं । मैं किसी भी कीमत पर गवर्नमेंट से सहमत नहीं हूँ कि ऐसा किया जाना जरूरी है । किसी को नाजायज फायदा देकर यह बात होने वाली नहीं है । मैं दरखास्त करूंगा कि इस बिल को पास न किया जाए ।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे इस सदन के एक माने हुए मैम्बर ने इस बात की मुखालिफत की है कि जो गरीब आदमी गांवों में लम्बरदार होते हैं जिनकी दादेपडदादे से लम्बरदारी चली आ रही है उनको कोई अख्तियार नहीं मिलना चाहिए । उनमें थोड़ी सी जान डालने के लिए यह कानून आया है, पता नहीं इसकी उनको क्या तकलीफ हुई है जो उन्होंने ने इसकी मुखालिफत की है । सरकार का जितना मालिया इकट्ठा होता है वह सब इन लम्बरदारों के जरिए ही होता है, क्या उस वक्त वह अनपढ़ नहीं होते । जब वह मालिया इकट्ठा कर सकते हैं तो इस काम को भी बखूबी कर सकते हैं । देहात के गरीब आदमी को अगर थोड़ी बहुत इज्जत मिलने लगी है तो वह उसकी भी मुखालिफत करते हैं । पता नहीं इन्होंने नुक्ताचीनी करने की कसम खा रखी है । लम्बरदारों को अग्रेजों

के जमाने से इज्जत मिलती आई है लेकिन चौधरी साहब उनकी मुखालिफत कर रहे हैं । वह खुद काफी अर्सा तक वजीर रह चुके हैं , उन को यह बात मालूम है कि नम्बरदार की गवाही के बगैर आज तक कोई रजिस्ट्री नहीं बनी । अगर लाख या दो लाख रुपए की रजिस्ट्री पर उस अनपढ़ का अ गूठा लगता है तो फिर पांच सात सौ रुपए की उगराही में उसको क्यों न पूछा जाए । अगर कोई मुखालिफत करने वाली बात हो तब तो करनी चाहिए लेकिन एक अच्छी चीज की मुखालिफत करना इन्हें शोभा नहीं देता ।

उपाध्यक्षा : चौधरी लाल सिंह जी जूरा जल्दी खत्म करें ।

चौधरी लाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है, मुझे आप जरूरी बातें तो कह लेने दें । गांवों के लोगों से आपको भी तो हमदर्दी है लम्बरदारों से तो आपको भी हमदर्दी होनी चाहिए । जब हम देहातों में जाते हैं और पूछते हैं कि सरपंच कहां है तो वहू कह देते हैं कि ब्लाक आफिस में गया हुआ है, लेकिन लम्बरदार एक ऐसा पक्का आदमी होता है कि जब भी आप जाएं आपको वहां पर जरूर मिलेगा । इस लिए मैं पुरजोर अपील करूंगा कि किसी भी आदमी को इस बिल की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए और इसको पास कर देना चाहिए ।

चौधरी दल सिंह : आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, मैडम, चौधरी लाल सिंह जी ने मुझे मुख़ातब करके कहा है कि मैं लम्बरदारों से रजिंश रखता हूँ लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मुझे उनके साथ कोई रजिंश नहीं है । उनकी यह गलतफहमी एं कि यह लम्बरदारों की बेहतरी का कानून है । मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फिर से उन बेचारों को जेलों में दिया जाएगा और गवर्नमेंट उनको परेशान करेगी । भाई साहब ने फरमाया था कि लम्बरदार का बेटा लम्बर दार होता हूँ, उनको यह पता होना चाहिए कि पहले राजे का बेटा राजा हुआ करता था लेकिन आज उनका नाम निशान भी नहीं है, इस लिए गलत रस्मों को हटाना ही ठीक है । लम्बरदारों से हमें रंजिंश नहीं है लेकिन वसूली तो करेगे पटवारी और भुकतनी पड़ेगी लम्बरदारों को ।

श्री सत्य नारायण सिंगौल (सफीदों) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल पेश हुआ है इसके जरिए लोगों को जो लोन गवर्नमेंट की तरफ से जमीन की इम्पूवमेंट के लिए दिया गया है वह बजाए इसके कि गवर्नमेंट की एजेंसी खुद वसूल करे लम्बरदारों के जरिए वसूल करवाया जाएगा और उस काम के लिए उनको तीन फीसदी मुआवजा दिया जाएगा । इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं कि उनके जरिए क्यों वसूल किया जा रहा है और उनको कमीशन क्यों दिया जाना है । लेकिन इसकी प्रैक्टिकल साईड में जो चीज है वह यह है कि आज अगर एक लम्बरदार मालिया वसूल करता है और किसी आसामी का मालिया बाकी रह

जाता है तो वह रकम तहसीलदार लम्बरदार से ही वेऊल कर लेता है और कह देता है कि तुम बाद में पटवारी को साथ में लेकर वसूल कर लेना जिससे कि उनको कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है । खैर वह तो इतनी बड़ी रकम नहीं होती लेकिन इस सूरत में अगर किसी ने दस हजार रुपया कर्जा लिया हुआ होगा और वह अगर नहीं देगा तो इतनी बड़ी रकम लम्बरदार अपने पास से कैसे दे पाएगा । उनके लिए कितनी मुश्किल पेश आएगी । यह देखने वाली बात है । चौधरी लाल सिंह जी ने पता नहीं कैसे कह दिया है कि लम्बरदारों का फायदा होने जा रहा है । हमारे चौधरी नेकी राम जी खुद भी तहसीलदार रह चुके हैं, इसलिए जब वह दौरे पर जाते हैं तो बजाए रेस्ट हाऊस में रहने के तहसीलदारों की कोठियों में ही ठहरते हैं । इस लिए तहसीलदारों का जो रिकवरी का काम था वह उनके जिम्मे से हटाकर लम्बरदारों पर ठोंसना चाहते हैं । कायदे के मुताबिक यह न पटवारी की डियूटी है. और न ही लम्बरदारों की डियूटी है कि वह तकावी लोन्ज की रिकवरी करते रहें । कायदे के मुताबिक पटवारी जो वसूली करते हैं वह भी इल्लीगल है । मैं वकील हूँ मेरे पास एक इस तरह का केस आया था । एक पटवारी ने पांच छः हजार रुपया वसूल किया था, उसके खिलाफ यह केस रजिस्टर करवाया गया कि वह रुपया इल्लीगली ले गया है । वह पटवारी तीन साले तक मफरूर रहा और अपनी डियूटी से गैर हाजिर रहा । चाडू?ए तो था कि उसको डिसमिस किया जाता लेकिन यह डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करवा के उसको रीइस्टेट करना चाहते हैं

। यह जो 10, 15 या 20 हजार रुपए के लोग हैं उनकी वसूली करना लम्बरदारों के बस का रोग नहीं है । मालिया तो थोड़ी सी रकम का मामला होता है इगैर वह चुंकि अनपढ़ होता है इस लिए किसी को रसीद भी नहीं देता, लोग एतबार भी कर लेते हैं, इस लिए इसमें गड़बड़ भी न हीं होती । लेकिन जब 10, 15 रुपए की उगराही की बात आएगी तो लम्बरदार के लिए मुसीबत आ जाएगी । इस लिए मैं समझता हूं कि यह जो अमेंडमेंट लाई जा रही है यह लम्बरदारों के फायदे की बाहु नहीं है । लोन्ज की वसूली ऐज ऐरियर्ज आफ लैंड रेविन्यू होनी चाहिए । चौधरी लाल सिंह के दिल में प्यार तो उठा था लम्बरदारों के लिए लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि इस बात में लम्बरदारों की भलाई नहीं है बल्कि उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी । इस लिए मैं चाहता हूं कि यह बिल जो है इसे वापिस लिया जाना चाहिए लेकिन जहां तक रिकवरी का सवाल है वह जरूर होनी चाहिए । और उसके लिए स्ट्रिक्ट मैयजूं अडौप्ट किए जाने चाहिए । उनकी समरी प्रोसीडिंग्गज करके उनकी जमीने और जायदाद निलाम करके वसूली की जानी चाहिए । मैं आप से रिक्वैस्ट करू गा कि इस चीज को दोबारा कसींडर करें और कोइ और तरीका निकालें ताकि बाद में इस अमेंडमेंट से जनता का फायदा हो सके ।

राजस्व मन्त्री (श्री नेकी राम) : उपाध्यक्ष महोदया, तरमीमी बिल पर बोलने वाले साहबान ने बड़े अजीब ढंग से नुक्ताचीनी की है । जो तकावी कर्जाजात बकाया पडे हुए हैं उनको

वसूल करने के लिए किसी हवास एजेंसी की जरूरत थी । इस बकायाजात को वसूल करने के लिए काफी कोशिश होती रही ताकि ज्यादा से ज्यादा रुपया वसूल किया जा सके और बकायाजात न रहे लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा ऐरियर पड़ा हुआ है । इस ऐरियर को खत्म करने के लिए हमने लम्बरदार को अख्तियार दिए हैं । लम्बरदार इसके वसूली करेंगे । वे अपने गांव में बाअसर और बारमूख हैं इसलिए जिन लोगों के सिर कर्जा होता है उनसे बखूबी तौर पर, वाकफीयत के तौर पर, अपने तरीके से कर्जा इकट्ठा कर सकते हैं । इसके इलावा उनको तीन परसैट पंचौतरा देने का जिक्र भी यहां पर आया कुए । जो वसूली ये करेंगे उसका 3 परसैट पंचौतरा तो उन्हें मिलना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है । इसके इलावा उनके काम पर शक करने वाली बात ठीक नहीं है, ये लैंड रैवेन्यू का हजारों रुपया इकट्ठा करते हैं । तकावी की तो थोड़ी-थोड़ी रकम है, इसके लिए कैसे कह सकते हैं कि लम्बरदार वसूल नहीं कर सकते? मैं इस बात को अजीब बात समझता हूं क्योंकि लम्बरदार इज्जत वाले हैं, अच्छे खान-दान से ताल्लुक रखते हैं, वे गलत काम नहीं कर सकते । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि लम्बरदार अनजान होते हैं, अनपढ़ होते हैं । अगर इतने अनजान और अनपढ़ होते तो हजारों रुपया लैंड रैवेन्यू का छरू महीने के अन्दर कैसे इकट्ठा कर सकते? इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि तकावी की रिकवरी के लिए लम्बरदारों को

अधिकार देना सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है । ये ठीक ढंग से ऐरियर्ज वसूल करेंगे ।

मेरे एक साथी ने एक बात कही कि मैं हर पर जाते समय रैस्ट हाउस की बजाये तहसीलदार के घर ठहरता हूँ । यह गलत बात है । अगर यह चीज साबित हो जाए तो मैं रिजाईन कर दूंगा । इसके इलावा अगर तहसीलदार के पास ठहर भी जाऊं, किसी-दोस्त के घर ठहर जाऊं तो उसमें गुनाह नहीं है । इस तरह से झूठे इल्जाम लगाने ठीक नहीं हैं । इन्होंने कोई वजनदार बात नहीं कही । मैं चाहूंगा कि सदन इस बिल को मन्जूर करे ।

श्री सत्यनारायण सिंगोल (सफीदों) : मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ । इस तकावी को रिकवर करने के लिए एक स्पेशल कलैक्टर बना दें वह छः महीने के अन्दर-अन्दर सारी रिकवरी कर लेगा । मोहिन्द्रगढ डिस्ट्रिक्ट में आपके पास कम्पीटेंट अफसर है उसको लगा दें ।

Deputy Speaker : Question is—

That the Land Improvement Loans (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once,

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2.

Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried,

CLAUSE 1.

Deputy Speaker : Question is — That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker : Question is-- That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister (Shri Neki Ram) : Madam, I beg to move—

That the Land Improvement Loans (Haryana Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Land Improvement Loans (Haryana Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker : Question is—

That the Land Improvement Loans (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Madam, I would like to request that the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Haryana Amendment Bill; 1971, should be taken up as the last item on today's Agenda, because there are one or two amendmmts, for which the Bill has gone to the Governor, it being a Money Bill. (व्यवधान) यह चीज मैम्बरों केमले की है.....

श्री मंगल सैन : भले की बात क्या है?

श्री बन्सी लाल : उसमें यह है कि अगर मैम्बर ऐयर कंडीशंड वैहिकल में जाना चाहें तो वे जा सकते हैं, इसकी इजाजत देना चाहते हैं ।

Deputy Speaker : Is it the sense of the House that this Bill be taken up as the last item on today's Agenda ?

Voices : Yes, yes.

Deputy Speaker : This Bill will be taken up as the last item on today's Agenda.

**THE HARYANA MUNICIPAL COMMON LANDS
(REGULATION) BLL, 1971.**

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed) : Madam, I beg to introduce the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, 1971.

Madam, I also beg to move—

That the Haryana Municipal Common Lands

(Regulation) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Common Lands
(Regulation) Bill be taken into consideration at once.

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बिल बहुत अच्छा है और इसको लाने की बड़ी जरूरत महसूस हो रही थी । 1955 में विलेज कौमन लैंडज ऐक्ट के तहत देहात की तमाम शामलात देह, चाहे वह पट्टी की हो, चाहे ठोले की हो, तमाम की तमाम पंचायतों में वैस्ट हो गई थी और उसके बाद उस जमीन की मालिक पंचायतें थीं । लेकिन इसके बावजूद शहरों में शहरी जायदाद प्राइवेट लोगों के कब्जे में थी । इस जमीन पर बड़ी धांधलेबाजी होती थी । मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जींद म्युनिसिपल कमिटी की हद्द के अन्दर बहुत ज्यादा शामलात देह है और उस शामलात देह पर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है । चाहे वह जुड़िन पट्टी की थी, चाहे हसद रकबा हो, उस पर चन्द लोगों ने कब्जा जमा रखा है । चाहे उनके हिस्से एक कनाल भी न आती हो लेकिन उन्होंने 10, 20, 25 बीघे जमीन पर कब्जा करके रजिस्ट्री करवा ली है । जिन लोगो ने नाजायज तौर पर इस जमीन को ले लिया उन्होंने उस जमीन को 50 रुपये गत के हिसाब से बेच दिया । जिस तरीके से देहातों में पट्टी की जमीन को डाइवैस्ट करके पंचायतों में वैस्ट कर दिया था उसी तरह से यह जरूरी था कि शहरों के अन्दर भी

इसी तरीके से शामलात देह को डाइवैस्ट करके म्युनिसिपल कमेटीज में वैस्ट किया जाए । ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन इस बिल में जो 15 अक्तूबर, 1970 की डेट रखी है यह नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें बडा झगडा है । लोगों ने बिल्डिंगज पहले बनाई हैं और उस जमीन की रजिस्ट्री बाद में बनी हैं । अगर यह डेट पहले से कर दी जाए तो उन लोगों का कब्जा साबित नहीं हो सकता । तमाम की तमाम जमीन उन लोगों ने नाजायज तौर पर ले ली है । मैं सरकार से दुर्ख्वास्त करता हूं कि जितने भी नाजायज कब्जे हुए हैं उनको छुड़ाएं और उसको म्युनिसिपल कमेटी की प्रापर्टी बनाएं । कब्जा चाहे पहले का हो चाहे बाद में किया हो, उसको रिट्रास्पैक्टिव डेट से म्युनिसिपल कमेटियों में वैस्ट किया जाए अगर ये इस तरीके से नहीं कर सकते तो उसके अन्दर एक चीज और है । जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्री करा दी है और उसका शेयर बनता है एक कनाल लेकिन रजिस्ट्री 6 एकड़ की कराई है तो उसका एक कनाल का शेयर छोड़ करके बाकी जमीन से डाइवैस्ट कराया जाए ताकि वह जमीन कमेटी के अन्दर वैस्ट हो सके । इसी तरह से बहुत सी जमीनों के ऊपर तामीरात हैं उनको भी वैकेट कराने का इन्तजाम किया जाग्र । इस तरह की आजकल बहुत गड़बड़ी चल रही है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे हैरानगी है कि एक तरफ तो ये शामलात देह के ऊपर कब्ज करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ म्युनिसिपल कमेटीज की जो अपनी लैंड है उसको फरोक्त किया जा रहा है । जीन्द के अन्दर म्युनिसिपल कमिश्नर्ज और उनके रिश्तेदारों ने

गलियों और सड़कों की जमीन को बेच-बेच कर बिल्डिंगें बनवा दी हैं । सड़कें भीड़ी-भीड़ी हो गई हैं स्टेट बैंक पटियाला के पास बड़ी खुली रोड थी लेकिन वहां जमीन बेची गई । स्टेट बैंक पटियाला के पीछे 115 फुट चौड़ी सड़क थी लेकिन आज वह 40 फुट है । 60 फुट जमीन का बोगस नक्शा म्यूनिसिपल कमेटी से पास करवा करके वहां कंस्ट्रक्शन की गई । तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जहां ये शामलात जमीन को म्यूनिसिपल कमेटी के कब्जे में लाना चाहते हैं वहां ये इस तरफ भी ध्यान दें । किसी सड़क, किसी गली, किसी मुहल्ला या किसी कुचा-शरेआम की जमीन को बेचने का अश्रितयार म्यूनिसिपल कमेटी को नहीं देना चाहिए और जिन्होंने यह अश्रितयार इस्तेमाल कर रखा है उनको मैम्बरशिप से डिसक्वा-लिफाई किया जाए । इन्होंने उन लोगों को डिसक्वालिफाई किया भी है जिन्होंने खुद जमीन पर कब्जा-किया हुआ था । परन्तु इस बारे में भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐक्शन लेते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए कि कौन आदमी आपकी पार्टी से बिलौग करता है और कौन विरोधी दल से सम्बन्ध रखता है । इन शब्दों के साथ, बनारसी दास जी, मैं इस बिल को स्पोर्ट करता हूं । (व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ता (भिवानी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी जो संशोधन विधेयक सदन के सामने पेश किया गया है, मैं समझता हूं किमी वी सम्मानित सदस्य को इससे मतभेद नहीं हो सकता । यह बहुत जरूरी संशोधन है ।

Chaudhri Dal Singh : This is not an amending Bill.
This is a new Bill.

Shri Banarsi Das Gupta : I am sorry. डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल पेश किया गया है, यह बहुत जरूरी बिल है । शहरों के अन्दर ऐसी शामलात जमीन मौजूद है जिसके ऊपर लोंग कब्जा करते हैं और उनका कोई अधिकार उस जमीन के ऊपर नहीं होता । जहां तक पंचायत कानून का ताल्लुक है उसके अधीन गांव में शामलात देह, शामलात पट्टी शामलात, पाना आदि तमाम— जमीन का हक मालकी ग्राम पंचायत में वैस्ट किया गया है लेकिन शहर में ऐसी जो जमीन है जिस पर किसी का अधिकार न होते हुए भी लोग नाजायज तौर पर कब्जा कर लेते हैं, ऐसी जमीन की मलिकयत, म्यूनिसिपल कमेटी में वैस्ट करे, ऐसे कानून की, ऐसे विधेयक की बड़ी भारी आवश्यकता थी जो इस विधेयक के द्वारा पूरी की जा रही है । अभी श्री सिंगोल साहब ने अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त कीं । शहरों के अन्दर सड़कें, गलियां और जो ऐसी जमीन है जिससे लोगों को फायदा पहुंचता है, लाभ पहुंच सकता है उस पर कब्ज किया जाता है, कुछ नाजायज कब्जा किया जाता है । ऐनक्रोच— मैट्स के अनेक केसीज मौजूद हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐक्शन न हीं लिया जातो । जो मैम्बर चुन कर आते हैं, लोगों से वोट लेकर आते हैं वे कुछ लोगों का लिहाज करते हैं क्योंकि कुछ लोगों का उन पर प्रैशर होता है । मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने ऐनक्रोचमैट्स की हुई है उनके विरुद्ध सख्ती के साथ कार्यवाही की जाए चाहे वे किसी यु प से ताल्लुक

रखते हों, चाहे वे किसी पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हों । अगर हम सख्ती का बर्ताव नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शहरों की हालत बहुत बुरी होगी' । वहां न गली होगी, न रास्ता होगा और न सड़क होगी । इसके लिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस किस्म का विधेयक पास किया जाए जिसके द्वारा ऐसा प्रतिबन्ध लग जाए कि इससे ज्यादा जमीन को या सड़क के किसी हिस्से को किसी भी कीमत पर न बेचा जाए । पार्ट आफ स्ट्रीट, पार्ट आफ रोड और पार्ट आफ पाथ इस किस्म की जमीन जो है उसको कमेटी के मैम्बरान और प्रैजिडेंट, हम देखते हैं किसी न किसी कीमत पर बेच देते हैं यद्यपि उस पर पाबन्दी लगी हुई है, कुछ कन्ट्रोल है डिप्टी कमिश्नर या एस० डी० ओ० का कि बिना उनकी मन्जूरी के कोई सेल प्रपोजल पास नहीं होगी लेकिन कमेटी पहले प्रस्ताव पास कर देती है और फिर वह उसे परसू करती है । उस वक्त डी० सी० या एस० डी० ओ० पर दबाव पड़ता है कि वे उस प्रपोजल को स्वीकार कर लें । मैं चाहूंगा कि सरकार इस प्रकार का विधेयक जाए कि इससे ज्यादा सड़क का कोई हिस्सा किसी कीमत पर न बेचा जाए । इस प्रकार का कंट्रोल जब तक नगरों और शहरों में नहीं होगा लोगों को बड़ी दिक्कत होगी । यह बिल जो सदन के सामने आया है, मैं समझता हूं कि इससे किसी को मतभेद नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे नगरपालिका की मल्लिकयत बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, शुक्ति बढ़ेगी और जो नाजायज कब्जे होते हैं वे कम होंगे ।

चौधरी दल सिंह (जुलाना) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल पास करवाया जा रहा है यह वाक्या ही बहुत फायदेमन्द बिल है । अभी तक म्युनि-सिपल कमेटी के पास कोई ऐसा कानून नहीं था । इस बिल में जो खामी है वह यह है कि इसकी जो लागू करने की तिथि है वह ओह अक्तूबर 1970 । (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी आपके द्वारा, मिनिस्टर साहब, चौधरी खुरशीद अहमद जी से गुजारिश है कि अगर आप इन्साफ चाहते हैं, तमाम जमीन जिस पर नाजायज कब्जा हुआ है यदि म्युनिसिपल कमेटी को दिलाना चाहते हैं और यदि प्रजा की भलाई चाहते हैं तो इसके लागू होने की तिथि सन् 1960 होनी चाहिये । जब आप किसी दूसरे ऐक्ट को सन 57 से लागू कर सकते हैं तो यह भी सन 1960 से होना चाहिए ताकि जो नाजायज काम हुए हैं वे ठीक हो सकें और आयंदा भी कोई नाजायज काम करने की हिम्मत न कर सके । इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल को स्पोर्ट करता हूँ ।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस बिल की इज्जत करती । यह बहुत अच्छा बिल है । इस बिल को सरकार ने सन् 1970 से ही लागू किया है परन्तु जो पिछले सालों की जायदादें लोगों ने दबायी हुई हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया । लोगों ने बहुत जायदादें नाजायज दबायी हुई हैं इसलिए उनको भी उनसे छीना जाना चाहिए ।

आजकल जो शहरों में गरीब और हरिजन लोग रहते हैं बही आदमी कांग्रेस को स्पोर्ट करते हैं और उन्हीं आदमियों को तंग किया जा रहा है । आप जानती हैं कि हर म्यूनिसिपल कमेटी पर तो तकरीबन जनसंघ का ही कब्जा है । जनसंघी लोगों ने ही बड़ी बड़ी जायदादों पर कब्जा किया हुआ है उन को कोई आदमी नहीं टोकता परन्तु जो गरीब और हरिजन हैं उन्हीं लोगों के साथ ज्यादाती की जाती है । इस धक्के का कारण यही है कि ज्यादातर म्यूनिसिपल कमेटियों पर जनसंघ का जोर है ।

आप किसी भी शहर के अन्दर देरव लें जो दुकानें बनने के बाद किराये पर दी जाती हैं वे सब जनसंघ के और बड़े आदमियों को जो अमीर हैं दी जाती हैं । गरीबों को कोई भी दुकान म्यूनिसिपल कमेटी की किराये पर नहीं दी जाती ।

जहां तक टैक्स लगाने का सम्बन्ध है वह भी गरीबों पर लगाया जाता है अमीरों को कोई नहीं पूछता । मुझे बड़ी खुशी है कि यहां पर हाउस में इस तरह का बिल पास होने जा रहा है । इसके पास हो जाने से काफी सुविधायें हो जायेंगी । बड़े बड़े लोग जमना नगर में और जगाधरी में माडल टाउन बनाने के नाम से जमीनें ले लेते हैं और फिर उन जमीनों के प्लॉट बना कर लोगों को बेचते हैं । इस बात को सरकार के द्वारा खत्म किया जाना चाहिए । इसके लिए कानून बने कि सरकार प्लॉट बना कर बेचे या चाहे मकान बना कर बेचे । ये सस्ते भावों पर जमींदारों से जमीनें ले लेते हैं और फिर उनकी 22 रुपये और 60 रुपये गज

तक के हिसाब से बेचते हैं । इसलिए सरकार से मेरा यह निवेदन है कि जो इस प्रकार के टाउन बनते हैं उनके ऊपर नजर रखी जाये । जैसे हमारे सिडारो माडल टाउन का नाम देकर जमींदारों की जमीनें खरीद लेंगे और फिर उसको महंगे भावों पर बेचेंगे । जमींदारों से पहले जमीन ले लेते हैं और पैसे उनको बाद में देते हैं उनसे पहले ही लिखवा लेते हैं कि इस जमीन से उनको कोड़न सम्बन्ध नहीं है । जो शहरों में बड़े लोग हैं वे म्यूनिसिपल कमेटी की छोटी छोटी जगहों पर अपनी दुकानें खोल लेते हैं और उस जगह फिर नाजायज तौर पर कब्जा कर लेते हैं । इसके लिये भी सरकार की तरफ से कोई कानून बनना चाहिए कि ऐसी जमीनो के कब्जे न दिये जायें कोई ऐसा कानून भी बना दिया जाये कि बाद में हाई कोर्ट में रिट वगैरह न कर सकें । क्योंकि हाई कोर्ट से जा कर वे स्टे-आर्डर ले जाते हैं और काफी दिनों तक कब्जा किए रहते हैं । इसलिए कानून बनना चाहिए और अच्छे अफसरों को ऐसी बातों पर गौर करने के लिए वहां उन जगहों पर लगाया जाये ।

यहां पर जैसा कि पट्टेदारों को बात की भी चर्चा हो रही है उसी प्रकार से गरीबों को भी जहां पर म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, दिक्कतें हैं उनको कोई आराम नहीं है । उनकी ये सब दिक्कतें दूर करनी चाहिए ।

अन्त में इस बिल की मैं पूर्ण रूप से सराहना करता हूं और साथ साथ चौधरी खुरशीद अहमद का मौर चौधरी बंसी लाल

जी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जो वे ऐसा बिल इस हाउस में लाये हैं ।

श्री खुरशीद अहमद : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां हाउस में बहुत से मैम्बरो ने इस बिल के बारे में अपने ख्यालात का जो इजहार किया है उसके लिए मैं उन सब का मशकूर हूँ । उन्होंने जिन दिक्कतों को यहां हाउस में जिक्र किया है वही दिक्कतें सरकार के सामने भी आ रही थीं । जो शामलात जमीन होती है और म्यूनिसिपल कमेटी की हद में होती है या उस टाउन की म्यूनिसिपल कमेटी की हद के बाहर हो अगर उन जमीनों को म्यूनिसिपल कमेटी लेना चाहे तो उसके लेने में बड़ी गड़बड़ होती है । जैसा कि अभी सिंगोल साहब ने कहा कि अगर किसी के हिस्से के मुताबिक एक मरला जमीन बनती है तो नाजायज तौर पर वह 10 एकड़ जमीन पर कब्जा किए हुए होता है । इस तरह के काफी केसिज सरकार के नोटिस में आये । इसलिए इस बिल को यहाँ लाया गया है । इन इलफाजों के साथ मैं हाउस से इल्तजा करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए ।

Deputy Speaker : Question is —

That the Haryana Municipal Common Lands
(Regulation Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Now the House will take up the
Bill clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1.

Deputy Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (3) OF CLAUSE 1.

Shri Daya Krishan (Jind) : Madam, I beg to move—

That in sub-clause (3) of clause I, for the words and figures "15th day of October, 1970," substitute the words and figures "26th day of January, 1970."

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस अमैडमेंट का मतलब यह है कि यह कानून 26 जनवरी 1970 से लागू किया जाये । यह तारीख इस वास्ते रखी गई है कि सन 1970 में म्यूनिसिपल ऐक्ट को रिवाइज करने के लिए एक कमेटी बनायी गई थी उस रिविजन के दौरान यह बात भी आयी कि शहरी जायदाद अर्थात् जमीन के लिए अलहदा कानून बनाया जाये और शह अलहदा कानून आज सदन के सामने आया है । अब यहां अपोजीशन की तरफ से एक बात आयी कि इस कानून को सन 1970 से लागू किया जाये । इसके बारे में यही अर्ज करूंगा कि सन् 1960 की बजाए सन 1970 ही सूटेबल डेट है । अगर आप पंजाब विलेज कौमन लैन्डज ऐक्ट को देखेंगे तो वह सन् 1961 से है । इस ऐक्ट के जरिये शामिल लैन्ड को पंचायतों में वैस्ट कर दिया गया । पंजाब विलेज कौमन लैन्डज (रेगूलेशन) ऐक्ट 1953 और पैप्सू विलेज कौमन लैन्डज

(रेगुलेशन) ऐक्ट 1954 को 1961 में रिपील किया गया था । ये दोनों बिल सन् 1953 और 1954 में बनाये गये थे । इस ऐक्ट के मुताबिक 26 जनवरी सन 1950 के बाद की जमीनें पंचायतों में वैस्ट कर दी गयी । इस तरह से विलेज कौमन लैन्ड तो विलेज पंचायतों में वैस्ट हो चुकी है । अब यही एक कहना था कि शहरों की कौमन लैन्डजू म्यूनिसिपल कमेटी में वैस्ट नहीं होती हैं । इस लकूने को दूर करने के लिए 'यह बिल सदन में लाया गया है । शहर और देहात में फर्क था क्योंकि शहर की कौमन लैन्ड म्यूनिसिपल कमेटी में वैस्ट होती नहीं थी और गाँव की कौमन जमीन पंचायतों में वैस्ट हो जाती थी । इसलिए इस बिल को लाया गया है । जहाँ तक डेट का सम्बन्ध है कि सन् 1970 रख दी वह इसलिये रखी गयी कि 26 जनवरी सन् 1970 को एक रिविजन कमेटी बनी थी । लोगों को इस बात का पता चल गया कि सरकार इस किस्म को दिल लायेगी तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों को ट्रांसफर कर दिया । इसलिए इसकी डेट सन् 1970 रखी गई है । अगर सन 1970 की डेट रख दें जैसा कि अपोजीशन के मेम्बर फरमाते हैं तो वह आर्बिटेररी होगी । 1950 के बाद की जो जमीन थी वह विलेज कौमन लैन्ड ऐक्ट के तहत पंचायत को वैस्ट हुई थी । यदि इस बिल के लागू होने की डेट भी वही यानी 26 जनवरी 1930 रख दी जाये तो उसके बाद की सारी ट्रांसफर्ज आफ लैंड इनवैलिड हो जायेगी । यदि 1950 की जगह 1960 भी कर दिया जाये तो 1960 और 1970 के बीच के 10 सालों की जो ट्रांसफर्ज हैं वे इनवैलिड होंगी और इससे

बोनाफाईडी परचेजूर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा । इस तरह से 1960 और 1970 के बीच की जो ट्रान्सफर्ज हो चुकी हैं वे डिसप्यूटिड हो जायेगी और मुनासिब नहीं रहेगी । इसी वजह से मैं एक अमेंडमेंट लाया हू जिसमें यह तारीख 26 जनवरी 1970 रखी गई है । मैं समझता हू कि इस बिल के लागू होने की यह एक मुनासिब डेट है । हमारा विलेज कामन लैंड ऐक्ट 1 950 की 26 जनवरी से लागू है हमने 26 जनवरी तो वैसे ही रहने दी है, लेकिन 70 को 50 की जगह रख दिया है वोनाफाईडी परचेजूर के बैनिफिट के लिए मैं यह अमेंडमेंट लाया हू इसलिये मैं यह आशा करता हू कि सदन इसको मन्जूर करेगा ।

6.00 P.M.

Deputy Speaker : Motion moved—

That in sub-clause (3) of clause 1, for the words and figures "15th day of October, 1970," substitute the words and figures "26th day of January, 1970,"

महन्त गंगा सागर (झज्जर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो कुछ श्री दया कृष्ण जी ने कहा है, वह मैं समझता हू एक दरुस्त बात हैं । इसलिए हमें इस अमेंडमेंट को मान लेना चाहिए ।

मुख्य मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : ठीक है, मान लेगे ।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो अमेंडमेंट श्री दया कृष्ण जी ने सदन में पेश की हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती । लेकिन हो सकता है कि 1970 से पहले के समय के दौरान कुछ जमीन जो शामलात देह के जायज या नाजायज कब्जे में हो म्यूनिसिपैलिटियों या पंचायतों ने गरीब हरिजनों को या बिसबेदारों को दे दी हों और उन्होंने उस जमीन पर मकान वगैरह बना लिये हों..... (विधन) ...

श्री सत्य नारायण सिगौल : म्यूनिसिपैलिटियों पर तो कांग्रेसियों का कब्जा है ।

गृह मन्त्री (श्री०के०एल०पोसवाल) : तभी तो आत कांग्रेस में एप्लाई कर रहे हो ।

चौधरी रणबीर सिंह : इस विधेयक का कोई फायदा मुझे दिखाई नहा देता । एक दफा विचार करने के बाद यदि हम इस बिल को पास कर देंगे तो हम म्यूनिसिपैलिटियों को एक अधिकार दे देंगे और वह जमीनों की मालिक बन जायेगी । मुझे कुछ ठीक याद नहीं । मुख्य मन्त्री महोदय जरा ला डिपार्टमेंट से पता कर लें । आज से कुछ साल पहरने सारे पंजाब के अन्दर जितने भी बे-बिसबेदार मकानों के मालिक थे, उनके मकानों के नीचे वाली जमीन के मालिक या रेवन्यू एस्टेट के बिसबेदार ही माने जाते थे । उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद एक कानून पास हुआ था और उस कानून के जरिये जो जमीन उन बे-बिसबेदारों

के मकानों के नीचे थी, उसकी मलिकयत मकान मालिकों को दी गयी थी । यह बात मुझे अच्छी तरह से मालुम नहीं, कि वह जमीन जो रैवेन्यू एस्टेट की थी वह म्यूनिसिपैलेटी के तहत आती थी या किसी और के तहत, लेकिन यह जरूर है कि उस जमीन की मलिकयत उन गरीबों को दे दी गयी थी जो उन पर अधिकार किये हुये थे । इसके अलावा जितनी शामलात देह जमीन इवैक्यू प्रापर्टी डिक्लेयर हुई थी, और उसके कुछ मालिक यहां के रहने वाले थे और कुछ पाकिस्तान चले गये थे उनकी जमीनों की मलिकयत नहीं दी गयी थी । जहां तक म्यूनिसपल ऐरिये का ताल्लुक है उसके अख्तियारात स्टेट गवर्ममेंट को नहीं थे । उसके अख्तिया— रात सैटरल रिहैब्लिटेशन मिनिस्ट्री को थे । इन्होंने इवैक्यू प्रापर्टी नीलामी के लिये निकाली । वह जमीन भी इसमें शामिल थी जिस पर कि गरीब आदमियों के बीस—बीस और पच्चीस—पच्चीस साल से मकान बने हुये थे । इस नीलामी के बाकायदा आर्डर इशू हुए थे लेकिन बाद में हिन्दुस्तान के उस समय के प्रधान मन्त्री ने हिदायत की, मेरा मतलब पंडित जवाहर लाल नेहरू से है और वह जमीन उन लोगों को है दी गयी थी जिनके उन जमीनों पर मकान थे । उस वक्त मेरी खुशकिस्मती यह थी कि इस मामले को उठाने को मुझे मौका मिला । चौधरी चांद राम जी अब यहां बैठे नहीं हैं, उन्होंने भी इस मामले में हाथ बटाया था । उस वक्त के एक केन्द्रीय मन्त्री ने मुझे यह कहा था मैं नाम नहीं लू गा, कि जालन्धर और अमृतसर की जमीन नीलाम हो गयी है और अब जब रोहतक की नीलामी होने लगी है तो आप इसको रोकने वाले कहां

से आ गये, यह नील। मी होने से रुकेगी नहीं । मैंने उन्हें मजाक में कहा था कि न तो मैं जालन्धर को रिप्रेजेंट करता हूँ और न ही अमृतसर को, लेकिन रोहतक को जरूर रिप्रेजेंट करता हूँ । रोहतक के गरीब आदमियों के जहा मकान बने हुये हैं, उनको नीलाम करने की यदि सरकार कार्यवाही करेगी तो उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही करूंगा और भगवान की दया से उसमें कामयाब भी हुआ हूँ । इसमें भी एक झगड़े की बात है । फर्ज किया एक आदमी चाहे वह शक्तिशाली है या नहीं, अच्छी जमीन का मालिक है, उसकी एक लारव रुपये की जायदाद है । जैसे कि मेरे साथी माननीय सदस्य चाहते हैं कि उस मालिक को जो पिछली डेट से मालिक है जमीने से बेदखल न किया जाये, तो जो एक लाख, 50 हजार या 20-25 हजार की जमीन का मालिक है उसको जमीन म्यूनिसिपल कमेटी के मैम्बरो के हवाले करनी पड़ेगी या उसको सुलझाने का क्या तरीका होगा? कितनी कम म्यूनिसिपल कमेटियां हमारे यहां काम कर रही हैं इसके बारे में अपोजीशन वालों को शिकायत हो सकती है क्योंकि सरकार ने हमेशा यह कहा है कि फलां कमेटी के अन्दर ईमानदारी के साथ काम नहीं किया गया है वहां पर यह रियायत हुई है, वहां पर यह हेरा-फेरी हुई है, इसलिये हमें म्यूनिसिपैलिटी तोडनी पड़ी है । अपोजीशन वालों को शिकायत हो सकती है कि सरकार शायद शक्ति अपने हाथ में रखने के लिये यह बिल पास करक रही है । मुझे शक है कि जो अख्तियार हम- कमेटियों को दे रहे हैं, उसे वे सही तौर पर न्याय करते हुए और ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं करेंगी । इसलिये किस

ढग से अख्तियार इस्तेमाल हों इसके लिये यदि किसी रूल के अन्दर प्रोविजन हो सकता है तो वह किया जाये । इसके अलावा यदि माननीय सदस्य ने जो संशोधन दिया हे उसको न मानना उचित हो, तो ऐसा कर लिया जाये या कोई और संशोधन कर दिया जाए ताकि कमेटियां इस अख्तियार को गलत इस्तेमाल न कर सकें जो व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली व पैसे वाला होता है, वह न्याय हासिल कर सकता है । जैसे चौधरी लाल सिंह जी ने कहा है कि लोग कोर्ट में जायेंगे, इसके बारे में मैं कहना चाहता हू कि जब –तक हमारा संविधान कायम है और उस को कोर्ट में जाने का हक है, वे कोर्ट में जरूर जायेंगे । इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है क्योंकि उनको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मिलेगा जबकि गरीब आदमी रिलीफ लेने के लिये कोर्ट में नहीं जा सकता । गरीब आदमी के लिये तो एक तरह से प्रदेश की सरकार ही हाईकोर्ट होती है क्योंकि वह गरीबों के लिये सब कुछ कर सकती है । वैसे प्रदेश सरकार को कन्नी तौर पर हाई कोर्ट पर अधिकार नहीं होता लेकिन वह उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखकर कानून बना सकती है और उस के द्वारा उन का अधिकार छापने पास रख सकती है । अगर फर्ज किया कि कानून में इनको अधिकार न हो तो उसमें संशोधन करने की जरूरत है जिससे कि गरीब हरिजन शैड्यूलड कास्ट्स तथा बै कवर्ड क्लासिज के लोग जिनको हमने क्लासिफाई किया है, अगर वे कोई मकान बन। लेते हैं या कोई जमीन खरीद लेते हैं तो उनको कोई घाटा न हो । इस परिस्थिति को देखते हुए इस विधेयक के अन्दर जो संशोधन

हो वह पहले आना चाहिए । अगर विधेयक के अन्दर संशोधन लाने की आवश्यकता न हो तो रूल के अन्दर संशोधन लाया जाए । यही मेरा कहना है ।

श्री खुरशीद अहमद : डिप्टी स्पीकर साहिबा, बाबू दया कृष्ण जी की तरफ से जो अमेंडमेंट आई है उसे मैं कबूल करता हूं और बाकी जो भी शकूक यहां जाहिर किये गए उनके बारे में अर्ज यहू है कि ऐसी वैसी कोई बात इससे नहीं होगी ।

Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (3) of clause 1, for the words and figures " 15th day of October, 1970," substitute the words and figures "26th day of January, 1970."

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is —

That sub-clause (3) of clause 1, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2.

Shri Daya Kristian (Jind): Madam, I beg to move—

In sub-clause (d) of clause 2, add the following words at the end, namely :-

"and includes a notified area constituted under section 241 of the Punjab Municipal Act. 1911."

Deputy Speaker, : Motion moved—

In sub-clause (d) of clause 2, add the following words at the end, namely :-

"and includes a notified area constituted under section 241 of the Punjab Municipal Act, 1911."

Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (d) of clause 2. add the following words at the end, namely :—

"and includes a notified area constituted under section 241 of the Punjab Municipal Act, 1911."

The motion was carried.

Shri Daya Krishan (Jind) : Madam, I beg to move —

In sub-clause (e) of clause 2, add the following words at the end, namely :-

"and includes a notified area committee appointed under section 242 of the Punjab Municipal Act, 1911."

Deputy Speaker : Motion moved—

In sub-clause (e) of clause 2, add the following words at the end, namely --

"and includes notified area committee appointed under section 242 of the Punjab Municipal Act, 1911."

Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (e) of clause 2, add the following

words at the end, namely :—

"and includes a notified area committee appointed under section 242 of the Punjab Municipal Act, 1911,"

The motion was carried.

Shri Daya Krishan (Jind) : Madam, I beg to move—

In sub-clause (g) of clause 2, in items (ii), (iii) and (vi), for the words and figures "26th January, 1950," substitute the words and figures "26th January, 1970."

Deputy Speaker : Motion moved—

In sub-clause (g) of clause 2, in items (iii), (ii) and (vi), for the words and figures "26th January, 1950," substitute the words and figures "26th January, 1970."

Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (g) of clause 2, in items (ii), (iii) and (vi), for the words and figures "26th January, 1950," substitute the words and figures "26th January, 1970."

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3.

Shri Daya Krishan : Madam, I beg to move—

In clause 3, for the words and figures "15th October, 1970," substitute the words and figures "26th January, 1970."

Shri Khurshed Ahmed : I accept the amendment.

Deputy Speaker : Motion moved—

In clause 3, for the words and figures "15th October, 1950,"

substitute the words and figures "26th January, 1970."

Deputy Speaker : Question is—

In clause 3, for the words and figures "15th October, 1970,"

substitute the words and figures "26th January, 1970."

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3, as amended, stand part of the Bill:

The motion was carried.

CLAUSES 4,5,6,7,8,9 & 10.

Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 4,5,6,7,8,9 & 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1.

Deputy Speaker : Question is—

That Sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE.

Deputy Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Shri Khurshed Ahmed : Madam, I be to move—

That the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, as amended, be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, as amended, be passed.

Deputy Speaker : Question is —

That the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

**THE PUNJAB NEW MANDI TOWNSHIPS
(DEVELOPMENT AND REGULATION) HARYANA AMENDMENT
BILL, 1971.**

Public works Minister ; (Shri Ran Singh): Madam, I beg to introduce The Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill, 1971.

Madam, I also beg to move—

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once,

Deputy Speaker : Motion moved---

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बिल के पेज तीन पर यह ऐक्सट्रैक्ट दिया है—

"If the State Government is of the opinion that any new Mandi township has been fully developed in accordance with the provisions of this Act and the rule, made there-under, it may, by notification in the official gazette, include such new mandi township within the local limits of any local authority from such date as may be specified in the notification, and thereupon the provisions of this Act shall cease to apply to such new mandi township and the provisions of the law for the time being in force relating to such local authority shall apply in relation thereto."

Extension of time of the Sitting.

मुख्य मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : मैडम डिप्टी स्पीकर महोदया, फार दी टाईम बोर्डिंग, हाउस को एक घन्टा बढा दिया जाए । कन्सेनशिज आफ दी हाउस ले ली जाए और एक घण्टे के लिए हाउस ऐक्सटेन्ड कर दिया जाए ।

श्री सत्य नारायण सिंगौल : टाईम बढाने की जरूरत ही क्या है? अगर इसमें कोई हेराफेरी की बात हो तो दूसरी चीज है वरना ऐक मिनट में खत्म हुए जाते हैं ।

श्री बन्सी लाल : मैडम, एक घन्टे के लिए हाउस ऐक्सटेन्ड कर लिया जाए और अगर काम पहले खत्म हो जाए तो हाउस उठ जाएगा ।

श्री मंगल सैन : इसकी क्या जरूरत है? (शोर)

उपाध्यक्षा : कितने टाईम के लिए आप कह रहे हैं?

श्री बन्सी लाल : मैडम, एक घन्टा बढा दीजिए ।

श्री मंगल सैन : मैडम, मेरा सबमिशन है कि आप इधर भी निगाह कर लिया करें ।

उपाध्यक्षा : मैं देख रही हूँ ।

श्री बन्सी लाल : मैडम, एक घन्टा तो अब बढा दीजिए और अगर जरूरत हुई तो एक घंटा और बढा लेंगे, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में यही पास हुआ था ।

श्री मंगल सैन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनकी मर्जी है तो ये भले ही रात तीन बजे तक हाउस को ऐक्सटैंड करवा लें । इनकी मैजारिटी है, ये ऐसा कर सकते हैं, और हम बैठे हैं लेकिन यह विचार करने की बात है कि दो बजे से लेकर साढ़े छरू बजे तक हम लोग बैठे हैं और साढ़े चार घन्टे में यह काम क्यों नहीं हुआ ? (व्यवधान) पहले रूल्ज में 12 घन्टे रखवा लीजिए, फिर बैठे रहिए । इस समय तो आप की मैजारिटी है आप सब कुछ करना चाहेगे लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जल्दी क्या है, कहीं भाग कर जाना है? साढ़े चार घन्टे जो हैं इस टाइम के अन्दर हमें पीसफुली काम कर लेना चाहिए । सबेरे जब बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसकी हमें कोई इन्फर्मेशन नहीं पहुंची । पहले तो हमें कहा गया कि मीटिंग में आइएगा लेकिन बाद में कोई इन्फर्मेशन नहीं मिली, हमसे पूछा तक नहीं गया । मैं समझता हूं यह समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिए ।

श्री बंसी लाल : जब छः बिल निकल जायेंगे, हम उठ जायेंगे ।

श्री मंगल सैन : इस समय जैसे मर्जी ये कह दें लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी सबमिशन यह है कि आप इनको समझाएं कि साढ़े चीर घण्टे के बाद फिर जब बैठेंगे तब कर लेंगे ।

उपाध्यक्षा : रूलज तो हमे अलाऊ नहीं करते मगर बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि हम यह छरू बिल पास करेंगे और इन्हें पास कराने के लिए अगर हमें टाइम बढ़ाना पड़ा तो बढ़ायेंगे । अब लीडर आफ दी हाउस से यह मांग आई है कि एक घन्टा हाउस का टाइम बढ़ा दिया जाए अगर एक घन्टे में बिल पास हो जाते हैं तो ठीक है वरना हाउस का टाइम और बढ़ाया जाएगा ।

श्री सत्य नारायण सिंगोंल : यह जो बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई इसकी रिपोर्ट हाउस में सरकुलेट नहीं हुई । क्या इसकी बिना पर कोई ऐक्शन लिया जा सकता है?

Shri Bansi Lal : Even your representative or leader was there and he agreed to it.

श्री सत्य नारायण सिंगोल : रूलिंग आप देंगे या ये देंगी?

श्री बन्सी लाल : मैं तो फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ ।

उपाध्यक्षा : इनका जवाब यह है कि आपकी जो पार्टी के लीडर हैं वह वहां पर मीटिंग में मौजूद थे और he agreed that it should not be circulated.

श्री मंगल सैन : आपकी रुलिंग चाहता हूँ कि क्या अपोजीशन के लीडर कहाँ थे?

Deputy Speaker : Yes, he was. I was also there.

Shri Mangal Sein : Madam, I want to know the name of the Leader of the Opposition ? (Interruptions)

Deputy Speaker : He is leader of all the opposition parties except your party. (Interruptions)

श्री मंगल सैन : डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं तो नाम जानना चाहता हूँ कि अपोजीशन के लीडर कौन हैं?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री खुरशीद अहमद) : अपोजीशन तो लीडरलैस है । --- (व्यवधान) ---

उपाध्यक्षा : बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें विरोधी दल के लीडर और कांग्रेस (ओ) के लीडर भी मौजूद थे मगर श्री मंगल सैन' जी जो जनसंघ पार्टी के लीडर हैं वे वहाँ पर मौजूद नहीं थे ।

श्री बन्सी लाल : सड़कों पर पानी आ गया था इस लिए वे वक्त पर नहीं पहुंच सके ।

श्री मंगल सैन : मैं तो आपकी जो अच्छी बात थे । उसका स्पष्टीकरण चाहता हूँ । आपके मुखारबिन्द से अच्छी बात निकली कि अपोजीशन के नेता वहाँ मौजूद थे मैं यही बात सुनना चाहता हूँ ।

श्री बन्सी लाल : आपने खुद वह रिपोर्ट डिस्पैचर करवा ली ।

Shri Satya Narain Syngol : Madam, Deputy Speaker, Rule 36 of the Vidhan Sabha Rules, reads--

"36. The time table in regard to the Bill or group of Bills and other Government business as settled by the Committee shall be reported by the Speaker to the House and notified-to the members." डिप्टी स्पीकर साहिबा आज बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट इस हाउस के सामने नहीं आई है । that Report must come to this House. उसको देख कर ही कहा जा सकता है कि हमारे लीडर वहां थे या नहीं थे । अगर नहीं थे, that means this is not final. That has to be put to the vote of the House. (Interruptions)

Shri Bansi Lal : Then I bring a motion before the House right now. (Interruptions)

उपाध्यक्ष : मोशन हाउस के अन्दर आ सकती है?

श्री सत्य नारायण सिगौल : अब कैसे आयेगा?

Deputy Speaker : This is my discretion. I can also allow a motion to be moved in the House, any time.

Shri S.P. Jaiswal : Madam, unless suspension of the 'sittings of the Assembly' Rule is moved before the business of the day is entered upon, even if the Advisory Committee came to certain decision, it would be contrary to the Rules. I would therefore request you and the hon. Chief

Minister to allow the House to function according to the Rules.

According to the Rules, the motion about the suspension of the Rule regarding, 'sittings of the Assembly' must be moved before the business of the day begins. This not having been done, it would not be correctly speaking in accordance with the Rules to suspend that Rule now and to continue the House further beyond the hour of interruption.

Shri Bansi Lal : Madam, Deputy Speaker, it was decided in the Business Advisory Committee meeting this morning and the Chair was authorised to extend the sitting today, if all the six Bills entered in the List of Business for today were not finished by the hour of interruption, till these Bills are finished. The time was to be extended automatically.

Now I move that the decision of the Advisory Committee be ratified by the House.

Deputy Speaker : Now the question is —

That the sitting of the House be extended for one hour.

The motion was carried.

(At this stage hon. Speaker occupied the Chair)

श्री सत्य नारायण सिंगोल : स्पीकर साहब आप जरा लेट आये हैं ।

Mr. Speaker : Actually, I wanted to clarify the position. There was actually no need for this motion because the Business Advisory Committee had decided and it was

decided unanimously that if these Bills are not passed by 6-30 P.M. the Speaker will extend the sitting of the House.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, कल की बात भी बता दीजिए?

Mr. Speaker : Well the hon. Member can ask me later. In fact he will get a copy of the minutes.

श्री मंगल सैन : कब तक मिल जाएगी?

Mr. Speaker : The hon. Member will get it by this evening.

RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE PUNJAB
NEW MANDI TOWNSHIPS (DEVELOPMENT AND REGULATION,
HARYANA AMENDMENT BILL, 1971.

श्री सत्य नारायण सिगौल : स्पीकर साहब, यह जो "दी पंजाब न्यू मन्दी टाउनशिपस (डिवैलपमेंट ऐन्ड रेगुलेशन) हरियाणा अमेंडमेंट बिल 1971 हाउस के सामने आया है मैं इस पर बोलना चाहता हूँ । इसके पेज तीन पर जो सैक्शन हैं उसमें लिखा है ।

If the State Government is of the opinion that any new mandi township has been fully developed in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder, it may, by notification in the official gazette, include such new mandi township within the local limits of any local authority from such date as may be specified in the notification, and thereupon the provisions of this Act shall cease to apply to

such new mandi township, and the provisions of the law for the time being in force relating to such local authority shall apply in relation thereto."

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

मेन ऐक्ट के अन्दर डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह था कि जब तक कोई ऐरिया फुली डिवैल्प न हो वह लोकल बौडी को ट्रांसफर नहीं हो सकता । अब इस ऐक्ट के तहत पार्शयली डिवैल्पड ऐरियाज को भी लोकल अथारिटीज के अन्दर लेना चाहते हैं । इससे और कोई हवास डिफरेंस नहीं पड़ता लेकिन जो फक? पड़ेगा वह यह है कि जो पंजाब न्यू मंडी टाउनशिपस डिवैल्पमेंट एंड रैगुलेशन जिस के तहत नई मडियां कायम की जा रही हैं उसके तहत यह चीज है कि तमाम जमीन डिवैल्प करके, बेचने के बाद वह उसे लोकल बौडी के सुपुर्द करेंगे । अब यह कुछ तो वैस्ट कर देंगे टाऊन एंड कंट्री प्लैनिंग को और कुछ वैस्ट कर देंगे म्यूनिसिपल कमेटी को और फिर उनको अलग अलग बेचने का अख्तियार होगा । इस वक्त प्रोसीजर यह है कि उन प्लॉट्स को बेचने के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन होती है और मुनादी भी होती है और फिर ओपन बोली में वह प्लॉट बिकते हैं । इस प्रोसीजर के होते हुए भी इन्दरी के अन्दर प्लॉटों की सेल में गड़बड़ करने की कोशिश की गई और चुपके चुपके बोली करके बड़ा सस्ता प्लॉट दे दिया गया, फिर काफी झगड़ा करने के बाद उसकी रिऑक्शन करवाई गई । पहले वह प्लॉट चार पांच हजार रुपये में दिया था और जब ऑक्शन हुई तो वह 42-42 हजार

रुपये में बिका । लेकिन जब लोकल बौडीज को अख्तियार हो गया तो वह न इशितहार निकालेंगे और न ही कोई मुनादी वगैरा करवायेंगे और चुपके से अपने आदमियों के नाम सेल करवा देंगे । जिसका नतीजा यह होगा कि पूरी प्राईम भी नहीं मिलेगी । इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इस अमेंडमेंट को न पास किया जाये और जो कंट्री एंड टाऊन पलैनर के जरिये औकशन होती है उस तरीके से ही होने देनी चाहिए । अगर आप ने अंडर डिवैल्पड मडियों का कंट्रोल लोकल बौडीज को देना ही है तो सेल का काम उनको नहीं दिया जाना चाहिए ताकि वह गड़बड़ न कर सके । इसके अन्दर वाटर और सिवरैज स्कीम के बारे यह है कि अगर वह चाहें तो इसे रख सकते हैं । एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हम हर जगह पर सिवरेज स्कीम लागू करेंगे । मैं यह गुजारिश करता हूं कि सिवरेज का जो काम है वह तो लोकल बौडीज को दे देना चाहिए और गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एड दे कर करवाना चाहिए और जो सेल का काम है वह टाउन एन्ड कंट्री प्लैनिंग के हाथ में रहना चाहिये । तभी हमारे सूबे के लोगों का फायदा हो सकता है । बस मैं इतना ही अर्ज करना चाहता था ।

श्री मगल सैन (रोहतक) : डिप्टी सीकर साहिबा, क्या ही अच्छा होता अगर इस सदन के नेता हमारी बात को मान जाते और अपना हठ छोड़ देते और जो विधेयक आज सदन के सामने लाए हैं उसको कल टेक अप करते । लेकिन पता नहीं उनको

क्यों इतनी जल्दी पड़ी हुई है। इसका पेरेंट ऐक्ट सन 1960 में बना था इसे बनाते समय स्टेटमेंट आफ आग्जैक्ट्स ऐंड रीजन्ट में यह त्रिया गया था कि :

"As a result of increased agricultural facilities from the newly constructed Bhakra Canals and expectation of additional production of agricultural commodities, it is proposed to establish several market towns at convenient centres for the sale of surplus agricultural produce and for the establishment of ancillary industries,"

उन्होंने आगे चरन कर यह कहा कि पंजाब में आरफवाला और बूडेवाला के टाईप की नई मण्डियों बनाई जाये और उनको रेगुलेट करने के लिए ऐक्ट बनाया जाए । उसके सैक्शन 23 में यह बात है कि—

"If the State Government is of the opinion that any raw mandi township has been fully developed in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder, it may, type notification in the official gazette, include such new mandi township within the local limits of any local authority from such date as may be specified in the notification, and thereupon the provisions of this Act shall cease to apply to such new mandi township, and the provisions of the law for the time being in force relating to such local authority shall apply in relation thereto."

मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस धारा 23 में यह बात है कि जब सरकार की तसल्ली हो जाए कि नई मंडी का विकास

अच्छी तरह से हो गया है तो फिर उस को लोकल अथारिटीज को ट्रांसफर कर दे ताकि उसकी मेंटेनेस और ईन्तजाम वे करें । क्या ही अच्छा होगा अगर मन्त्री महोदय प्रथा प्रारम्भ कर दें कि सदन में विधेयक को मूव करते समय उसकी भूमिका यहां पर रख दिया करें क्योंकि जो स्थिति उनके पास होती है वह जरूरी नहीं कि दूर सदस्य के पास हो ऐसा करने से बात बड़ी स्पष्ट हो जाती. है जिस तरीके से यह अमेंडमेंट लाना— चाहते हैं उससे यह जाहिर होता है कि इनका यह ख्याल है कि टाऊन एड कट्टी प्लैनिंग का डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से नहीं निभाता और इनके ख्याल से लोकल बौडीज ज्यादा अच्छी तरह से काम करेंगी । अगर इनकी यही राय है तो इसमें सचाई नहीं हो सकती और न ही लोगों का भला हो सकता है । इन्होंने तो डिप्टी स्पीकर साहिबा यह समझ रखा है और इरादा बना रखा है कि विधान सभा के नीचे नीचे जो भी डैमोक्रेटिक इन्स्टीच्यूशन्ज हैं उनकी डैमोक्रेटिक रहने ही नहीं देना । मार्किट कमेटी में डैमोक्रेसी खत्म कर दी,

अभी पंचायतों का चुनाव हुआ, इनको लगा कि हमारी मैजोरिटी नहीं आएगी इस लिए उनको ब्रेक लगा दी और अगर इनका बस लगा तो यहां भी नामीनेशन होगी । यह हमें तो क्या जनता को चाहते ही नहीं कि कोई अधिकार दिया जाए, इनको पता नहीं क्यों खौफ लगता है । यह समझते हैं कि एक बार गद्दी पर बैठ गए हैं फिर हमें जनता के दरबार में जाने की जरूरत नहीं

है । लेकिन जिन्होंने इस लोकतन्त्र के कंस्टीच्यूशन को बनाया था उन्होंने असेंस आफ पावर वैस्ट की थी जनता में लेकिन इनका पेशे उन से उठ गया है । इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि वे बतायें कि बीच में अधूरी पड़ी हुई मंडियों को, जिनका अभी निर्माण हो रहा है, क्यों । लोकस अथोरिटीज के तहत देना चाहते हैं । अब क्यों आपको ऐसा ख्याल आ गया कि इनको ल लेना चाहिए । अगर आप इसके कारण बता दें तो हो सकता है क रण जानने के बाद हम अपना मन बदल लें । लेकिन एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि मंडियों में आज कल जो प्लौट्स बिकते हैं वे औक्शन के जरिए बिकते हैं, उनको बेचने के लिए अखबार में विज्ञापन देना पड़ता है, सब जगह ढिंढोरा पिटाना पड़ता है, पब्लिक को सूचना देनी पड़ती है, लेकिन अब क्या होगा, अब तो रातों रात अपने आदमियों को देकर नीलाम कर दिए जाएंगे और उस पैसे को नाजायज तौर पर इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को वोट देने के लिए लोगों को भडकाएंगे । जो कुछ हम समझ सकते हैं, सूझ सकते हैं वह यही हो सकता है कि वर्तमान ढांचे से अपने आदमियों को फायदा नहीं पहुंचा सकते होंगे, इस चोब को दूर करने के लिए बिल को अमेंड करके एक नया रास्ता निकाला जा रहा है । जिस को चाहेंगे उसको औबलाईज कर लेंगे क्योंकि लोकल बौडीज में म्यूनिसिपल कमिटीज होती हैं और उनमें लोकतन्त्र है । जिन्होंने वहां पर भी लोकतन्त्र की हत्या करनी है । यह हमारे मुख्य मन्त्री श्री बन्सी लाल के बायें हाथ का खेल है । जब से ये मुख्य मन्त्री बने हैं तब

से बहन ओम प्रभा जैन भी उनके साथ मन्त्रिमण्डल में चली आ रही हैं । अब अगर उनसे नाराज हैं तो दूसरी बात है, लेकिन आजकल कुछ सन्तोष किए बैठी हैं क्योंकि उनके पास एक महकमा बहुत अच्छा था जो छिन गया है । मुझे इस चीज का बहुत अफसोस है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी मारफत अर्ज करना चाहता हूँ कि इन्होंने आते ही कैथल की म्यूनिसिपल कमेटी को सुपरसीड करवा दिया । मार्च के महीने में म्यूनिसिपल कमेटी बनी थीं और बहन जी मई में चुन कर आई थीं और आते ही सबसे पहला काम यह किया कि उस म्यूनिसिपल कमेटी को सुपरसीड करवा दिया ।

वित्त मन्त्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : आप फ़ैक्ट्स गलत न बतायें ।

श्री मंगल सैन : बहन जी अगर आप पुरुष होतीं तो मैं सारे फ़ैक्टसे सामने रखता । जब सुपरसीड करवा दिया तो हाईकोर्ट ने आर्डर कर दिया कि इसको री-इन्स्टेट करो और इन्हें यह री-इन्स्टेट करनी पड़ी । इसी प्रकार से करनाल में हुआ, इसी प्रकार से फतेहाबाद में हुआ । उपाध्यक्ष महोदया, जो हाई कोर्ट में जाता रहा बहाल हो कर आता रहा । इस तरह ये डैमोक्रेसी को कुचल रहें हैं । डैमोक्रेसी का जनाजा अपने कबो पर रखे हुए हैं । मुझे बताएं कि लोकल बौडिज को तोड़ क्या ये क्या करेगे? असल बात यह है कि लोकल बौडीज को तोड़ कर ये मन चाहा ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना चाहते हैं । जब यह एडमिनिस्ट्रेशन

इनके अहाने हाथ आ जाएगा तो यहां से टैलीफोन चला जायेगा कि फलां सज्जन अच्छे आदमी हैं, मेरे दायें बाबू हैं, हमने उनको अपनी पार्टी में शामिल किय है, लेटैस्ट डिफैक्टर है, इनको अकामोडेट किया जाए वरना हमारा सन्तुलन बिगड़ जाएगा... (व्यवधान). ..यह चीज प्रबन्ध करने तक ही कन्फाइंड नहीं है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं बड़े अदब के साथ आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि न जाने किस सुबह को श्री बन्सी लाल जी का मूड़ बिगड़ जाए और किसी न किसी म्यूनिसिपल कमेटी को तोड़ दें । उसको तोड़ कर मन चाहे ऐडमिनिस्ट्रेटर को भेज देगे और कह देंगे कि क्योकि म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर में ब्यूटीफिकेशन नहीं की, शहर के सौन्दर्य को संवारा नहीं था इसलिए तोड़ दी । यह बिल्कुल ठीक है कि जिस जिस म्यूनिसिपल कमेटी में इनके आदमी हैं वहां बढ़ चढ़ कर धाधले बाजी हो रही है । गोहाने की म्यूनिसिपल कमेटी बनी थी लेकिन उसकी मीटिंग अभी तक हुई ही नहीं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको ताज्जुब होगा कि न कमेटी के मैम्बर मीटिंग करने के लिए आए और न मिनिस्टर ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, डा० मंगल सैन जी जो भाषण दे रहे हैं वह म्यूनिसिपल कमेटियों के ऐडमिनिस्ट्रेशन पर डिसकशन कर रहे हैं । यहां पर मंडी टाउनशिप को लोकल बौडीज को देने का सवाल है । (व्यवधान) क्या आप इस बिल पर बोल रहे हैं? आप तो किसी और ही चीज पर बोल रहे है ।

श्री मंगल सैन : आप तो डिप्टी स्पीकर साहिबा को फीड कर रही हैं, यह आपका काम नहीं है जो आप कर रही हैं । उपाध्यक्ष महोदया, हम यह सहन नहीं कर सकते कि बहन जी आपको फीड करें, यह काम आपको करना चाहिए । श्रीमती ओम प्रभा जैन रू आन ए प्वायट आफ आर्डर, मैडम । क्या यह कहा जा सकता है कि डिप्टी स्पीकर को फीड कर रही हैं?

श्री मंगल सैन : मैंने तो एक ही बार कहा है ।.. ...

उपाध्यक्षा : आज डाक्टर मंगल सैन जी को खुली छुट्टी है, जितना चाहें बोल लें ।

श्री मंगल सैन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपना कथन जल्दी ही समाप्त करना चाहता हूँ । मैं कह रहा था कि लोकल बौडीज में म्यूनिसिपल कमेट्रीज भी आती हैं और म्यूनिसिपल कमेट्रीज की आज जो फंक्शनिंग है उसमें बड़ी धांधली मचा रखी, है जैसाकि मैंने पहले कहा कि उनमें लोकतन्त्र नाममात्र को भी नहीं नही । इस दिल को पास करके लोकतन्त्र का गला घोटने की खुली छुट्टी मिल जाएगी । अगर आप अपनी कारगुजारियों से हमें संतुष्ट कर देंगे कि यह काम जन-हित के लिए किया जा रहा है तो हम आपकी बात को मान लेंगे वरना हमारा औबजैक्शन स्टैंड करता है । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई) : उपाध्यक्ष महोदया, सदन के सामने पंजाब नए मन्डी नगर (विकास तथा विनियमन)

हरियाणा संशोधन विधेयक, 1971 पेश है । एक मन्डी का मुझे भी ज्ञान है वह है बवानी खेड़ा की मन्डी । सरकार ने इस मन्डी को डिवैल्प करने की कोशिश की, काफी पैसा खर्च किया लेकिन मन्डी की डिवैल्पमेंट आज तक पूरी नहीं हो सकी । इसके मायने यह हुए कि उस मन्डी का कामकाज ऐसे महकमें के अण्डर रहा जो चन्डीगढ में है और बनाने वाला पी० डब्ल्यु० डी० महकमा डेए यानी निर्माण कार्य पी० डब्ल्यु० डी० करता है और उसकी देखभाल कोई दूसरा महकमा करता है । जो काम पी० डब्ल्यु० डी० करता है उसे उसकी देखभाल ठीक तरीके से नहीं होती और परिणाम होता है कि मन्डी का काम पूरा नहीं हो पाता । अब सवाल पैदा ही ता है कि इस काम को कौन चलाए, क्या चन्डीगढ से देखभाल की जाए? डा० मंगल सैन को गिला है और वह गिना सही भी हो सकता है कि इस काम में कई ज्यादातियां हो सकती हैं । उनका गिला यह था कि लोगों के हाथ में यह काम लेकर सरकारी अफसरों के हाथों में दे दिया जाएगा । अगर ऐसा होगा तो यह उलट बात हो जाएगी, बजाए इसके कि जनता को फायदा हो, नुकसान हो जाएगा । हो सकता है कुछ कमेटीज इलैक्टिड हो जिससे थोड़ा बहुत फायदा हो जाए । तो मैं कह रहा था कि जो काम चन्डीगढ में बैठे हुए अफसरों के पास हो या कहीं और जगह बैठे हुए अफसरों के पास हो तो यह काम सुचारू रूप से पूरा नहीं हो सकता । जिस मन्डी को पी० डब्ल्यु० डी० ने डिवैल्प करके बना दिया है, जो काम होना था वह कर दिया लेकिन उस महकमे का मुझे मालुम नहीं कि कौन देखभाल कर रहा है । शायद वह

महकमा चन्डीगढ में ही हो आशा है मन्त्री महोदय उसका नाम बताएंगे । क्या सरकारी अफसर चन्डीगढ में बैठ कर इस काम को सुचारु रूप से चला सकते हैं? जहां तक मे समझता हूं ये नहीं चला सकते । क्या कारण है कि बहुत सारी मंडियां काफी समय पहले से विकसित होना शुरू हुई थी लेकिन अभी तक प्रे तौर पर विकसित नहीं हुई हैं? क्योंकि पूरे तौर पर वे विकसित नहीं हुई इसलिए लोकल बौडीज के पास वह काम नहीं दिया जा सकता । तो ऐसे ही काम को पूरा करने के लिए, इन्तजाम को ठीक चलाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है और मैं समझता हूं कि यह डाक्टर मंगल सैन और विरोधी दल के दूसरे सदस्यों की ख्वाहिश के मुताबिक है । उपाध्यक्ष महोदया, सिंगोल महोदय ने अपने भाषण में एक खदशा जाहिर किया । मुझे मालुम नहीं कि रूल्ज में उस खदशे का इन्तजाम हो सकेगा या नहीं । मैं भी इस बात को मानता हूं कि जिस वक्त एक छोटी कमेटी के पास अख्तियार दे दिए जाते है तो सरकार के पास खबर पहुंचते पहुंचते वहाँ कि हेरा-फेरी हो गई काफी समय लगता है । उनकी इस बात में वजन हो सकता है । मान लो मन्डी के प्लौट्स हैं । उनकी नीलामी के लिए कोई कायदे और रूल बने होंगे कि मुनादी बाई बीट आफ ड्रम होगी या किसी और तरीके से होगी । इन कायदों को शायद म्यूनिसिपैलिटी इस्तेमाल न करे । तो इनके रूल्ज में नीलामी का शब्द जोड़ा जा सकता है या उपनियमों में यह जोड़ा जा सक्ता है कि नीलामी पहले कायदे के मुताबिक ही हे गी । अगर ऐसा हो जाए तो उनको फिर म्यूनिसपै- लिटी चोरी

से नहीं बेच सकेगी । इसके साथ ही साथ, डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक और बात का सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा । अब तक जो जो बोलियां आई हैं उनको सरकार ने हो सकता है इसलिए न माना हो क्योंकि वे बोलियां बहुत कम पैसे की आई हैं लेकिन अब देरवने की बात यह है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि छोटी छोटी कमेटियों के हवाले यह काम करने से वे उससे भी कम बोलियों पर उनको छोड़ दे । इस चौकसी को ररवने के लिए इस विधेयक में यदि कोई तबदीली करनी पड़े तो वह करनी चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसे आपने कहा आज तो समय भी बहुत है क्योंकि हमने 6 विधेयक पास करने का फैसला कर रखा है और बोलने वाले बहुत कम हैं । पहले तो आप ने भी हमारा मुंह बन्द कर दिया लेकिन अब आप भी सोचती हैं कि कोई समय व्यतीत करदें तो आज इसलिए काफी समय हमारे पास है । हम इसके ऊपर सोचें । मन्त्रिमन्डल सलाह कर ले । यह बात नहीं होनी चाहिए कि भू कि यह आशंका विरोधी सदस्यों की तरफ से आई है इसलिए यह ठीक नहीं है । कल को कमेटी हो सकता है विरोधियों के हाथ वे चली जात् तो उस समय हमको आशंका करनी पड़ेगी । म्यूनिसपैलिटी किसी पार्टी के अधिकार में नहीं होती । कल को यी बगैर पार्टी वालों के हाथे में भी हो सकती है । तो जो एक तरफ से सरकार के रुपए की या आमदनी की चोरी हो सकती है उसको रोकने के लिए हमें इस पर गभीरता से विचार करना चाहिए और यदि विधेयक मे तबदीली करने का आवश्यकता हो तो करनी चाहिए । यह बात मैं मानता हूं कि बवानी खेड़ा की हालत

को देखते हुए ऐसे विधेयक की जरूरत आ गई है । बवानी खेड़ा को मैंने आज से 6 वर्ष पहले देखा था । आज मुख्य मन्त्री जी बात बात में बता रहे थे कि आज भी उसका हालत वही है जो आज से 6 साल पहले थी जब पी०डब्ल्यू०डी ० महकमा मेरे पास था । लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि अगर किसी कानून में थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो सशोधन करने का अधिकार सरकार को है, वह करना चाहिए । कहीं एक गलती को कम करते करते किसी दुसरी गलती में न फंस जाएं और दोबारा फिर उसके लिए अदला-बदली न करनी पड़े, इस बात की भी चौकसी जरूर करनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का तो स्वागत करता हूँ । लेकिन इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान पहाने अपने यहां चलने वाली परिपाटी की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसके द्वारा पहली रीडिंग के शुरू होते ही सम्बन्धित मन्त्री अपने बिल के बारे में सरकार की नीति तथा दूसरी बातों का पूरा पूरा ब्यौरा सदन के सदस्यों को देते थे । (विधन) यह मैं मानता हूँ कि हर बिल के पीछे स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एंड रीजन्ज में तबदीली के कारणों के बारे में लिखा होता है परन्तु इतना लिखना ही काफी नहीं होता । आज जो जल्दी जल्दी काम करने की आदत बन गई है उसमें ऐसा लगता है कि शायद ये उस परिपाटी को भूल गए हैं । यह परिपाटी भूलनी नहीं चाहिए चाहे हमको पांच-छः घन्टे ज्यादा क्यों न बैठना पड़े और अगर हम पांच-छः घन्टे लेट बैठना न चाहते हों तो एक दो दिन सेशन कौ और आगे बढ़ा लें । इस बात की तरफ जरूर ध्यान दिया

जाना चाहिए कि कम से कम मन्त्री साहब अपने बिल के बारे में, जब वे पास कराने के लिए उसे सदन के सामने पेश करते हैं, बताएं कि नशे यह बिल लाया गया है, इसको लाने की क्या जरूरत हुई, कितनी हमारे प्रदेश में मण्डियां हैं जो काफी समय से विकसित नहीं हुई हैं । बवानी खेड़ा के बारे में तो मैं जानता हूँ मगर और भी कई मण्डियां हो सकती हैं जो काफी समय से पूरी विकसित नहीं हुई हों ।

मुख्य मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : चौधरी साहब, इसकी फाउन्डेशन किसने रखी थी?

चौधरी रणबीर सिंह : पता नहीं यह स्कीम हमसे पहले ही की है मैंने तो तोशाम की पानी पिलाने की स्कीम शुरू की थी ।

श्री बन्सी लाल : आपने तो तोशाम में यह भी कहा था कि भाइयो बन्सीलाल को नहीं जितना चाहिए क्योंकि मुझे इससे खतरा है । (हंसी)

चौधरी रणबीर सिंह : ऐसा मैंने कभी नहीं कहा ।

श्री बन्सी लाल : आपने मजाक में यह कहा था ।

चौधरी रणबीर सिंह : मजाक में तो मैंने कई बातें कहीं थीं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि वे धरेलु बातें हैं । मैं तो कभी किसी से खतरा नहीं मानता । प्रजातन्त्र में कोई नहीं

जानता कि कब क्या हो जाए । (व्यवधान) खतरा तो न मैं पहले मानता था और न आज मानता हूँ क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन सरकार का राज हाथ में लेने से आरम्भ नहीं हुआ है, वह तो, बहुत पहले शुरू हो गया था और जेल जाने से आरम्भ हुआ था । मैं तो एक बात जानता हूँ कि अपने विचार रखने के लिए अगर सरकार के जेलखाने का दरवाजा खोलने की आवश्यकता भी पड़े तो खोलना चाहिए । किसी मुख्य मन्त्री को तुक थानेदार से फालतु अख्तियार नहीं होते । कचहरी के कटहडे में थानेदार को भी और जिसको वह पकड़ता हए दोनों को एक साथ नीचे खड़ा होना पड़ता है । तो मेरी तो बात साफ है । मैं न तो बन्सी लाल जी से खतरा मानता हूँ और न गृह मन्त्री जी से मानता हूँ ।

गृह मन्त्री (श्री के०एल० पोसवाल) : गृह मन्त्री से तो किसी को खतरा नहीं ।

चौधरी रणबीर सिंह : आज कल तो गृह मन्त्री जी भी बड़े तेज हो रहे हैं । मैं तो मानता हूँ कि अगर मेरे हाथ में काम हो तो जो मानयोग सदस्य आजादी के सेनानी रहे हैं, जिन्होंने इस देश के कानून क्रो बनाने में अपना सहयोग दिया है उनके खिलाफ किसी राजनीतिक बिना पर कोई कार्यवाही होनी चाहिए यह मैं मानता हूँ कि वे गलतियाँ भी कर सकते हैं, उनके खिलाफ गलत शिकायतें भी आ सकती हैं मगर इस ओर ध्यान देना सरकार का बड़ा अहम फर्ज है (व्यवधान) आप इस काम को करें या न करें. हमको तो यह देखना नहीं है, जब देखना था तब देखा भी

है और आगे जब देखना होगा तो आगे भी देखेंगे । इसलिए हमको इस बात में कोई घबराहट नहीं है । वित्त मंत्री महोदया हो या कोई मंत्री महोदय हो । मुझे किसी भी महोदया या महोदय से घबराहट नहीं । अगर मैंने कहा है और मुख्य मंत्री भी कहते हैं तो मैं उनकी बात को सत्य मान लेता हूँ । (विधन)

7.00 P.M.

श्री बन्सी लाल : (बैठे हुए) मैं ही कह देता हू कि आपने कभी नहीं कहा ।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने उन बातों में जिनके विषय में आपको आपत्ति थी उसमें हाथ बटाने की कोशिश की है । (विधन) अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि जब भी कोई मंत्री महोदय किसी बिल को लायें तो उसकी सदन में पहले सारी जानकारी दें । जैसे कि अभी मैंने बिवानी खेड़ा मंडी की बात की है । इसी प्रकार की और भी कई एक मंडियां होगी जिनके लिए विधेयक में यी सशोधन किया जा रहा है । दूसरी चीज जैसा कि विरोधी दल के सदस्यों ने कहा कि नाजायज तौर पर मैम्बर खुद फायदा उठाना चाहते हैं या कमेटियों के चेयरमैनो को फायदा करवाना चाहते हैं, इसके बारे में सरकार यह विश्वास दे कि ऐसा नहीं किया जायेगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल आया है यह बड़ा अच्छा बिल है । पहले जो मंडियों बनायी जाती थीं ने सरकार की तरफ से बनायी जाती थीं परन्तु इस बिल के आने के बाद अब जो भी मंडियां बनेंगी वे वहां के लोग ही बनायेंगे । पहले जो भी मंडियां बनती थीं उनके नक्शे सरकार का टाउन प्लानिंग विभाग बनाता था । वह अपनी मर्जी से आहिस्ता-आहिस्ता काम करता था । इस तरह से किसी मंडी को बनाने के लिए चार-पाँच साल लग जाते थे । अब जो यह बिल आया है इससे यह होगा कि जिस कस्बे में मंडी बनेगी वे वही लोग बनायेंगे जो जनता के वोट लेते हैं क्योंकि जनता उन लोगों से यह कह सकेगी कि आप इस किसम की मंडिया बनायें । वे लोग वहीं के होते हैं इसलिए उन लोगों से वे कह सकते हैं कि इस तरह की नालियां बनायें, इस प्रकार का नक्शा हो परन्तु जो सरकार का नक्शा बनता था उसके बारे में लोगों त्ही कोई सुनवायी नहीं होती थी । लोकल लोगों से कोई पूछताछ नहीं की जाती थी परन्तु इस बिल के आने के बाद कोई चक्र नहीं रहेगा वहां पर म्यूनिस्पल कमेटी का कब्जा होगा । म्यूनिस्पल कमेटी के लोग जनता से वोट लेते हैं, इसलिए वही लोग मंडी का नक्शा वगैरह बनायेंगे । अगर वे लोगों की इच्छा के विरुद्ध नक्शा बनवायेंगे तो वहां के म्यूनिस्पल कमिश्नर और अन्य लोगों को डर रहेगा कि अगले बार म्यूनिस्पल कमिश्नर या मैम्बर बन कर नहीं आ सक्ते । अब तक क्या होता था कि जो अफसर वहां जाता था वह जनता कई बात सुन तो जरूर लेता था परन्तु उनकी मर्जी के

मुताबिक नहीं करता था । पहले सरकार को जहां भी मंडी बनानी होती थी वहां की जमीन पर वह कब्जा कर लेती है और कई सालों तक उस मंडी को पूरा नहीं करती थी । अगर कोई मंडी बन भी जाती थी तो कई सालों तक उसको हैन्ड-ओवर नहीं करते थे । इस लिए अब जो भी मंडियां अधूरी पड़ी हुई हैं उन सब मंडियों को वहां की म्यूनिसिपल कमिटीज को दे देना चाहिए ता कि वहां के लोग उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें ।

उस पेरिया के लोग जब म्यूनिसिपल कमिटी के कमिश्नर या सदस्यों के पास जाते हैं कि यह मंडी क्यों नहीं बन रही है तो उनका यही जवाब होता है कि हमारा मंडी बनाने में कोई हाथ नहीं है । हम उसमें दखल नहीं दे सकते हैं । इसके लिए तो टाउन प्लानर आयेगा । वह नक्शा बनायेगा कि कहां पर नाली बनेगी, कहां से पानी जायेगा । अब इस बिल के बन जाने से यह सुविधा होगी कि जो म्यूनिसिपल कमिटी का सैक्रेटरी पर्मानैन्ट होता है, अगर वह मंडी के बनवाने में देरी करेगा तो उसको पकड़ा जा सकल । है 1 सरकार को भी चाहिए उनकी चंकिंग डी० सी ० और एस डी० ओ० भी करे जिससे किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ न हो । प्रजातंत्र के अन्दर यही होना चाहिए कि उस टाउन की जनता की इच्छा के अनुसार ही मंडियां बनें न कि अफसरों की मर्जी के मुताबिक बनें । मंडियों के विषय में अफसरों को इतना ज्ञान नहीं होता है जितना कि वहां के रहने वाले लोगों को पता होता है । वहां के आदतियों को ज्यादा पता होता है ।

अब वह बात नहीं चलेगी कि यहां से मिनिस्टर ने टेलीफोन कर दिया और मडी उसकी इच्छा के अनुसार बनेगी । अगर मिनिस्टर टेलीफोन करेगा तो वहां का जो प्रैजीडैन्ट होगा वह तो जनसंघ का होगा । वह मिनिस्टर की बात को क्यों मानेगा? आजकल तकरीबन सारी म्यूनिसिपैलिटीज मंडियों पर जनसंघ का ही कब्ज है । जहां तक जनसंघ वालों का सवाल है कि वे अपने किसी रिश्तेदार या भाईबन्द के नाम कोई दुकान वगैरह दे देगे उसके लिए डी० सी ० और एस० डी० एम० बैठे हुए हैं । (विध्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको अपनी जनता से कितना प्यार है । आप टाउन में रहती हैं । वहां पर जो गालियों में नालियाँ वगैरह बनें वे लोगों की इच्छा से बनें । अफसरों की मर्जी वहां पर नहीं चलनी चाहिए । जहाँ पर बड़े बड़े शहर बनते हैं उनके लिए तो इंजीनियर और आर्किटेक्टस की जरूरत होती है । वैसे अगर वहां किसी इंजीनियर आर्किटेक्ट से नक्शा नक्शा लें और लो गो की समझ में आ जाये तो रख लें वरना अपनी मर्जी का नक्शा बनवा सकते हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस सरकार के आने के बाद तो आदमियों की मरोड़ और सड़को के मोड़ सब खत्म हो गये हैं और इसीलिए प्रजातंत्र के अंदर हरियाणा में जागृति आ रही है ।

श्री के०एल० पोसवाल : यों कहिए कि बदमाशों की मरोड़ खत्म की है ।

चौधरी लाल सिंह : मरोड़ तो बदमाशों में ही होती है परन्तु असैम्बली में बदमाश शब्द कहना उचित नहीं है, क्योंकि

यहां बदमाश नहीं हैं । मरोड़ उसी की निकलती है जिसके अन्दर मरोड़ होता है । इसलिए अन्त में डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं इस बिल की पुरजोर ताइद करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि यह बिल जरूर पास होना चाहिए ।

लोक निर्माण मन्त्री (श्री रण सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहिबा यह बड़ा साधारण सा अमेंडिंग बिल है । इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है । जैसा कि यहां कई साथियों ने जिक्र किया, डाक्टर मंगल सैन जी ने और सिंगोंल साहब ने भी कहा कि पहले ऐसा था कि मंडी टाऊनशिप की जो जमीन होली थी उसको हम तब तक लोकल अथोरटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसको पूर्णतया डिवैल्प न कर लें । सारी जमीन को पूर्णतया डिवैल्प करने के बाद ही वहां की लोकल अथोरटिज को ट्रांसफर कर सकते थे । ऐक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं था कि किसी ऐरिये में से यदि कुछ हिस्सा फुल्ली डिवैल्प हो जाये या पारशियली डिवैल्प हो जाये और यह डिमान्ड लोकल अथोरिटी या जनता की ओर से आये कि उस ऐरिया को ट्रांसफर कर दें, तो उसको ट्रांसफर किया जा सके । इसीलिए कानून में प्रोविजन करने के लिए यह छोटी सी अमेंडमेंट हम लाये है ताकि ऐसी मडियों की भूमि जो कि डिवैल्प हो चुकी है और जनता और लोकल अथोरिटी की यह डिमान्ड है कि उसका कन्ट्रोल लोकल अथोरिटी को ट्रांसफर किया जाये, ट्रांसफर किया जा सके । हमारे कई साथियों, सिंगोंल साहब, डाक्टर मंगल सैन और चौधरी

रणबीर सिंह जी, ने इस हिल पर अपनी राय रखी और आशंका जाहिर की कि ऐसा करने से कहीं यह न हो जाये कि प्लॉट्स की जो सेल होती हैं या जो उनकी औक्शन होती है, इस अमेंडमेंट के पास होने से, लोकल अथोरिटीज अपने ढग से करने लग जायें और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ आरम्भ हो जाये । मैं हाउस को यह बताना चाहता हूँ कि प्लॉट्स की सेल का तरीका तो हुमने बदलना ही नहीं है और न ही उनकी सेल का अधिकार लोकल अथोरिटी को देना है । सेल का तरीका तो वही रहेगा जो कि अब तक चलता आ रहा है । यह जो अमेंडमेंट हम करने जा रहे हैं यह तो एक साधारण सी बात है । चौधरी रणबीर सिंह. ने इसका समर्थन किया है कि ऐसा करना ठीक बात है । डाक्टर मगन सैन ने सिर्फ एक ही बात कही और वह यह कि प्लॉट्स की सेल में कोई गड़बड़ी हो जायेगी । गड़बड़ी तो तब हो सकती है जबकि उनकी सेल का तरीका बदलना हो । मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि प्लॉट्स की सेल पर तो पहले जैसा ही कन्ट्रोल रहेगा तथा पहले वाला ही तरीका रहेगा । इसलिए मैं कहूंगा कि यह जनता के हित की बात है । अतः अनुरोध है कि हाउस इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर दे ।

Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2.

Deputy Speaker : Question is

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Deputy Speaker : Question is—

That clause I stand part of the Bill-

The motion was carried,

TITLE

Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Shri Ran Singh : Madam, I beg to move—

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be passed.

Deputy Speaker : Motion moved---

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be

passed.

Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab New Mandi Townships
(Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be
passed.

The motion was carried.

**THE PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY
(ALLOWANCES OF MEMBERS) HARYANA AMENDMENT BILL,
1971.**

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Madam, Deputy
Speaker, I beg to introduce the Punjab Legislative Assembly
(Allowances of Members) Haryana Amendment Bill, 1971.

Madam, I also move—

That the Punjab Legislative Assembly (Allowances of
Members) Haryana Amendment Bill be taken into
consideration at once.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Legislative Assembly (Allowances of
Members) Haryana Amendment Bill be taken into
consideration at once.

Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Legislative Assembly (Allowances of
Members) Haryana Amendment Bill be taken into consi-
deration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2.

Shri Daya Kristian (Jind) : Madam, I beg to move—

Renumber clause 2 of the Bill as sub-clause (1) thereof and after sub-clause (1) so renumbered, add the following sub-clause, namely:

"(2) In clause (b) of sub-section (I) of section 4 B of the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Act, 1942,-

(a) omit the words "except an Air-conditioned vehicle; and

(b) add 'the following proviso to clause (b), namely :—

"Provided that if the journey is performed by him by an air-conditioned vehicle, he shall pay the difference between the fare of such vehicle and that of a deluxe vehicle."

Deputy Speaker : Motion moved—

Renumber clause 2 of the Bill as sub-clause (1) thereof and after sub-clause (1) so renumbered, add the following sub-clause, namely

"(2) In clause (b) of sub-section (1) of section 4 B of the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Act,

1942.—

(a) omit the words "except an Air-conditioned vehicle; and

(b) add the following proviso to clause (b) namely:—"Provided that if the journey is performed by him by an air-conditioned vehicle, he shall pay the difference between the fare of such vehicle and that of a deluxe vehicle."

Shri Bansi Lal : I accept this amendment. Deputy Speaker : Question is—

Renumber clause 2 of the Bill as sub'-clause (1) thereof and after sub-clause (1) so renumbered, add the following sub-clause namely :---

"(2) In clause (b) of sub-section (1) of section 4 B of the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Member) Act, 1942,—

(a) omit the words "except an Air-conditioned vehicle; and

(b) add the following proviso to clause (b), namely:—"Provided that if the journey is performed by him by an air-conditioned vehicle, he shall pay the difference between the fare of such vehicle and that of a deluxe vehicle."

The motion was carried,

Deputy Speaker : Question is -

That clause 2, as amended, stand part of the Bill,

The motion was carried,

CLAUSE 1.

Deputy Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Madam, I beg to
move-

That the Punjab Legislative Assembly (Allowances of
Members) Haryana Amendment Bill, as amended, be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Legislative Assembly (Allowances of
Members) Haryana Amendment Bill, as amended, be passed,

Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Lagislative Assembly (Allowances of
Members) Haryana Amendment Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House stands adjourned till

2 P.M. tomorrow.

7.17 P.M

(The Sabha then adjourned till 2 P.M. on Tuesday,
the 3rd August, 1971.)

ANNEXURE

TO

Haryana Vidhan Sabha Debates Vol. II No. 1, dated
the 2nd August, 1971.

CONFIRMATION OF MASTERS

386 Chaudhri Dal Singh : Will the Minister for Education be pleased to state;

(a) the number of Masters who have qualified for confirmation; and

(b) the reasons for not confirming them ?

Education Minister : Shri Maru Singh Malik

(a) 3271

(b) Out of the 3271 Permanent Posts of Masters, 2258 Masters (B.A.B.Ed.) have already been confirmed. The cases of rest of the incumbents being incomplete have been taken up with the District Education officers concerned for completing their personal files and furnishing other relevant documents in individual cases. So their confirmations shall be ordered in due course.